राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के छठे सत्र का सत्रहवां दिवस [संख्या १२

गुरुवार, २७ अगस्त, १९५९.

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री बरकतुल्ला खां, सभापति, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, सार्वजनिक निर्माण, स्वायत्त शासन, वन स्वास्थ्य, कृषि, रसद एवं खाद्य यातायात, सिंचाई, पशुपालन, उद्योग एवं व्यवसाय, सहकारी तथा विद्युत विभाग]

श्री सभापति : प्रश्न।

रावराजा श्री सरदारसिंह।

ग्राम नगर, तहसील देवली के सरपंच के विरुद्ध एन्टीकरप्शन विभाग में मामला

३८६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि एन्टी करप्शन विभाग में सरपंच ग्राम नगर, तहसील देवली डिस्ट्रिक्ट टोंक के खिलाफ बन्द नगर के घाट बनवाने में पत्थरों के ट्रकों को दुबारा दर्ज करके रकम उठाने का केस दर्ज हुआ है?

(२) अगर हां, तो कितने रुपयों का और कब? क्या यह केस अदालत में चालान हो चुका? अगर नहीं, तो क्यों?

उप-मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) :

(१) नगर ग्राम पंचायत के उप-सरपंच श्री भंवरलाल जैन का शिकायती पत्र प्राप्त होने पर भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के एक पदाधिकारी ने जांच की थी। जांच पर यह परिणाम निकला कि श्री श्रीनिवास सरपंच ने १४४)।। डेढ आना की धनराशि पत्थरों के क्रिय हित दोबारा केश बुक में दिनांक २६-६-५८ को दर्ज कर हजम कर अपने पास रखी और उस पैसे का गबन किया।

(२) अभियोग पंजीबद्ध तथा अनुसंधान हित उप अधीक्षक आरक्षी, भ्रष्टाचार विरोधी विभाग का अंकित किया जा चुका हैं। अनुसंधान परिपूर्ण तथा अभियोग सिद्ध होने पर निर्णय न्यायालय द्वारा दिया जावेगा।

Page No.2

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : पहले जांच किसने की कि यह करप्शन हुआ है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : डिपार्टमेंट की ओर से अफसर मुकर्रर किया गया था उसने इन्क्वायरी की और इन्क्वायरी पर प्राइमाफेसी केस निकला ।

डॉ० बहादुरसिंह : जब उसके खिलाफ सबूत पेश हो गया कि उसने करप्शन किया है तो फिर उसका चालान अदालत में क्यों नहीं किया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : पहले प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी हुई और उसके बाद केस रजिस्टर किए जाने के आदेश दिए ताकि न्यायालय में चालान किया जाय ।

डॉ० बहादुरसिंह : इन्क्वायरी के कितने दिन बाद लिखा गया कि केस चलाया जाय ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि २६-६-५८ के बाद इन्क्वायरी हुई और उसके फौरन बाद ही आदेश दिए गए कि इसको चार्ज शीट किया जाय और केस रजिस्टर करने के लिए भी आदेश दिए गए ।

डॉ० बहादुरसिंह : अब किस स्टेज़ में यह केस है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में है और बाद में केस कोर्ट को सुपुर्द कर दिया जावेगा ।

डॉ० बहदुरसिंह : क्या वही सरपंच अब भी उसी पोस्ट पर काम कर रहा है ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या वही सरपंच उसी जगह पर काम कर रहा है ?

एक माननीय सदस्य : यही प्रश्न तो पूछा गया है अभी ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट हो जाने पर जोइन्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पंचायत को रिक्वेस्ट किया जावेगा कि प्रोसिक्युशन के सम्बन्ध में सेन्क्शन दें क्योंकि जब तक वे सेंक्शन न दे दें तब तक सरपंच का प्रोसिक्युशन नहीं हो सकता है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसी सरपंच के खिलाफ एकबार पहले भी गबन के मामले में प्रोसिक्युशन के लिए पंचायत विभाग की ओर से लिखा गया है, क्या यह सच है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके खिलाफ मिस एप्रोप्रियेशन का एक और केस था जिसमें २००) में से ११६) मिसएप्रोप्रियेट किया है । उस सम्बन्ध में केस रजिस्टर हो चुका है और इन्वेस्टिगेशन में है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कन्सर्ड मिनिस्टर को लिखा गया था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जोइन्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पंचायत को लिखा गया कि सेंक्शन भेज दें । सेंक्शन आने पर बाकायदा चालान अदालत में पेश किया जावेगा ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मिनिस्टर के पास से सेंक्शन आवेगी या जोइन्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के पास से ?

Page No.3

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने अर्ज किया कि जब तक जोइन्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की ओर से किसी सरपंच के लिए सेंक्शन न आजाय किसी सरपंच का प्रोसिक्युशन नहीं हो सकता है।

डॉ० चंद्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सेन्क्शन के लिए कब लिखा गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इमिडेयेटली इनक्वायरी खत्म होने पर केस रजिस्टर करने के आदेश दे दिए गए थे। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सच है कि जिला तहसील समितियां बन रही हैं ऐसे सरपंचों को ही उसके मेम्बर रखे जावेंगे। ऐसे भ्रष्टाचारी जिन के बारे में डिलिबरेटली प्रोसिक्युशन नहीं हो सकता ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह दूसरा सवाल है और इससे ताल्लुक नहीं रखता।

श्री सभापति : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

झिलमीली बांध पर पुल का निर्माण

३६०. प्रभुदयाल पुरोहित (लालसोट): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि दौसा से लालसोट की बीच की सड़क के अन्दर बड़ा गांव झिलमीली बांध के कारण सड़क पर पांच फुट पानी भर जाने से यातायात बन्द हो जाता है ?

(ख) क्या यह सही है कि दो साल से वहां की जनता यह माँग करती आ रही है कि एक पुल बना दिया जावे मगर आज तक पुल नहीं बनाया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां, । सड़क के कुछ भाग में ३।। फुट तक पानी भर जाता है जिससे यातायात बरसात में अवरुद्ध हो जाता है।

(ख) पुल बनाने के लिए ६७,६०० रुपए की स्वीकृति जून सन्, १९५९ में दी जा चुकी है ?

श्री सभापति : श्री जगदीशप्रसाद माथुर

लोसल नगरपालिका की मनोनीत महिला सदस्य

३६१. श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : क्या मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) लोसल नगरपालिका में किन किन महिला एवं सुरक्षित स्थान के लिए नियुक्ति की गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि जिस महिला को नामांकित किया है वह स्थायी रूप से लक्ष्मणगढ़ में रहने लग गई है तथा जिस समय उसका नोमिनेशन हुआ था तब भी वह लक्ष्मणगढ़ (जिला सीकर) की नगरपालिका द्वारा संचालित सावित्री कन्या पाठशाला में अध्यापिका है ?

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त महिला की लोसल में कोई चल अथवा अचल सम्पत्ति नहीं है ?

उप-मन्त्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) :

(१) लोसल नगरपालिका में महिला एवं सुरक्षित स्थान के लिए निम्न की नियुक्ति की गई थी :

(अ) श्री भगवती देवी धर्मपत्नी श्री श्योभगवान माथुर महिला के स्थान के लिए

(ब) श्री मोहनलाल पुत्र श्री मंगलाराम रेगर सुरक्षित स्थान के लिए।

(२) वर्तमान नगरपालिका में दलीय स्थिति पांच पांच है।

(३) महिला स्थायी रूप से लक्ष्मणगढ़ में नहीं रहती है। हां सावित्री कन्या पाठशाला में एक वर्ष से ज्यादा से अध्यापिका है।

(४) महिला की अचल सम्पत्ति लोसल में नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि जिस महिला की नियुक्ति की गई है वह सावित्री कन्या पाठशाला में अब तक भी अध्यापिका है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उत्तर में जी हां, कहा है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि लक्ष्मणगढ़ की म्युनिसिपेलिटी इस स्कूल को चलाती है और वह म्युनिसिपेलिटी की नौकर है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह वैतनिक है या अवैतनिक है इसके लिए दरियाफ्त किया गया था किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यदि वह तनख्वाह पाकर नगरपालिका में काम करती है तो जरूर डिस्क्वाफिलाई होगी।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : वह वहां परमानेन्ट नौकर है और वेतन तक उसका निश्चित है, यह चेयरमैन ने सूचित किया है।

श्री पूनमचंद विश्नोई : यह सूचना हमारे पास नहीं आयी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सम्बन्ध में अपोइन्टमेंट का लेटर है इसमें साफ लिखा है आपको सावित्री कन्या पाठशाला में ६-८-५७ से सहायक अध्यापिका पद रू० १०+१५ रु० =२५ रु० मासिक पर इस सेशन तक प्रोबेशन पर नियुक्त की जाती है। काम संतोष जनक पाए जाने पर ही स्थायी नियुक्ति हो सकेगी। द. रामजीलाल, ६-७-५८ अध्यक्ष, म्युनिसिपल बोर्ड, लक्ष्मणगढ़। प्रतिलिपि कोषाध्यक्ष, (२) प्रधानाध्यापिका। इसके बाद स्थायी नियुक्ति पत्र भी दिया जाता है। पत्र संख्या डी, १७६। ५८ दिनांक-३-६-५८। आपका कार्य संतोषजनक होने के कारण शिक्षा समिति के निर्णय दिनांक २-६-५८ के अनुसार आपकी नियुक्ति स्थायी की जाती है। दस्तखत रामजीलाल, अध्यक्ष म्युनिसिपल बोर्ड।

श्री सभापति : ऑनरेबल मेम्बर, इन्फोमेशन दे रहे हैं या ले रहे हैं।

Page No.5

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ; सभापति महोदय, प्रश्न इस प्रकार का है कि लोकल म्युनिसिपेलिटी में ऐसी सदस्या को नोमिनेट किया है जोकि स्कूल में कर्मचारी हैं, तनख्वाह पाती है म्युनसिपेलिटी से उसको फिर नोमिनेट कर दिया सदस्या के रूप में म्युनसिपेलिटी में। जहां कि सदस्यों की संख्या बराबर है।

श्री सभापति : बीच में कहें तो अच्छा है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इनके सम्बन्ध में एक फार्म होता है। हो सकता है कि वैतनिक हो। गलती से भर दिया हो। इसकी सूचना म्युनिसिपेलिटी से हमारे पास आयी नहीं, माननीय सदस्य बता रहे हैं कि उनके पास ऐसी सूचना है। यदि तनख्वाह पाती है और उसकी नियुक्ति हो गई है तो आटोमेटिकली डिसक्वालिफाई किया जा सकता है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसकी जानकारी प्राप्त होने पर उचित आदेश दे दिये जावेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो यह सही है कि कलेक्टर महोदय ने जानकारी भेजी है और उसमें यह लिखा है कि वह किसी भी प्रकार अयोग्य नहीं है और किसीभी स्कूल में नौकरी नहीं करती।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इतना लिखा हुआ नहीं है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि कलेक्टर ने यह लिखा कि एक जनसंघ का और एक कांग्रेस का नोमिनेट किया जावे ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई: यह कलेक्टर के हाथ में नहीं है। नेमिनेट करने की आथोरिटी उसको नहीं है डिसक्वालिफिकेशन नहीं हो जावे इसकी जानकारी मात्र उससे मांगते हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या आप यह नहीं जानते थे कि जब कि कांग्रेस के और जनसंघ के बराबर सदस्य हैं तो एक सदस्य को कांग्रेस की तरफ के को नोमिनेट करके म्युनिसिपेलिटी अपने हाथ में लेलें।

श्री सभापति : No information please.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर यह बात नहीं थी तो कलेक्टर और आपके पास कौनसा ऐसा आधार था कि जिससे आपको यह मालूम पड़ा कि भगवती देवी ज्यादा उपयुक्त हैं इसके लिये ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कलेक्टर की रिकमन्डेशन किस हद तक मानी जाती है यह मैंने निवेदन कर दिया। नामिनेट करना हमारे अधिकार की बात है। मैरिट को देखकर नोमिनेशन कर देते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस क्वेश्चन के जाने के बाद क्या आपने जानकारी हासिल की कि भगवतीदेवी सावित्री कन्या पाठशाला में अध्यापिका है या नहीं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसकी जानकारी बाकी रही है कि आया यह वैतनिक है या अवैतनिक है। यह रिलेवेन्ट क्वेश्चन नहीं है इसलिये समय पर इसकी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी अब हम यह जानकारी कर रहे हैं।

Page No.6

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जानकारी किससे हासिल करने की कोशिश की ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : आपके यहां अवैतनिक अध्यापक भी हैं क्या ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हो सकता है।

श्री पी. के. चौधरी : सारे राजस्थान में एक भी ऐसे किसी अध्यापक की मिसाल दीजिये ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : चालीस हजार अध्यापक हैं हमारे डिपार्टमेन्ट में, इन्डिविजुअल एक एक का मैं कहां हिसाब रक्खूं।

श्री पी. के. चौधरी : एक का मिला दीजिये। सिंगल इन्सटान्स।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्वेश्चन मेरा यह है कि किससे जानकारी हासिल करने की आपने कोशिश की ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : तीन विभागों से। कलेक्टर, डी. आई. एस. और म्युनिसिपल बोर्ड।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इतनी तनख्वाह इनको मिलती है ऐसा लैटर नहीं आया ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : लैटर भेजा होता ऐसा तो हमें यह जानकारी आपको देने में आपत्ति क्या होती ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपत्ति तो बहुत जबर्दस्त है। आपको जानकारी दी थी लोगों ने। डेपूटेशन मिला था। मदनसिंहजी उनसे मिले थे। पर आपको तो करना कुछ और था अपनी माइनोरिटी को मेजोरिटी में तब्दील करना था। हम बताते हैं आपको ये सारी बातें, पर आपकी समझ में तो कुछ आता ही नहीं। आवे कहां से आपको तो अपनी माइनोरिटी को मेजोरिटी में करना था।

(शोरगुल)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ऑर्डर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तीन आदमियों में इस तरह से मिलाकर माइनोरिटी को मेजोरिटी में कन्वर्ट करना इनको आता है। तो, इसमें तो आपत्ति तो हमें बहुत जबर्दस्त है। आप आपत्ति की बात करते हैं।

(शोरगुल)

श्रीसभापति : Order Please Order! Next question.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह नामीनेट करने का आपका तरीका है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : प्रजातन्त्र की बात करते है फिर। प्रजातन्त्र के हत्यारे हैं ये। हत्यारे है प्रजातन्त्र के ये। जहां तीन कांग्रेस के हों वहां इस तरह से एक को और लाने की कोशिश करते हैं फिर प्रजातन्त्र का दम भरते हैं। हत्यारे हैं ये प्रजातन्त्र के।

(शोरगुल)

श्री सभापतिः Order Please, order. I have called far the next question.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर बहाना बनाते हैं कि क्वेश्चन का जवाब पूरा नहीं है। क्वेश्चन साफ है जानकारी चाही गई है इस तरह से कहकर इस प्रश्न को वो अवोइड नहीं कर सकते। अगर वे पूरा जबाब देते हैं तो ठीक, नहीं तो इसे नेक्स्ट टर्न पर जवाब देने के लिए रक्खा जाय। इस तरह से जानकारी के अभाव की

Page No.7

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बात कह कर वे इस प्रश्न का जवाब टालना चाहते है। वे जवाब इस तरह टाल नहीं सकते।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं निवेदन करूं। जो जानकारी चाही गई है वह इस तरह है कि क्या यह सही है कि जिस महिला को नामांकित किया है वह स्थाई रूप से लक्ष्मणगढ में रहने लग गई है, तथा जिस समय उसका नोमिनेशन हुआ था तब भी तथा अब भी वह लक्ष्मणगढ (जिला सीकर) की नगरपालिका द्वारा संचालित सावित्री कन्या पाठशाला में अध्यापिका है ? तो इसका जवाब हमने दे दिया 'हां है'। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि वह अवैतनिक है या वैतनिक। तो इसकी जानकारी चाही गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That is the most relevant supplementary that can be put to this question.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : I would submit, Sir. The most relevant thing was whether she was a paid servant or not and it was for him to put up that question. How can we presume that such supplementary question can be put.

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपको यह सोचना चाहिये था।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : गलत जानकारी दी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिन लोगों ने आपको गलत जानकारी दी है तो क्या आप उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपने प्रश्न ठीक तरह से नहीं पूछा। अगर आपको मालूम था तो आप प्रश्न में ही लिखते कि कितना वेतन मिलता है तो हम जवाब देते इसके बावजूद भी हमने लिख दिया है कि वैतनिक है या अवैतनिक। सप्लीमेन्टरी को अवोइड करनेकी बात आप कैसे कह सकते हैं। अवोइड करने की हमारी मन्शा नहीं रहती।

श्री सभापति : I call the next question The Hon'ble Member has a recourse to have an half an hour discussion in the House if he is not satisfied. I mean the Hon'ble Members have got other amenities for that.

Yes. Next question please.

श्री भैरोंसिंह।

सिलेक्शन कमेटी द्वारा पुलिस इन्सपेक्टर्स का एकीकरण एवं सीनियोरिटी लिस्ट तैयार करना

३६३. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर-श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, द्वारा पूछा गया) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सन १६५२ में एक सिलेक्शन कमेटी द्वारा पुलिस इन्सपेक्टर्स का एकीकरण करके उनको ए. बी. एण्ड सी. तीन भागों में विभक्त किया जाकर एक सीनियोरिटी लिस्ट बनाई गई ?

(ख) क्या यह सही है कि इस निर्णय के विरुद्ध कई अधिकारियों ने रिप्रजेन्टेशन किये थे।

Page No.8

(श्री भैरोंसिंह)

(ग) ऐसे रिप्रेजेन्टेशन पर कब कब और क्या क्या निर्णय हुए हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि श्री फतेहलाल, सी. आई. तथा श्री कन्हैयालाल सी. आई. जो क्रमशः सी. लिस्ट में नम्बर १४१ व १७० पर थे, को बी. लिस्ट में व ए. लिस्ट में लिया क्रमशः २८ व १३ नम्बर पर लाया गया ?

(ङ) यदि हां, तो क्यों और किस तरह इनके रिप्रेजेन्टेशन कब आये थे, भूतपूर्व आई. जी. पी. के इन पर क्या रिमार्क्स थे और सीनियोरिटी में ऐसी बदल करने की सूचना गजट में प्रकाशित करवाई गई थी या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

(च) क्या यह सही है कि श्री फतेहलाल के विरुद्ध कई रिश्वत की शिकायतें आई हुई हैं, जिनकी जांच की गई है ?

उप-मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) :

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सब रिप्रेजेन्टेशन जो १९५३ में आये थे वे जांच करने के बाद रद्द कर दिये गये। तब से अब तक ३ रिप्रेजेन्टेशन राज्य ने मन्जूर किये हैं।

(घ) जीहां, सर्वश्री फतेहलाल व कन्हैयालाल ने नामक्रम संख्या ५५ वीं व २८ ए.पर लिखे गये थे न कि जैसा सवाल में लिखा है।

(ङ) सर्व श्री कन्हैयालाल व फतेहलाल ने रिप्रेजेन्टेशन आई. जी. पी. श्री बी. जी. कनेटकरने उन हर एक की योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए सिफारिश करते हुए राज्य को भेजे थे। उनकी सीनियोरिटी-बदलने का हुक्म राजपत्र में नहीं छापा गया क्योंकि नॉन गजेटेड अफसरों की सूचना इसमें नहीं छपती है।

(च) जी नहीं। सिर्फ एक शिकायत आई, जिसकी जांच की गई है रिकार्ड पर है पर वह निर्दोष पाया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये रिप्रेजेन्टेशन कब आये, ५३ के बाद आये क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जिनको सरकार ने मंजूर किया वे ५४-५६ में आये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि ५३ में रिप्रेजेन्टेशन सरकार ने मांगे थे सीनियोरिटी के और अगर नहीं मांगे तो उनके कैसे लिये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उनके पहले आये थे और रिप्रेजेन्टेशन आने के बाद डिसाइड कर दिया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने यह कहा कि ५३ तक के रिप्रेजेन्टेशन रद्द कर दिये। फिर ५४।५६ में किस तरह आये। क्या सरकार ने नोटीफिकेशन करके इन्वाइट किये थे और सबको कहा था कि आप फिर से रिप्रेजेन्टेशन कर सकते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि ५३ में जो आये वे डी. आई. जी. के पास आये थे और उन्होंने लिख दिया

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

था कि वे इनमें कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद में उन्होंने सरकार को रिप्रेजेन्टेशन दिये ५४-५६ में। उनको सरकार ने आई. जी. के पास भेज दिया। उन्होंने सिफारिश की। फिर सरकार ने सिलेक्शन कमेटी में वापिस कर दिये और उनकी जब सिफारिश आई तो इसके बाद में इन तीन की सीनियोरिटी रिवाइज की।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह मान लिया जाय कि ५३ में रिप्रेजेन्टेशन रद्द होने के बाद और भी रिप्रेजेन्टेशन आये अगर आये तो कितने ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : दस।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार ने फिर १९५३ के बाद भी रिप्रेजेन्टेशन देने की आज्ञा जारी की थी क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आज्ञा जारी करने की जरूरत नहीं थी जो कोई भी शख्स एग्रीव्ड हो वह रिप्रेजेन्टेशन कर सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल यह है कि आई० जी० पी० या डी० आई० जी ने रिप्रेजेन्टेशंन को फॉरवर्ड किया या नहीं यह बात नहीं क्या उसके बाद भी रिप्रेजेन्टेशन दिये जा सकते हैं क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जहां तक रिप्रेजेन्टेशन का सवाल है रिप्रेजेन्टेशन हमेशा कोई भी कर सकता है उस समय सर्विस में जो रिमार्क्स थे वह ठीक तरह से देखे नहीं गये थे उन्होंने जो कुछ भी फैक्टस् देखने थे देखे उसके बाद फिर उन्होंने गवर्नमेन्ट के पास रिप्रेजेन्टेशन किया वह रिप्रेजेन्टेशन सिलेक्शन कमेटी के पास भेजा गया जिसके होम सेक्रेटरी और आई० जी० पी० सदस्य थे उन्होंने उनकी सर्विस बुक के रिमार्क्स को देखा और फिर रिकमन्ड किये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि ये दसों रिप्रेजेन्टेशन सिलेक्शन कमेटी को भेजे गये थे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिन आदमियों के बारे में जिस अफसर ने सिफारिश की थी वह ऑफिसर भी सिलेक्शन कमेटी में था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह सिलेक्शन कमेटी सन् ५३ के पहले से बैठी हुई थी जिनके होम सेक्रेटरी और आई० जी० पी० मेम्बर हैं। इन दोनों के बारे में सिलेक्शन कमेटी ने निर्णय किया उनके सामने जो फैक्ट्स डिसक्लोज हुए उस हिसाब से उन्होंने उनकी सिनियोरिटी को रिवाइज करने की सिफारिश कर दी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या उनके रिप्रेजेन्टेशन्स डायरेक्ट आये थे या आई० जी० के थ्रू आये थे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : गवर्नमेन्ट के पास आये थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर आई० जी० पी० की रिकमन्डेशन कैसे हो गई ?

Page No.10

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उन सब रिप्रेजेन्टेशन्स में से पांच तो पेन्डिंग हैं, दो की जांच कर रहे हैं और तीन डिसाइड कर दिये गये हैं ।

शाह अफगान के भरतपुर घने में शिकार हेतु आगमन पर शरणार्थियों द्वारा पानी में से घास निकलवाना

३९३. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या वन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर घने में शाह अफगान के जब मार्च, १९५८ में शिकार को आये थे उस समय लकड़ी लाने वाले शरणार्थियों से पानी में से घास निकलवाने का काम लिया गया ?

(२) क्या यह सही है कि इस घने में से खस, लकड़ी, कोयला हर साल दिया जाता है ? यदि हां, तो कितनी कितनी मात्रा में ?

(३) क्या सरकार ने कोई कदम इस घने की सेन्चुयरी की कम्प्लीट रूप देने में उठाया है । यदि, हां तो क्या क्या ?

मंत्री, वन (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(१) जी नहीं ।

(२) जी हां । १०० मन खस और २४०० मन जलाऊ लकड़ी भरतपुर नरेश को ।

(३) जी हां । गजट में नोटीफिकेशन निकल चुका है ।

श्री गिरधारीलाल : यह नोटीफिकेशन कब निकला था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गवर्नमेन्ट नोटीफिकेशन है एफ. ३९।७०१७।५३ दिनांक ३।१९५९

प्रश्न संख्या ३९४

श्री सभापति : श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

भरतपुर-बयाना सड़क का निर्माण

३९५. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर–श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा पूछा गया) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर-बयाना रोड़ पर कान्ट्रेक्टर ने कच्चा पत्थर डालकर सड़क का काम चालू किया ? जिसकी रिपोर्ट एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर तथा असिस्टेन्ट इन्जीनियर ने सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर को की ?

(२) क्या यह सही है कि सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर ने सेम्पल मंगवाया और फिर हुक्म दिया कि काम चालू किया जाय ।

(३) क्या यह सही है कि एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर तथा असिस्टेन्ट इन्जीनियर ने पत्थर कच्चा होने के कारण फिर भी काम चालू नहीं किया ?

(४) क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करवायेगी ?

मंत्री, वन (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) न कच्चा पत्थर काम में लिया गया और न कोई रिपोर्ट एस० ई० को की गई।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता। कार्य चालू है।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री वी० रतन सीनियर डेंटल सर्जन को कोलम्बो प्लान के अन्तर्गत प्रशिक्षण

३६६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर-श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल जौहरी बाजार, जयपुर द्वारा पूछा गया) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि श्री वी० रतन सीनियर डेन्टल सर्जन जयपुर को कोलम्बो प्लान के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजा गया था ?

(ख) क्या यह सही है कि डॉक्टर रतन को प्रशिक्षण समाप्त करने से पहले ही वापिस बुला लिया गया ? यदि हां तो क्यों ?

(ग) डॉ० रतन के आने-जाने, हॉस्पिटल की उनकी अनुपस्थिति, टी० ए० व डी० ए० पे व अन्य मदों को लेकर कुल कितना खर्चा हुआ और इस खर्च के लिये कौन जिम्मेदार है ?

(घ) क्या यह सही है कि इस कार्यवाही में डॉक्टर वी० रतन की गलती पाई गई है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्री भीखाभाई) :

(क) जी हां।

(ख) डॉ० रतन एल० डी० एस० की फाइनल परीक्षा में फेल हो गये थे। इसलिये उनका प्रशिक्षण टी० सी० एम० में नहीं हो सका।

(ग) डॉ० रतन के आने जाने व टी० ए० व डी० ए० पर राज्य सरकार द्वारा कोई खर्चा वहन नहीं किया गया है। यह डॉक्टर सरकार की ओर से डेपुटेशन लीव पर नहीं बल्कि अपनी बाकी निकली हुई छुट्टियां लेकर प्रशिक्षण के लिये विदेश गये थे। खर्चा डॉक्टर का निजी हुआ है राज्य सरकार का नहीं।

(घ) चूंकि डॉ० रतन छुट्टी लेकर गये थे, अतः गलती का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चन्दमल बैद (सरदार शहर) : क्या यह जो खर्चा हुआ वह गवर्नमेन्ट का नहीं हुआ तो क्या डॉक्टर निजी खर्चे से गये ?

श्री भीखाभाई : जी हां।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : जिस समय वे विदेश गये थे क्या उसी समय से छुट्टी लेकर गये थे या उनको बाद में ओन लीव ट्रीट किया गया ?

श्री भीखाभाई : जब गये थे तभी छुट्टी लेकर गये थे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कोलम्बो प्लान में उन्होंने एप्लाई किया था, क्या राज्य सरकार की मार्फत एप्लाई किया था या डायरेक्ट एप्लाई किया था ?

श्री भीखाभाई : गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया की मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज

Page No.12

(श्री भीखाभाई)

द्वारा उनका चुनाव सन् १६५५-५६ में ही हो गया था किन्तु वे ५८ में ट्रेनिंग के लिये गये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जब उनका सलेक्शन हो गया था तो छुट्टी लेकर जाने की क्या आवश्यकता थी उनको डेपूटेशन पर भेजना चाहिये था ?

श्री भीखाभाई : यह राज्य के हक में था छुट्टी लेकर जाना।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जितने दिन की छुट्टी लेकर गये क्या उससे अधिक समय रहकर वे आये ?

श्री भीखाभाई : १८० दिन की छुट्टी लेकर गये थे और उतने ही दिनों में वापिस आ गये।

श्री सभापति : श्री लक्ष्मीचन्द

(अनुपस्थिति)।

श्री पी० के० चौधरी : (पूछने को खड़े होने पर)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : क्या माननीय सदस्य को अधिकार दिया है कि वे मुरलीधर व्यास की जगह प्रश्न पूछ सकते हैं ?

श्री सभापति : श्री मुरलीधर व्यास का मेरे पास पत्र है जिसमें उन्होंने अपने प्रश्न पूछने के लिये श्री पी० के० चौधरी को ऑथोराइज किया है।

श्री पी० के० चौधरी : But that is not the Ministers' responsibility to question the Chair.

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं यह नहीं कहता कि आपको अधिकार नहीं है। माननीय सभापति आज्ञा दे दें तो भी हम जवाब दे सकते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : Wether I have got the authority or not nobody has got to do with it. It is only the chair to look it.

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं पूछने के अधिकार के लिये नहीं कहता। आपको अधिकार है आप पूछ सकते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : प्रश्न संख्या ३६८:

मिसेज नारायणी को ऊन लेबोरेटरी की विदेश में ट्रेनिंग

३६८. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी-श्री पी० के० चौधरी द्वारा पूछा गया) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने ऊन लेबोरेटरी ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिये मिसेज नारायणी को विदेश भेजा था ? यदि हां तो इस ट्रेनिंग में कुल कितना खर्चा लगा ?

(ख) ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद में इन्हें किस स्थान पर रखा गया ?

(ग) क्या यह सत्य है कि इन्हें जिस विषय के लिये ट्रेनिंग दिलाई गई थी उस

Page No.13

(श्री मुरलीधर व्यास)

विशेष पद पर न रखकर दूसरे स्थान पर रखा गया है ? यदि हां तो ऐसा क्यों ?

उप-मंत्री (श्री दौलतराम सारण) :

(क) जी नहीं।

(ख ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पी० के० चौधरी : He was not sent for training by the Government ?

श्री दौलतराम सारण : जिसके लिये प्रश्न पूछा गया था उसके लिये नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): किसी भी ट्रेनिंग के लिये भेजा गया था क्या ?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग से प्रश्न पूछिये।

श्री पी० के० चौधरी : He must have been sent for some training. What the training was ? I think the Government is avading the question. He says he was not sent for training.

श्री सभापति : When you send the question, why do you leave loop-holes for them...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, Just for.......

श्री सभापति : They asked a particular question and the answer was given...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Just for infor mation Sir, मान लीजिये नम्बर के लिये पूछा गया और वह दिसम्बर में गये हों तो यह तो माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहिये जिस किसी भी ट्रेनिंग के लिये गये वे यह तो बता सकते हैं। That sort of a reply is not expected from the Government.

श्री सभापति : It all depends on the tradition how we cultivate it, here in the House.

श्री पी० के० चौधरी : This is a new tradition developing, a new practice.

श्री सभापति : नेक्स्ट।

१०० मन से अधिक गल्ले के लिए लाइसेन्स प्रणाली

३६६. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा—सु०) : क्या रसद व खाद्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या कुछ समय पूर्व १०० मन से अधिक गल्ला रखने वाले किसानों को लाइसेन्स रखने के आदेश हो चुके थे ?

(२) यदि हां, तो यह आदेश कब दिये गये थे और कब यह लाइसेन्स प्रणाली समाप्त कर दी गई ?

(३) क्या पूर्व आदेश के अनुसार जिन किसानों ने लाइसेन्स ले लिया था उनकी लाईसेन्स फीस वापिस लौटाने का सरकार विचार रखती है ?

(श्री रामनारायण वर्मा)

(४) यदि हां, तो यह धन राशि कब तक लौटा दी जावेगी ?

उपमंत्री, रसद (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(३) जी नहीं, जब किसानों को लाइसेन्स रखने के आदेश ही नहीं हुए तो ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): किसानों को कोटे के अन्दर लाइसेन्स दिये गये हैं, और आप कहते है कि प्रश्न ही नहीं उठता है कि लाइसेन्स लेने की जरूरत है १०० मन से अधिक गल्ला रखने के लिए किसानों को ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपको जानकारी नहीं है । इसलिए मैं कहता हूं कि आप पर्टिक्यूलर केस बताएं कि फलां फलां आदमियों को दिया गया है तो जांच की जा सकती है। आपने जनरल सवाल यह पूछा है कि किसानों को लाइसेन्स लेने की जरूरत है या नहीं। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है । लाइसेन्सिंग ऑर्डर के अन्दर कोई ऐसे लाइसेन्स लेने की जरूरत नहीं है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : पीपल्दा, अन्ता दीगोद में लाइन्सेस दिया गया है और उनसे फीस वसूल की है अगर आप यह कहते हैं ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप कोई पर्टीक्युलर नाम बताइये ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : नाम एक एक किसान का नहीं बताया जा सकता है। तहसीलदार से पता लगाया जा सकता है ।

श्री सरदारसिंह (उनियारा) : ऐसी शिकायते कई इलाकों में है ।

श्री सभापति : The Governmeut should take note of the complaint which has come through this question and I wish...

Next: (करतल ध्वनि)

पटारी आदिवासी सहकारी समिति, तहसील शाहबाद के कत्थे का जब्त किया जाना।

४००. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पटारी आदिवासी सहकारी सभा, तहसील शाहबाद का कत्था सरकार के वन विभाग ने जब्त कर लिया है ? यदि हां तो किस नियम के तहत ?

(ख) क्या यह सही है कि कत्था ज़ब्त करने से पूर्व रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग को कोई सूचना नहीं दी गई ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) ज़ब्त नहीं किया गया था केवल कब्जे में लिया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री दयाकृष्ण विजय : कब्जे में किया गया है और जब्त करने के बीच क्या अन्तर है कम से कम इसको क्लेरीफाई तो कर दें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अन्तर माननीय सदस्य को समझना चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : कब्जे में किया गया है तो उसका उनको कोई मुआवजा दिया गया है क्या?

श्री नाथूराम मिर्धा : खर्च नहीं किया गया है। हम रुपये मांगते थे और वह सोसाइटी नहीं चुका पा रही थी। इसलिए कब्जे में कर लिया था।

श्री पी० के०. चौधरी (फुलेरा) : गवर्नमेन्ट ने सीज़ किया है तो whether that sezziture is legal or illegal?

श्री नाथूराम मिर्धा : बिल्कुल कानूनी था।

श्री पी० के० चौधरी : कौन से कानून से सीज़ किया है?

श्री नाथूराम मिर्धा : फॉरेस्ट एक्ट की धारा ८३ से।

श्री पी० के० चौधरी : सीज़ करने के बाद क्या प्रोसीजर लिया गया?

श्री नाथूराम मिर्धा : नीलाम किया गया है।

श्री दयाकृष्ण विजय : इस प्रकार से कब्जे में लेने से पूर्व सहकारी विभाग को सूचना देने की आवश्यकता थी या नहीं?

श्री नाथूराम मिर्धा : सहकारी विभाग को सूचना देने की आवश्यकता नहीं थी। सहकारी विभाग का आदमी होता है मैनेजिंग कमेटी में और मैनेजिंग कमेटी को सूचना दे दी गई थी।

श्री दयाकृष्ण विजय : सी० सी० एफ० को कलेक्टर कोटा को लिखकर कत्था वापिस करने के लिए कहा था।

श्री नाथूरान मिर्धा : वे इनएक्सपीरियेन्स्ड आदमी थे। उन्होंने कुछ काम नहीं किया। जो कुछ प्रोसेस हमने लिया वह बहुत रीज़नेबल था। जिस प्रोसेस से उन्होंने कत्था एक्स्ट्रैक्ट किया, उसमें ८ हजार की कमी पड़ गई।

श्री दयाकृष्ण विजय : कितना कत्था कब्जे में लिया था?

श्री नाथूराम मिर्धा : १००, १२५ मन था।

एक माननीय सदस्य : सहकारी विभाग की स्वीकृति ली गई थी या नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

एक माननीय सदस्य : कितने रुपये का हुआ, कत्था बेचा गया तो?

श्री नाथूराम मिर्धा : हम उनसे ३७,५००) मांगते थे और ८८११) उनको अभी देना बाकी है तो इससे आप समझ लें कि करीब २९,०००) का हुआ है।

श्री सभापति : नेक्स्ट।

श्री किशनाराम।

नगरपालिका (रतनगढ़)

४०१. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़): क्या स्वायत शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) रतनगढ नगरपालिका के अध्यक्ष मोहनलाल सारस्वत को राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटी एक्ट १९५१ की धारा २२ (१०) के अन्तर्गत भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होने पर अध्यक्षता एवं सदस्यता से हटाने का आदेश सरकार ने किस तारीख को दया है ?

(२) क्या सेक्रेटेरियेट की सम्बन्धित फाइल के कागजात की विशेष निगरानी रखने के लिये उपमन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग ने कोई कार्यालय को आदेश जारी किया था ? यदि हां तो क्यों ?

उपमन्त्री, स्वायत शासन :(१) सरकार ने ऐसी कोई आज्ञा जारी नहीं की।

(२) जी नही।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या यह सही है कि वह नगरपालिका के सदस्य अभी भी कन्टीन्यू कर रहे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी हां। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और हमारे आदेश को वायड डिक्लेयर कर दिया। इसलिये सदस्य बने हुए है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) क्या आपके आदेश रद्द कर दिये।

डॉ० चन्द्रकला : (किशनपोल बाजार जयपुर) इसका फैसला वहां पर हुआ था और कहां पर सिद्ध हुआ था उन पर भ्रष्टाचार का आरोप। प्रश्न (१) में पूछा था कि भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होने पर हटाया गया तो वह किस तरह से कहां और कैसे सिद्ध हुए थे।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हमारे सामने सिद्ध हुए थे और हाईकोर्ट में असिद्ध होगये।

श्री पी. के.चौधरी (फुलेरा) : क्या यह सही है कि हाई कोर्ट ने कहा था कि दूसरे रूल के अन्दर एक्शन लेना चाहिए ?

श्री पूनमचन्द बश्नोई : जी हाँ।

श्री पी. के. चौधरी : उस पर एक्शन लिया या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उसकी कार्यवाही चल रही है।

श्री पी. के. चौधरी : कब से चल रही है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : फैसला हाईकोर्ट का तारीख १८-८-५९ का है।

डॉ० चन्द्रकला : आपने ऐसा क्या फैसला दिया जिसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नीचे की अदालत के फैसले में ऊपर की अदालत रद्दोबदल कर सकती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके लिये भी वेलिडेटिंग ऑर्डीनेन्स ले आइये कोई। (हंसी)

Page No.17

जयपुर से जमवारामगढ चलनेवालीबस

४०२ श्री नाथूलाल करोल (लालसोट) सु) : क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या जयपुर से जमवारामगढ़ व रानीजी का खोहवा होती हुई बस चलती थी। यदि हां तो अब वह क्यों बंद कर दी गई ?

मंत्री यातायात (श्री नाथूराम मिर्धा) जयपुर से जमवारामगढ होती हुई खवा तक बस चलती है। परंतु आजकल वर्षा के कारण बस केवल खोहवा तक ही जाती है। रास्ता टीक होजाने पर पुन: चलने लगेगी।

श्री सभापति : श्री मोहब्बतसिंह ।

सिरोही जिले में माइनर व मीडियम सिंचाई कार्य का सर्वे

४०३. श्री मोहब्बतसिंह (सीकर) : Will the Minister for Irrigation Department be pleased to state :—

(a) Which schemes of minor and medium irrigation projects in Sirohi District have been completely surveyed by now ?

(b) What are the estimates of each work ?

(c) Approximately when each scheme is to be taken in hand ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भीखाभाई): (a) Following Medium and Minor Irrigation schemes in Sirohi District have been surveyed:—

Medium Angore,
Minor Bhaisa Singh
Poidra
Moongthala
Unwaria
Butri
Unta.

(b,c.) Statement containing the required information has been said on the table of the house.

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मोहब्बतसिंह : स्क्रूटिनी के अन्दर कितना टाइम लग जाता है सर्वे होने के बाद ?

श्री भीखाभाई : That depend upon each individual scheme.

श्री मोहब्बतसिंह : फिर भी ज्यादा से ज्यादा एक मीडियम स्कीम पर कितना टाइम लगता है और एक माइनर स्कीम पर कितना टाइम लगता है ?

श्री भीखाभाई : Medium scheme takes much time because it has got to be sent to the Planning while minor scheme is examined by the Irrigation Department. This scheme is very minor and it may take only 3 months. If it is some complicated, then it may take hardly 6 months...

श्री सभापति : श्री रामकरणसिंह ।

तहसील कोटपूतली के ग्राम राजनोता, पावटा, बानसूर आदि गांवों को सड़क द्वारा डाबला रेल्वे स्टेशन से मिलाया जाना

४०४. श्रीरामकरणसिंह (कोटपूतली): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.18

(श्री रामकरणसिंह)

(१) क्या कोटपूतली, राजनोता, पावटा, बानसूर व पाटन इन पांच क्षेत्रों के आवागमन के लिये डाबला रेल्वे स्टेशन से ही जाना पड़ता है ?

(२) क्या यह सही है कि बानसूर, कोटपुतली, पावटा व पाटन क्षेत्रों के लिये यही नजदीक का रेल्वे स्टेशन है ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार इतने बड़े क्षेत्रों को सड़क द्वारा रेल्वे स्टेशन से मिलाने का विचार रखती है ?

(४) क्या सरकार इसको उचित नहीं समझती कि केवल २० मील की सड़क बनाने से कितने लोगों को फायदा होगा और सहूलियत मिलेगी ?

मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है ।

(२) जी हां, लगभग बानसूर को छोड़कर ।

(३) यह काम अभी किसी योजना में स्वीकृत नहीं है ।

(४) सरकार यथासम्भव अधिक से अधिक सड़कें बनाने को प्रयत्नशील है ।

श्री रामकरणसिंह : यह करीब ३२ साल पुरानी सड़क का टुकड़ा है । इस पर करीब १८ गाड़ियां रोजाना चल रही हैं । मैंने अर्ज किया कि कोटपूतली, राजनोता, पावटा, बानसूर, व पाटन यह इतने बड़े सेन्टर्स हैं जिनसे कि ३,४,५ बसें रोजाना रन करती हैं । इतनी महत्वपूर्ण सड़क होते हुए भी और इतनी पुरानी सड़क होते हुए भी इस योजना में नहीं तो क्या अगली योजना में ले लेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : निश्चित तौर से नहीं कह सकता हूँ लेकिन इतना महत्वपूर्ण होगा मामला तो थर्डईयर प्लान में कन्सीडर करेंगे तब उसको जरूर देखेंगे ।

श्री सभापति : श्री दयाकृष्ण विजय ।

छविगृहों पर पुलिस कर्मचारियों की तैनाती

४०५. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सिनेमाओं में नित्य प्रति व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस के सिपाहियों को भेजा जाता है ?

(२) क्या कोटा के दोनों सिनेमाओं में नित्य प्रति पुलिस के ८ जवान जाते हैं तथा रोजनामचे में यह बात लिखी जाती है ?

(३) कोटा के दोनों सिनेमा मालिकों ने गत ५ वर्षों में पुलिस की इन सेवाओं के उपलक्ष में राज्य सरकार को कितनी धनराशि दी है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जी हां ।

(२) जी नहीं । प्रत्येक सिनेमा में केवल २-२ सिपाही भेजे जाते हैं, जिसका लेखा रोजानामचे में किया जाता है ।

Page No.19

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

(३) जन साधारण में नियम व अनुशासन बने रहने की दृष्टि से सिपाहियों को सिनेमाओं में नियुक्त किया जाता है। अतः इसके एवज में सरकार को धनराशि प्राप्त होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह रोजाना व्यवस्था की दृष्टि से भेजते हैं क्या आप ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां। वहां पर लॉ एण्ड ऑर्डर का सवाल होता है और दूसरी बातें ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से पुलिस का होना बहुत जरूरी होता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : किसी प्राइवेट पर्पज़ के लिए कोई पुलिस का उपयोग करना चाहता है या इस प्रकार के झगड़े की आशंका को देखकर पुलिस तैनात की जायगी ?

श्री रिखबचन्द चौधरी : जी हां। यह देखा जाता है कि जहां पर अशान्ति होने की आशंका हो या लॉ एण्ड ऑर्डर ब्रीच होने का अन्देशा हो तो जरूर भेजी जाती है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह कहीं पुलिस एक्ट में लिखा हुआ है कि जहाँ पर सिनेमा चलते हैं वहां पर पुलिस का रहना बहुत जरूरी है ?

श्री सभापति : वहां की दिक्कत को देखते हैं। सिनेमा में सब जगह यह आवश्यक है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं समझता हूँ कि इसके अन्दर दो राय नहीं हो सकती है कि जहां पर ज्यादा आदमी इकट्ठे होते हैं वहां लॉ एण्ड ऑर्डर को मेन्टेन करने के लिए पुलिस भेजती हैं। मैं समझता हूं कि इसमें कोई बुराई की बात नहीं है।

श्री सभापति : नेक्स्ट। श्री पी० के० चौधरी।

बस्सी भेड़पालन फार्म हेतु घास का ठेका

४०६. **श्री पी०के० चौधरी**: Will the Minister—in—charge of Animal Husbandy be pleased to state:—

1. Is it correct that during this year 1959-60 contract for supplying 10,000 maunds of grass at Rs. 3/14/- per maund to Bassi Cattle Breeding farm has been given to one Shri Hariyal Das Sindhi when there were other tenderers who quoted a lower rate ?

2. Is it correct that during the current year sheep and wool Research and Breeding farm, Jaipur has purchased grass at Rs. 2/8/ per maund.

3. Is it correct that the open market rate of grass at Bassi and Dausa is Rs. 2/-to 2/8/-per md. at present ?

4. Is it correct that the contract for the supply of grass has been given to Shri Hariyal Dass Sindhi

(श्री पी० के० चौधरी)

inspite of the Dy. Director's (Administration) recommendation to call for fresh tenders ?

5. Is it correct that during 1958-59 the sheep & wool Researeh and Breeding farm Jaipur purchased grass at Rs. 2/ 3/ per md. while during the same period Bassi Cattle Breeding farm purchased grass at Rs. 14/-to Rs. 4/8/-per md. from Shri Huriyal Dass Sindhi ? If so, will the Government institute an enquiry into the whole affair ?

उप-मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) बस्सी केटिल ब्रिडिंग फार्म को दस हजार मन घास सन् १९६० में सप्लाई करने के लिये टेन्डर आमन्त्रित किये गये थे।

मेसर्स हरियाल दास सिन्धी ने ३ रु० ८७ नये पैसे प्रतिमन के हिसाब से घास देने के लिये टेन्डर दिये थे। दूसरे किसी भी फार्म के टेन्डर ३ रु० ८७ नये पैसे से कम नहीं थे।

(२) जी नहीं।

(३) मौजूदा समय में दौसा में घास का भाव २ रु० प्रतिमन बताया जाता है। बस्सी में घास पैदा नहीं होता है अतः वहाँ के भाव का विवरण उपलब्ध नहीं हो सका।

(४) जी हां, उप संचालक (प्रशासनिक) द्वारा की गई सिफारिशों पर पूर्ण रूप से विचार किया गया था और घास के मौजूदा स्थिति में भावताव मालूम करने के लिये जंगलात व अकाल सहायता विभाग से भी पूछताछ की गई थी। मेसर्स हरियालदास सिन्धी ने जो भाव अपनी टेन्डर में लिखे थे वे ही सबसे कम थे और हैं। इसी कारणवश उन्हें घास का ठेका दिया गया था।

(५) जी नहीं। शीप एंड वूल रिसर्च ब्रिडिंग फार्म जयपुर ने १९५८-५९ में कोई घास नहीं खरीदा था। अतः भावों की तुलनात्मक विवेचना करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मेसर्स हरियालदास सिन्धी से केटिल ब्रिडिंग फार्म बस्सी के लिये सन् १९५८ में ४ रुपये ८ आने प्रति मन के हिसाब से कोई घास नहीं खरीदा गया। अतः इस सम्बन्ध में जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पी० के० चौधरी : जब यहां पर २ रुपया मन घास मिलता है तो आपने ३ रु० १४ आ० मन से क्यों खरीद किया ?

श्री दौलतराम सारण : मौजूदा समय में २ रु० प्रति मन का भाव बतलाया जाता है।

श्री पी० के० चौधरी : मौजूदा समय में और उस समय में क्या फर्क है ?

श्री दौलतराम सारण : मौजूदा समय और इस समय में काफी फर्क है। पहले लूएं चलती थीं इस समय मेह बरस रहा है और काफी घास होने की संभावना है।

श्री पी० के० चौधरी : I asked-is it correct that the open market rate of grass, at Bassi and Dausa is Rs. 2/-to 2/8/- per md. at present.

श्री दौलतराम सारण : जिस समय बतलाया है उस समय की स्थिति का विवरण प्रश्न के उत्तर में दे चुका हूं।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि भोलाराम और नारायण कान्ट्रैक्टर ने ३ रु० प्रति मन का ऑफर दिया था ?

श्री दौलतराम सारण : जो कोटेशन्स उस समय इन्वाइट किये थे उनमें से कोई ऐसा नहीं था। जितने कोटेशन्स आये थे उनमें से कम हरियालदास का था।

उन्होंने २–२–५६ को ३ रु० की बात कही थी। फिर भी उनकी जांच करवाली थी और उनकी रेट्स भी ऊंची थी और वैधानिक मार्ग यह था इसलिये इसी को देना उचित समझा गया।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि डिप्टी डाइरेक्टर ने कहा था कि खर्च में ८ हजार रु० का नुकसान होता है इसलिये फ्रेश टेन्डर इन्वाइट किये जाने चाहिये ?

श्री दौलतराम सारण : इसके जवाब में मैं कह चुका हूं कि उपसंचालक द्वारा की गई सिफारिशों पर पूर्ण रूप से विचार किया गया था और घास के मौजूदा स्थिति में भावताव मालूम करने के लिये जंगलात व अकाल सहायता विभाग से भी पूछताछ की गई थी। मेसर्स हरियालदास सिन्धी ने जो भाव अपनी टेन्डर में लिखे थे वे ही सबसे कम थे और कम है इसी कारण वश उनको घास का ठेका दिया गया था।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि जंगलात विभाग ने ८००० मन घास २ रु० ६० पैसे से सप्लाई करने को कहा था ?

श्री दौलतराम सारण : यह सही नहीं है। कि जंगलात विभाग से पूछा था तो उन्होंने २.६० पैसे वहां के लिये बताये थे।

श्री पी० के० चौधरी : What was the cost quoted. Is it not correct that they quoted 2/60 N. P.

श्री दौलतराम सारण : कंडीशन हैड क्वाट पर सप्लाई देने की थी। उनके अनुसार मौके पर ३ रु० पड़ते थे।

श्री पी० के० चौधरी : Is it not correct that the cost quoted was 2/60 n. P.

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : वह घास बस्सी में लाने पर ३ रू० ६७ नये पैसे का भाव पड़ता था।

श्री पी० के० चौधरी : Is it not correct that you have arrived at this figure after adding transportation charges.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इतनी बड़ी गवर्नमेन्ट है, ८.१० हजार की बात इनके लिये क्या है।

श्री नाथूराम मिर्धा : ८. १० हजार की बात का सवाल नहीं है। बिल्कुल वाजिब था वही किया गया। जिन ठेकेदारों के नाम की वकालत आप करते है उन्होंने ५ रू. का टेन्डर दिया था।

श्री सभापति (श्री बरकतउल्लाखां) : कोई किसी की वकालत नहीं कर रहा है।

श्री पी० के० चौधरी : उन्होंने ३ रू. का टेन्डर दिया था।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको ठेकेदार गलत बता देते हैं तो भी आप उनकी लम्बी चौड़ी वकालत कर देते है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): इसमें ठेकेदार के वकालत की कोई बात नहीं है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वे बार बार उन्हीं की वकालत कर रहे हैं, हम कहते हैं उसको सही नहीं मान रहे हैं ।

श्री सभापति (बरकतुल्लाखां) : मैं समझता हूँ मंत्री जी का यह कहना उचित नहीं है कि कोई किसी की वकालत करता है (हीयर हीयर) क्वश्चन ओवर से मतलब यह है कि पब्लिक की ग्रिवेन्सेज को वेन्टिलेट किया जाय। This is a part of democracy. (हाउस में गडबड : कुछ सदस्य एक साथ बोलते हैं)

ऑर्डर ऑर्डर । कई दफा रॉंग इन्फोर्मेशन पर भी सवाल हो सकते हैं लेकिन उनका जवाब मंत्री महोदय को ठंडे दिल से देना चाहिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने जवाब के फैक्ट्स के आधार पर दिया है (गडबड) मैं इस तरह की गडबड करने से बैठनेवाला नहीं हूं । हमने कहा कि बहुत से कोटेशन्स ६. ७ आये उनमें से सबसे लोस्ट इसका था । एफ. ओ. आर. बस्सी का । इसके बाद झगडा खत्म होना चाहिये ।

श्री सभापति : अब झगडा खत्म हो गया।

श्री पी. के. चौधरी : आपको १० हजार रू. का खर्चा करने के लिये १ महीने का टेन्डर नोटिस देना चाहिये या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो कुछ किया गया वह कायदे से सही किया गया ।

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह सही है कि आपने ३०. १२. ५८ को नोटिस निकाला था और १५ जनवरी, १९५९ को मियाद खत्म करदी थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : Notice was published in Nayyug and Rajasthan Patrika on 30. 12. Last date was 15. 1. 59 upto 10. 30 and tender were opened before the Committee and it was quite correct...

श्री पी. के. चौधरी : According to Gen. Financial Rules, notice should have been published before one month's notice...

श्री नाथूराम मिर्धा : That is not applicable every where.

श्री पी. के. चौधरी : Then what is applicable here ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रूल ऑफ थंब ।

श्री सभापति : श्री मुरलीधर व्यास ।

जयपुर नगरपालिका के चुनाव और टैक्सों में वृद्धि किया जाना

४०७. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी श्री पी० के० चौधरी : द्वारा पूछा गया) क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या जयपुर नगरपालिका द्वारा कोई नये टैक्स लगाये जा रहे हैं अथवा पुराने टैक्सों में कोई वृद्धि की जा रही है ?

(२) जयपुर नगरपालिका से चुने हुए सदस्यों द्वारा त्यागपत्र देने के कारण नगर-पालिका की प्रशासनिक व्यवस्था कब की गई थी ?

(३) प्रशासनिक व्यवस्था के आधीन जयपुर नगरपालिका के चुनाव अभी तक क्यों नहीं कराये गये ? यदि कराये जाने वाले हैं तो कब तक ?

(४) क्या जयपुर नगरपालिका नगर में लाउडस्पीकर बजाने पर कोई टैक्स लेती है ? यदि हां, तो किस नियम के आधीन व किन किन आधारों पर ?

उप मंत्री (पूनमचन्द विश्नोई) : (१) नगरपालिका जयपुर द्वारा कोई नये टैक्स नहीं लगाये जा रहे हैं। ऑक्ट्राय ड्यूटी के मौजूदा शिड्यूल को व्यापारियों की सलाह से रिवाइज किया गया है।

(२) दिनांक १७. ७. ५८ से।

(३) प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(४) लाउड स्पीकर बजाने की फीस बॉइलाज लाउडस्पीकर के सैक्शन २ के अंतर्गत व्यापारिक प्रचार पर ४ रुपये की दिन लिये जाते हैं। विवाह तथा धार्मिक आदि अवसरों पर कोई फीस नहीं ली जाती।

डॉ० चन्द्रकला : (किशनपोल, जयपुर) : यह प्रश्न कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई: म्युनिसिपेलिटी के हित को देखते हुए प्रशासन को नियुक्त किया गया था जब वह समय आ जायगा और वह स्थिति आ जायगी कि चुना हुआ बोर्ड अच्छी तरह से काम कर सकता है उस समय चुनाव करा दिये जायेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी-बाजार, जयपुर) : अच्छी तरह से या बुरी तरह से के लिये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं नियुक्त हुआ था। बोर्ड ने रेज़िग्नेशन दे दिया था इसलिये एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने का सवाल आया था। अब तो प्रश्न यह है कि इलेक्शन कब कराये जा रहे है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई: जिन मामलों के कारण रेजिग्नेशन दिया उसमें म्युनिसि-पेलिटी का सवाल नहीं था। चुनाव में किसी के हित अहित का सवाल नहीं होता है म्युनिसिपेलिटी के हित को ध्यान में रखते हुए जनता चुन कर भेजे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री पी० के० चौधरी : क्या आपके ख्याल से नोरमल स्थिति नहीं आई है इस लिये चुनाव नहीं करा रहे हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : करीब करीब आने ही वाली है।

श्री पी० के० चौधरी: कब तक चुनाव करायेंगे ?

Page No.24

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : निश्चित डेट नहीं बता सकता क्योंकि एक दिन में चुनाव नहीं कराए जा सकते। नोटिफिकेशन निकालने के बाद इलेक्शन की तैयारी शुरू होगी। वेरिफिकेशन ऑफ रोइज होंगे, नोमिनेशन होगा, इलेक्शन का दिन नियत होगा तब जाकर इलेक्शन होगा।

श्री पी० के० चौधरी : नोटिफिकेशन कब होगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं समझता हूँ ६ महीनों के भीतर भीतर।

श्री हरिप्रसाद यादव : जो प्रश्नकर्ता हैं उनको इलेक्शन के अनुकूल वातावरण तैयार करना चाहिए।

श्री पी० के० चौधरी : यह जो लाउड स्पीकर पर टैक्स लेते हैं, वह सिन्दुस्तान के किसी और शहर में लिया जाता है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : हिन्दुस्तान की जानकारी पूछी नहीं। आपने जो पूछा है, उसके लिए कह दिया।

श्री पी० के० चौधरी : आप राज्य चलाते हैं तो सब की जानकारी होनी चाहिए।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हिन्दुस्तान में जोधपुर नाम का शहर है, वहां यह टैक्स लिया जाता है।

श्री पी० के० चौधरी : मैं यह जानना चाहता हूं कि किसी शहर में हिन्दुस्तान के यह टैक्स लिया जाता है ? मैं आपको जानकारी देता हूं कि हिन्दुस्तान के किसी शसर में यह टैक्स नहीं लिया जाता है। Are you prepared to reconsider the wholeissue,

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया कि हर मीटिंग पर नहीं, व्यापारिक प्रचार पर टैक्स लिया जाता है। दूसरे विवाह आदि के अवसरों पर नहीं लेते हैं।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरी, बाजार, जयपुर,): Is that fact that loudspeker is charged in the public meetings ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जब उत्तर में दिया गया है कि सिर्फ व्यापारिक प्रचार के लिए लिया जाता है. That is a question of interpretation. You should approach to the relevant authority and if they don't agree, with the Hon'ble members that matter can be remedied in the proper court.

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : पब्लिक मीटिंग को क्या आप व्यापारिक प्रचार मानते हैं ? सार्वजनिक सभा के लिए कई दफा लिया है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अगर उसमें व्यापारिक प्रचार करने लग जायँ तो।

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : क्या यह सही है कि मंत्री महोदय के अनुसार राजनितिक व्यापार है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : व्यापार का पेशा करने वाले लोगों के लिए राजनीति व्यापार हो सकती है। हम तो खेती करने वाले लोग हैं, इसलिए हो नहीं सकता।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा।

औषधि-वितरण-जिला पाली

४०८. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

पाली जिले में वार्षिक कितने रुपयों की कीमत की दवाइयां खरीदी जाती हैं ? इसका व्यौरा सन् १६५० से आज तक का सदन की मेज पर रखें। इन दवाइयों का वितरण जिले में किस आधार पर होता है ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्री भीखाभाई) : सन् १६५० से ५४-५५ तक पाली जिले के अस्पतालों के दवाइयों की संचित अनुदान से दवाइयां खरीद कर दी जाती थीं। जिले के हर अस्पताल व डिस्पेन्सरी को दी गई दवाइयों की रकम का व्यौरा अलग अलग नहीं रखा जाता था। सन् ५५-५६ से १६५८-५६ का व्यौरा निम्न प्रकार है :

१६५५-५६	१२८७३. २१ न. पै.
१६५६-५७	१४१६६. ६४ न. पै.
१६५७-५८	६६५१६. ३२ न. पै.
१६५८-५६	६४०८८. ३६ न. पै.

जिले की वार्षिक आनुमानिक व्यय निधि निश्चित हो जाने पर जिले के प्रत्येक औषधालय को उनकी निश्चित राशि के अनुसार तथा चिकित्सालय की श्रेणी तथा वहां की आवश्यकताओं के आधार पर औषधि वितरण करने की व्यवस्था है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या आपको मालूम है कि जो दवाइयां वितरित की जाती हैं, वह आवश्यकता को पूरा नहीं करतीं।

श्री भीखाभाई : यह अलग से प्रश्न है। आपने पूछा है पाली जिले में वार्षिक कितने रुपयों की कीमत की दवाइयें खरीदी जाती हैं, इन दवाइयों का वितरण जिले में किस आधार पर होता है। इस प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका हूं।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): जिन आधारों पर दवाइयों का वितरण होता है, उनमें जनता की सुविधा का आधार नहीं है।

श्री भीखाभाई : जहां जहां जितने जितने मरीज आते हैं, उनके आधार पर सहायता दी जाती है। ५० मरीज पर १ हजार, ६६ मरीज तक २ हजार और १०० से ऊपर तीन हजार। उससे अबॉव को ६ हजार दिये जाते हैं बड़े अस्पतालों में बेड्स के अनुसार सहायता दी जाती है।

श्री तेजाराम गहतोल : क्या यह सही है कि दवा का जो बजट बनता है, वह जिले-वार बनता है, डिस्पेन्सरीवाइज नहीं बनता है।

श्री भीखाभाई : मैंने अर्ज किया कि जहां जहां जिस जिले में जिस श्रेणी के अस्पताल होते हैं, उनको कन्सोलिडेट करके जिले की मंजूरी की जाती है।

श्री सभापति : श्री रामकरणसिंह।

थाना खंडेले के थानेदारों का रिश्वत के आरोपों में मुअत्तिल किया जाना

४०६. श्री रामकरण सिंह(कोटपूतली): क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.26

(श्री रामकरणसिंह)

(१) क्या यह सही है कि थाना खंडेले में कई थानेदार रिश्वत के बारे में मुअत्तिल हुए ?

(२) क्या यह सही है कि उनमें से किसी को भ्रष्टाचार विरोधी विभाग में लगाया गया है ।

उप-मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : जी नहीं । थाना खंडेले में नियुक्त केवल एक सब इन्सपेक्टर रिश्वत लेने के कारण मुअत्तिल किया गया ।

(२) जी हां ।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह माना जाय कि जो भ्रष्टाचार का अनुभव रखता है, उसे इस डिपार्टमेंट में रखा जाता हैं ?

(हंसी)

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं । उसे सस्पेन्ड किया गया, इनक्वायरी हुई, उसके बाद उसको निर्दोष पाया गया । अगर किसी को निर्दोष पाया जाय तो उसे किसी जगह लगाया जा सकता है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): किसी ने इन्क्वायरी की है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : एस. पी. सीकर ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: क्या आप उचित समझते हैं कि एक सबोर्डिनेट ने गड़-बड़ी की है तो उसके ऑफिसर से जांच करायें ?

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): उनके भ्रष्टाचार का ज्यादा अनुभव होगा ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : एस. पी. ने इन्क्वायरी की, उसके बाद जो एलीगेशन थे, वे प्रूव नहीं हुए, इसलिए उसको रीइ-न्सटेट कर दिया ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इस मामले में केवल डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी क्यों की, जब आपने उसे रिश्वत लेते हुए पकड़ा तो उसका मामला एण्टीकरप्शन डिपार्टमेंट को क्यों नहीं दिया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवे-दन किया कि प्राइमाफेसी केस तो हो, अगर वह नहीं हुआ तो एन्टीकरप्शन को मामला देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : फिर सस्पेन्ड किस आधार पर किया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सस्पेन्शन तो यों हुआ कि कुछ एलीगेशन लगाये गये थे, सर्टेन एलीगेशन लगाये गये थे, उनकी प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी हुई, उसमें निर्दोष पाया गया ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इसका मत-लब है कि किसी के खिलाफ एलीगेशन लगाने मात्र से उसे सस्पेंड कर सकते हैं ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : एलीगेशन लगने के बाद सस्पेन्ड किया जा सकता है और इन्क्वायरी की जाती है कायदे कानून के अनुसार । किसी के खिलाफ चार्ज लगा देना कि इल्लीगल ग्रेटीफिकेशन ली है. तो प्रोसीजर के अनुसार इन्क्वायरी होती है, अगर प्रूव हो जाता है तो कार्यवाही की जाती है, मामला आगे जाता है और प्रूव नहीं होता है, तो बहाल किया जाता है ।

Page No.27

श्री सभापति : मूलचन्द डागा ।

गेहूं के बीजों का जरमिनेशन व प्योरिटी परसेंन्टेज व वितरण

४६०. **श्री मूलचंद डागा** (पाली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:

(क) क्या सरकार को विदित है कि सन् १६५८-५६ में रबी फसल के समय जो गेहूँ बीज के लिए आया था उसका जरमिनेशन पर्सेन्टेज और प्योरिटी पर्सेन्टेज क्रमश: ५० व ६० था जब कि कम से कम ६० प्रतिशत जरमिनेशन और ६० प्रतिशत प्योरिटी होना चाहिए थी ?

(ख) इन दोनों सालों में कितना अनाज पंजाब से मंगाया गया ?

(ग) क्या सन् १६५८-५६ में जो बीज बोने के लिए पंजाब से मंगाया था उसको वितरण करने के पहले सरकार ने अपने फार्म में बीज बो कर प्रयोग कर लिया था ।

उप-मंत्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण): (क) हां, पंजाब से जो गेहूं आया था उसकी प्योरिटी पर्सेन्टेज ६० प्रतिशत से ६० प्रतिशत एवं जरमिनेशन ८५ से ६५ प्रतिशत तक थी।

(ख) १६५८-५६ एक ही वित्तीय वर्ष है और पंजाब से इस साल में १.४७ लाख मन गेहूं खरीदा गया था ।

(ग) पंजाब से भी ५६१ किस्म का गेहूँ मंगवाया गया था और इस किस्म पर, राजस्थान में पहले से ही प्रचलित होने की वजह से, कोई प्रयोग करने की जरूरत नहीं समझी गई ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : जो गेहूँ मंगाया था, क्या यह सही है कि सीड के पर्पज़ के लिए नहीं था, वह फ्रीज किया हुआ गेहूं था ?

श्री दौलतराम सारण : वह फ्रीज किया हुआ जरूर था और उसी में से छांट कर मंगाया गया था ।

श्री मूलचंद डागा : वह बीज के लिए काम में नहीं लिया गया तो सरकार को लोस हुआ या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग प्रश्न है ।

श्री मूलचंद डागा : १ लाख ४७हजार मन गेहूँ मंगाया और वह बीज के काम में नहीं लिया गया और वापिस गया तो उसमें सरकार को लोस हुआ या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : लोस का सवाल नहीं है, वह बीज के लिए मंगवाया गया था । हमारी जरूरत ज्यादा थी, हमको जरूरत से कम मिला, इसलिए लोस का सवाल नहीं उठता ।

श्री मूलचंद डागा : वह ठीक बीज था ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने उत्तर में निवेदन किया कि बिल्कुल टीक तो नहीं; पर ६० प्रतिशत से लेकर ६० पर्सेन्ट प्योरिटी का था, वैसे अच्छा बीज ६५ प्रतिशत से ऊपर का होता है । लेकिन जैसा भी उपलब्ध हुआ, वैसा प्राप्त किया चूंकि अपने यहां बीज की कमी थी इसलिए मंगाना पड़ा ।

श्री सभापति : श्री रामकरणसिंह ।

Page No.28

कल्याणपुरा स्कूल भवन के गर्डर्स की व्यवस्था

४११. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : क्या उद्योग व व्यवसाय मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सन् १६५६-५७ में सप्लाई मिनिस्टर ने कल्याणपुर स्कूल भवन के लिये गर्डर्स देने का जिला सप्लाई विभाग को आदेश दिया था ?

(२) यदि हां, तो आज तक स्कूल भवन के लिए गर्डर्स न देने का क्या कारण है ?

(३) सन् ५७ से आज तक किन किन को कितनी कितनी तहसील कोटपुतली में गर्डर्स दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें

(४) क्या इस अर्से में डीलर्स को फ्री सेल करने का भी अवसर दिया है ?

उप-मंत्री, उद्योग व व्यवसाय (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : सभापति महोदय, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकी है, इसलिए कुछ समय लगेगा इसे इकट्ठे करने में।

श्री सभापति : श्री श्रीभानसिंह।

भरतपुर जिले के बांधों की मरम्मत

४१२. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) (डॉ० बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया) : Will the Minister for Irrigation Department be pleased to state:

How many Bunds have been repaired this year in Rupbas and Bayana tehsils and Kumbher sub-tehsil of Bharatpur district ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री भीखाभाई) : 8 Bunds of Rupbas, 4 Bunds of Bayana Tehsil and one Bund of sub-Tehsil Kumbher have been repaired this year in Bharatpur District.

श्री सभापति : नेक्स्ट।

बाड़ी में बाईपास व सड़क का निर्माण

४१३. श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) कस्बा बाड़ी का बाई पास कब से बन रहा है तथा अब कब तक बन जायगा ?

(२) बाड़ी से सैंपऊ तथा बाड़ी से सरमथुरा की सड़क कब तक बन जायगी ?

मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) दिनांक २८-१२-१६५७ से। आशा है सन् १६६० तक।

(२) सन् १६६०-६१ तक बनाने की योजना है।

प्रश्न संख्या ४१४.

श्री सभापति : श्री मोगजी भाई।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला।

फायर स्टेशन– जयपुर

४१५. डॉ० **चंद्रकला** (किशनपोल-बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर नगरपालिका के अन्तर्गत कितने फायर स्टेशन हैं और वे कहां कहां स्थित हैं ?

(ख) क्या इन स्टेशनों पर सभी आवश्यक सामान पर्याप्त मात्रा में मौजूद है ?

(ग) भारत सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक फायर स्टेशन पर किन किन चीजों का कितनी मात्रा में होना अनिवार्य है ? सूची देने की कृपा करें ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (क) जयपुर नगरपालिका के अन्तर्गत एक फायर स्टेशन है जो इस समय अजमेरी दरवाजे बाहर मिर्जा इस्माईल रोड पर स्थित है ।

(ख) जी हाँ, ।

(ग) सूची सदन की मेज पर रखवा दी गई है । मात्रा हर क्षेत्र की आवश्यकता पर निर्भर रहती है । जयपुर शहर के फायर स्टेशन पर सब मुख्य चीजें उपलब्ध हैं ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

डॉ० चंद्रकला : जयपुर का यह फायर स्टेशन जयपुर के आसपास के दूसरे स्थानों के लिए भी काम में आता है तो क्या ऐसी दशा में यह एक फायर स्टेशन काफी है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : यह जयपुर के लिए ही है और यह जयपुर के लिए काफी है ।

डॉ० चंद्रकला : तो क्या यह माना जाय कि जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में यह काम नहीं करता है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : कोई ऐसी इमर्जेन्सी हो और जयपुर में उस समय इसकी आवश्यकता नहीं तो आसपास के क्षेत्रों में भी भेजा जाता है, पर यह जयपुर के लिए है और जयपुर के लिए काफी है ।

डॉ० चंद्रकला : तो क्या यह फायर स्टेशन कम नहीं है क्या ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : आस पास में जरूरत रहती है तो म्युनिसिपेलिटी का है, आस पास में आग लग सकती है. तो और रखें पर यह जयपुर शहर के लिए है और काफी है ।

डॉ० चंद्रकला : निर्धारित सूची में से कौन कौन सा सामान फायर स्टेशन पर है और कौन कौन सा नहीं है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : जो आवश्यक है वह सब है, आप कोई कमी महसूस करती हों तो वह बता दें ।

डॉ० चंद्रकला : भारत सरकार ने जो फायर स्टेशन के लिए सूची निर्धारित की है और आपने तीसरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि मुख्य मुख्य चीजें उपलब्ध हैं तो क्या भारत सरकार ने जो सूची दी है, उस सूची में

Page No.30

(डॉ० चन्द्रकला)

काटब्लांट करके आप अपनी तरफ से आवश्यक चीजें रखते हैं ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : फायर ब्रिगेड के लिए जो भारत सरकार ने सूची निर्धारित की है तो वहां हारवर्स, सात सात, आठ आठ, मंजिलों के मकान इन सब बातों को निगाह में रखकर चीजों की सूची निर्धारित की है, अपने यहां वे कहां हैं। इसके अलावा आप और कोई इक्विपमेंट जरूरी समझती हों और वह यहां नहीं हो तो बता दें।

डॉ० चंद्रकला : सूची में नं० ६ और ११ पर दिया है केन्टीन वान्स और इमर्जेन्सी टेन्डर्स अपने फायर स्टेशन पर हैं क्या ?

श्री पूनमचद बिश्नोई : आवश्यक है नहीं, यह मैं कह नहीं सकता, जरूरी जो सामान हो तो वह आप बतादें, मंगा लेंगे।

श्री सभापति : श्री श्रीभानसिंह।

भरतपुर जिले में डेरी फार्म्स प्रारम्भ करने हेतु ऋण

४१६. श्री श्रीभानसिंह (बयाना-डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया): Will the Minister for Agriculture please state--

1. How many people in Bharatpur District have taken loan for Starting dairy farms? Please give names and the sum given to each.

2. Has the loan amount been utilised and if so, how many cows and buffaloes have they got and of which breed and of what price each is?

3. Which officer certifies the existence and ownership of the cows and buffaloes with the person or persons who have taken loan for the purpose?

उप-मंत्री कृषि (श्री दौलतराम सारण) : (१) इस विभाग के अन्तर्गत अभी ऐसी कोई स्कीम नहीं है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सभापति : डॉ० बहादुरसिंह।

जनरल हॉस्पिटल, उदयपुर

४१७, डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) जनरल हॉस्पिटल, उदयपुर के इन्डोर पेशेन्ट को दूध देने के लिये आजकल दूध किस व्यक्ति से प्राप्त किया जाता है ?

(२) यदि दूध किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से प्राप्त किया जाता है तो उक्त सोसाइटी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के क्या क्या नाम हैं ? एग्रीमेंट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या दूध किसी डेयरी से भी प्राप्त किया जाता है ? यदि हां, तो उक्त डेयरी किस व्यक्ति की है ?

Page No.31

(डॉ० बहादुरसिंह)

(४) क्या मरीजों को दूध देने के संबंध में किसी विज्ञापन द्वारा टेन्डर्स मांगे गये थे ? यदि हां, तो सबसे कम टेन्डर किसने दिया टेन्डर की सूची प्रस्तुत की जाय।

(५) क्या प्रतिदिन हॉस्पिटल में लिये जाने वाले दूध की जांच करने के लिए कोई विशेष अधिकारी नियुक्त किया हुआ है ? यदि हां, तो उसकी जांच की रिपोर्ट माह जून और जुलाई की प्रस्तुत की जाय।

उप-मंत्री, (श्री भीखाभाई) : (१) श्री कृष्ण दूध उत्पादक सहकारी समिति साबिन खेड़ा से जनरल अस्पताल उदयपुर के इन्डोर पेशेन्ट्स के लिये दूध लिया जाता है।

(२) पदाधिकारियों व सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :

१. श्री कालूरामजी   प्रेसिडेन्ट

२. श्री किशनसिंहजी   वाइस प्रेसिडेन्ट

३. श्री गम्भीरलालजी   ....

डॉ० बहादुरसिंह : नाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं हमारे पास सूची है।

श्री भीखाभाई : अभी तक एग्रीमेंट नहीं भरा गया है।

(३) जी नहीं :

(४) जी हां। जिन्होंने टेन्डर दिये उनका विवरण निम्नलिखित है :

१. श्री कृष्ण डेयरी फार्म
गोवर्धन विलास   ७० न. पै.

२. गोविन्द कोऑपरेटिव
दूध भंडार कुन्हल   ७० न. पै.

३. श्री कृष्ण दूध उत्पादक सहकारी समिति
साबिनखेड़ा   ७५ न. पै.

(५) जी हां, माह जुलाई १९५६ की जांच की रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है। माह जून की रिपोर्ट इसलिये प्रस्तुत नहीं की गई है क्योंकि सम्बन्धित सहकारी समिति ने जुलाई से ही दूध देना आरम्भ किया है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सही है कि इसके टेन्डर दो बार काल किये गये थे ?

श्री भीखाभाई : इस प्रकार की जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभ नगर सु-): क्या यह सही है कि जिन लोगों के टेन्डर अस्वीकार किये और समिति का टेन्डर स्वीकार किया वह इस वजह से किया कि उन लोगों के टेन्डर समिति के माफिक नहीं थे, जो समिति ने टेन्डर दिया वह सबसे गिरी हुई रेट का था। इसलिये समिति का टेन्डर स्वीकार किया गया। जिन माननीय सदस्य ने यह प्रश्न रखा है...

श्री पी० के० चौधरी : आन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर सर...

श्री हरिप्रसाद यादव : जिन माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है...

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर। जब कोई पोइन्ट ऑफ आर्डर उठाया जाय तो

Page No.32

(श्री सभापति)

माननीय सदस्य बैठ जांय और सुने कि पोइन्ट ऑफ आर्डर क्या है ? येस ।

श्री पी० के० चौधरी : The question should be replied by the Hon'ble Minsiter and not by a member.

श्री हरिप्रसाद यादव : फिर भी चेयरमैन महोदय, मैं कर सकता हूं...

एक माननीय सदस्य : सप्लीमेंटरी सवाल या जवाब ?

(हंसी)

श्री पी०के० चौधरी : ये किस पोर्टफोलियों के मिनिस्टर हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): क्वेश्चन ४ के उत्तर में....

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय सभापति महोदय, मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं, जो कम रेट की होती है उसके अफसर लोग स्वीकार करते हैं, तो माननीय सदस्य ने जो यह प्रश्न रखा है....

श्री सभापति : मैं आपकी बात समझ गया।

श्री हरिप्रसाद यादव : हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं....

श्री सभापति : मैं आपकी बात समझ गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न चार के उत्तर में बताया गया है कि श्री कृष्ण डेयरी फार्म गोवर्धन विलास ने ७० नं. पै. के टेन्डर दिया। गोविन्द कॉओपरेटिव दूध भंडार कुन्हल ने ७० न. पै. का टेन्डर दिया और श्री कृष्ण दूध उत्पादक सहकारी समिति साबिनखेड़ा ने ७५ न. पै. का टेन्डर दिया तो उपरोक्त दो के ७० न. पै. के टेन्डर थे उनको स्वीकार न करके ७५ न. पै. वाला टेन्डर क्यों स्वीकार किया गया ?

श्री भीखाभाई : मुख्य कारण यह है कि टेन्डर में शर्तें हैं, उनमें पर्सेसेन्टेज मुकर्रर किया गया था कि फेट वाला बफेलो मिल्क ५ प्रतिशत, मिक्स्ड ४.५ बफेलो का नोन-फेट का ६ पर्सेन्ट मिक्स्ड नोट लेस देन ८.५ पर्सेन्ट। दो दूसरी संस्थाएं थीं उन्होंने कहा कि फेट का सेंट परसेन्ट स्वीकार है। नॉनफेट के सम्बन्ध में उन्होंने इन्कार कर दिया इसलिये सहकारी समिति का टेन्डर स्वीकार किया गया।

श्री पी० के० चौधरी : टेन्डर मांगा तो क्या सेंपल भी दूध का आपने मंगाया था ?

श्री भीखाभाई : सेंपल की तो जानकारी नहीं है पर जो टेन्डर नोटिस इश्यू हुआ था उसमें इस प्रकार की सूचना छापी गई थी और उसके अनुसार टेन्डर भरे थे, इन शर्तों को रख दिया था। उन्होंने नॉनफेट के बारे में कहा कि यह हमारे पास संभावना नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टेन्डर कौन सी तारीख को मंगाया गया ?

श्री भीखाभाई : यह तो राज्यपत्र में छपा हुआ है, वहां का स्थानीय एक पत्र है उसमें भी छपा था।

Page No.33

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो तारीख सूचना चाहता हूं कि फर्स्ट बार मांगे गये, सेकिन्ड बार मांगे गये या थर्ड बार मांगे गये ?

श्री भीखाभाई : इस वक्त मेरे पास यह जानकारी नहीं है। नोटिस छपा था, तीन आदमियों ने टेण्डर दिये थे, जो कन्डिशन्स हैं वे मैंने बता दी हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि इससे पहले भी दो बार टेण्डर मांगे गये थे और जिनको देना था उनका नाम उनमें नहीं था इसलिये उनको देने के लिये यह तीसरी बार टेण्डर काल किये गये ?

श्री भीखाभाई : मुझे इस प्रकार की जानकारी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जिसको ठेका दिया गया उसने एग्रीमेंट नहीं भरा है ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि अभी टेण्डर नहीं भरा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जिसने दूध सप्लाई किया है, जोजाई की रिपोर्ट आई है, उसमें फेट का पर्सेंटेज एग्रीड अपोन था उससे कम है ?

श्री भीखाभाई : टेस्ट की रिपोर्ट की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है, प्रेस्क्राइव्ड पर्सेन्टेज के नीचे दिया हो तो उसका पैसा कट जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि ३० दिन में से १२ दिन पर्सेन्टेज कम रहा है, ४० पर्सेन्टेज रहा है।

श्री भीखाभाई : यह नहीं है सूची मेरे पास है, आपके पास भी....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सूची मेरे पास भी है, इसमें दिया हुआ है....

श्री भीखाभाई : यह नहीं है आप कम्पेअर कर लीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितना पर्सेन्टेज ऑफ फेट तय हुआ था ?

श्री भीखाभाई : अगर सारा विस्तार चाहते हैं तो पढ़ कर देख लें, कुल ४ बार फटा है।

श्री पी० के० चौधरी : २६ का फटा कि नहीं फटा ?

श्री सभापति : Question hour is Over.

सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेन्ट है। यह था कि अर्नेस्ट मनी के ३,००० रुपये जमा करायेगा और इन्कम टैक्स के क्लीयरेंस का सर्टिफिकेट देगा उसी का टेण्डर स्वीकार किया जायगा तो इस पर्टिक्यूलर केस में न अर्नेस्ट मनी जमा कराया गया है और न इन्कम टैक्स क्लीयरेंस का सर्टिफिकेट ही पेश किया गया है, फिर कैसे इसका टेण्डर स्वीकार कर लिया गया ?

श्री भीखाभाई : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

[प्रश्नकाल में समयाभाव के कारण न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तरों के लिए कृपया परिशिष्ट ४ देखिए]

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कालाखो बांध

१. **श्री प्रभुदयाल पुरोहित** (लालसोट): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि वर्षा के समय प्रतिवर्ष कालाखो बांध के टूट जाने से यातायात अवरुद्ध हो जाता है ?

(२) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्य किया ?

(३) क्या सरकार आवागमन को चालू रखने के लिए बरसाती बांध का पानी ऊफरा द्वारा निकालने के लिए पुल बनाने का विचार रखती है।

(४) यदि हां, तो पुल कब तक बन जावेगा ?

उत्तर :

१. ऊफरा (waste weir) से अधिक पानी आने पर यातायात में कठिनाई हो जाती है।

२. इंजीनियरों से राय ली जा रही है।

३. प्रस्ताव विचाराधीन है।

४. अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में आयुर्वेद शिक्षा तथा औषधालय

२. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या आयुर्वेद के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना हेतु कोई अलग समिति नियुक्त की गई है ? यदि हां, तो उसमें कौन कौन है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(२) तृतीय पंचवर्षीय योजना हेतु सरकार आयुर्वेद की शिक्षा, औषधालय आदि में कितना रुपया व्यय करने का इरादा रखती है ?

उत्तर :

१. प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

२. प्रश्न विचाराधीन हैं।

दौसा-हिण्डौन-भांडारेज सड़क पर अस्थाई पुलिये

३. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि दौसा-हिण्डौन रोड़ से भांडारेज तक गई सड़क पर कई नाले आते हैं।

(२) उक्त सड़क की पुलियों के अस्थाई निर्माण में सरकार ने अब तक कितना पैसा खर्च किया ?

(३) क्या यह सच है पुलिया नहीं होने से सड़क कट जाती है और यातायात व्यवस्था भंग हो जाती है ?

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

(४) यदि हां, तो उक्त सड़क के सभी नालों पर कब तक पुलियाऐं बन जावेंगी ?

उत्तर :

१. दो नाले आते हैं

२. कुछ भी नहीं.... ।

३. जी नहीं.... ।

४. प्रश्न नहीं उठता... ।

युनानी औषधालयों का अभाव

४. श्री बरकतुल्लाखाँ (जोधपुर): Will the Minister for Health Department be pleased to state:—

(1) The number of (a) Ayurvedic and (b) Unani.

(i) Hospitals

(ii) Dispensaries

Opened during each of the past 10 years since the formation of Rajasthan in March, 1949 ?

(2) The total number of (a) Ayurvedic and (b) Unani

(i) Hospitals and

(ii) Dispensaries,

Working at the end of 1958-59 and explain the reasons for the extremely small number of Unani dispensaries as compared with the number of Ayurvedic hospitals and dispensaries ?

(3) The total sanctioned budget estimates under head (a) Ayurvedic and (b) Unani at the.

(i) Formation of Rajasthan in March, 1949.

(ii) At the end of 1958-59. and explain the reasons for the remarkably low amounts spent on Unani treatment ?

(4) The total number of patients treated by the (a) Ayurvedic and (b) Unani Hospitals and dispensaries during each of the past 3 years, 1958-59, 1957-58 and 1956-57 ?

(5) The percapita expenditure on the treatment of (a) Ayurvedic and Unani patients during each of the aforesaid years and explain the reasons for the difference between the two ?

(6) The name of the places from which requests for the opening of new Unani dispensaries were received during the past 3 years the action taken thereon and the reasons for non-acceptance of the request ?

B. Will he also give separate figures of (a) Ayurvecic and (b) Unani

(i) Indoor hospitals.

(ii) Pharmacies,

Page No.36

(श्री बरकतुल्लाखां)

(iii) Training centres and the number of nurses and compounders trained for each branch of indigenous medicine,

(iv) Research centres and reasons for the absence of any research centre for Unani,

(v) colleges. run wholly by Government or receiving aid from Government, and

(vi) Institutions and practitioners receiving aid from Government.

C. Will the Minister please state whether it is a fact that in contravention of a policy decision taken in the past, persons who have no knowledge of the Unani system of medicines are being apponited. either by fresh recruitment or by transfer, to work as Hakims or compouuders of Unani medicine and that Unani medicines are being prepared under the supervision of persons who know nothing about Unani medicines and what steps he proposes to take to remedy this state of affairs and whether he would consider the advisiability of immediately appointing either a separate Director, paid or honorary for Unani dispensaries, or lat east a Dy. Director who may look after the interests of the Unani system of medicine.

D. Will the Minister please also state what steps he proposes to take to remove the general impression that althouch both the Ayurvedic and Unani systems of medicines is not receiving fair treatment at the hands of the Rajasthan Government and how he proposes to remove imbalance and make the Unani system of medicine available for the largest possible numbr of persons who prefer that system of treatment ?

उत्तर

अ. १. राजस्थान का एकीकरण १-४-५० से हुआ है तब से लेकर वर्ष १६५८-५६ तक आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के जितने औषधालय जिस २ वर्ष में खुले हैं उसकी तालिका निम्नांकित है।

वर्ष

५०.५१,५१.५२,५२.५३,५३.५४,५४.५५,५५.५६,५६.५७,५७.५८,५८.५६

हॉस्पीटल्स

अ. आयुर्वेद :	—	१	—	—	—	—	—	२	—
यू ब. नानी :	—	—	—	—	—	—	—	—	—

डिस्पेन्सरीज

अ. आयुर्वेद :	—	२	—	३१	३४	७१	८२	३६	२७
ब. यूनानी :	—	—	—	५	३	१	१	१	—
योग	—	३	—	३६	३७	७२	८३	४२	२७

२. आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की संख्या वर्ष १६५८-५६ के अन्त में क्रमशः निम्न रही है।

	आयुर्वेदिक	यूनानी
अ. हॉस्पीटल्स	११	२
ब. डिस्पेन्सरीज	६१४	१६
योग	६२५	१८

राजस्थान निर्माण से लेकर अब तक यूनानी औषधालय द्विगुणित हो चुके हैं। यहां यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि औषधालय वर्ष १६५५-५६ तक जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए ही राज्याज्ञानुसार खोले गये थे और वर्ष १६५६-५७ से द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत नवीन औषधालय सभी जिलों में प्रायः सम्बन्धित जिला विकास समितियों की सिफारिश पर खोले जा रहे हैं। आयुर्वेदिक औषधालय की तुलना में यूनानी औषधालयों की मांग नहीं के बराबर है। इस योजना में वर्ष १६५८-५६ तक १४२ औषधालय खुल चुके हैं जिसमें से दो स्थानों पर विशेष रूप से जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए यूनानी औषधालय खोले गये हैं अन्यथा किसी जिले से यूनानी औषधालय हेतु जिला विकास समिति की सिफारिश नहीं आई।

३. आयुर्वेदिक एवं यूनानी का स्वीकृत बजट :

	आयुर्वेदिक	यूनानी
अ. राजस्थान एकीकरण के समय		
वर्ष १६५०-५१	८,६८,८४५ अनुमानिक	३५,८४२ अनुमानिक
ब. वर्ष १६५८-५६ के अन्त में	२३,०४,१००	८३,३००

अन्तर के बारे में स्थिति प्रश्न २ के उत्तर में पूर्णतः स्पष्ट की जा चुकी है। चिकित्सालयों की कमी के कारण बजट भी तदनुरूप है।

४. पिछले तीन वर्षों में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति द्वारा जितने रोगियों की चिकित्सा हुई उसकी अनुमानिक संख्या निम्नांकित है :

वर्ष	आयुर्वेदिक	यूनानी
१६५८–५६	६३,६४,७३२	३,२५,२४०
१६५७–५८	८५,४८,०२६	४,१५,४७०
१६५६–५७	७२,३४,०८३	३,२४,६०८

५. इन तीनों वर्षों में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा के रोगियों की चिकित्सा व्यवस्थार्थ निम्नानुसार बजट स्वीकृत हुआ है।

वर्ष	आयुर्वेदिक	यूनानी
१६५८–५६	२३,०४,१००	८३,३००
१६५७–५८	१६,२६,३००	७७,७००
१६५६–५७	१३,५८,८५०	६४,१५०

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के रोगियों पर समान रूप से ही व्यय स्वीकृत किया जाता है। दोनों चिकित्सों पद्धतियों में किसी प्रकार का भेद नहीं अपनाया जाता। दोनों चिकित्सा पद्धतियों में प्रतिरोगी व्यय दर प्रायः समान है जो लगभग २० नये पैसे प्रति रोगी प्रति वर्ष होती है।

६. पिछले तीन वर्षों में बाडमेर, आदर्श नगर (जयपुर) टोडाभीम (सवाई माधोपुर) अजमेर, कानिया (अजमेर) आदि ५–६ स्थानों से यूनानी दवाखाने हेतु मांगें आई हैं। ये सभी स्थान प्रायः बड़े नगर हैं जहाँ अन्य चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत नवीन औषधालय सम्बन्धित जिला विकास समितियों की सिफारिश पर चिकित्सा अभाव ग्रस्त क्षेत्र में खोले जा रहे हैं अतः इन प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं हो सका और उन्हें नियमित उत्तर यथासमय दिये गये।

(बी) आयुर्वेदिक एवं यूनानी के सम्बन्ध में वांछित आंकड़े पृथक २ निम्नानुसार है :

आयुर्वेदिक	यूनानी
३	जयपुर आयुर्वेदिक फार्मेसी के अन्तर्गत ही यूनानी औषधियों के निर्माणार्थ
४	पृथक शाखा व्यवस्थित है तथा औषध निर्माण को समृद्ध बनाने के लिये अब इन चारों फार्मेसियों को अजमेर में एकीकृत किया जा रहा है।

वर्तमान में आयुर्वेद कालेज उदयपुर में ऐसा ट्रेनिंग सेन्टर चल रहा है जिसमें कुल २६० प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले चुके हैं। वहां आयुर्वेदिक एवं यूनानी दोनों चिकित्सा

Page No.39

पद्धतियों का सम्मिलित प्रशिक्षण मिलता है कोई पृथक व्यवस्था नहीं है। इससे उनका उपयोग दोनों चिकित्सा पद्धतियों के लिए आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

आयुर्वेदिक	यूनानी	
२	—	: राज्य द्वारा संचालित।
४	१	: राज्य द्वारा सहायता प्राप्त।
५३	—	: राज्य द्वारा सहायता प्राप्त संस्थायें।
४६	—	: राज्य द्वारा सहायता प्राप्त चिकित्सा व्यवसाई।

राज्य सरकार द्वारा सहायता देने के लिये विशेष नियम बनाये गये हैं जो वैद्य, हकीम या संस्था उस नियम के अन्तर्गत होते हैं, सरकार उनको ही सहायता प्रदान करती है।

(सी) यह तथ्य निराधार है कि यूनानी के अविशेषित व्यक्ति हकीम अथवा कम्पाउण्डर नियुक्त किये जाते हैं तथा यूनानी औषधियाँ यूनानी चिकित्सा के नहीं जानने वाले बनाते हैं। यूनानी औषधियों का निर्माण कार्य यूनानी का विशेषित व्यक्ति ही प्रारम्भ से कर रहा है और हम औषधियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। अतः यूनानी औषधालयों के लिये पृथक उपसंचालक अथवा संचालक नियुक्त करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ड) यह प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता कि यूनानी चिकित्सा विज्ञान को प्रोत्साहित करने में सरकार द्वारा भेदपूर्ण व्यवहार किसी भी दशा में होता है जब कि जनता की मांग के अनुसार यूनानी दवाखाने खोलने की व्यवस्था की जाती है। यदि जनता की अभिरुचि हो तो अधिक यूनानी दवाखाने खोलने जा सकते हैं।

भांडारेज-लालसर-उकाली सड़क का निर्माण

५. श्री प्रभुदयाल पुरोहित (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सन् १९५३ में भांडारेज से लालसर उकाली होती हुई सड़क बनाने का निर्णय सरकार ने किया था।

(२) क्या यह सच है कि उक्त सड़क भांडारेज से दो मील तक ही बना कर बीच में छोड़ दी गई व लांका से गढ तक ४ मील तक का टुकड़ा सरकार ने बना रखा है और बाकी ६ मील का टुकड़ा अब तक अधूरा पड़ा है?

(३) उक्त सड़क का ठेका किस ठेकेदार को कब दिया गया था व कार्य की पूर्ति नहीं होने पर सरकार ने उक्त ठेकेदार के खिलाफ क्या कदम उठाया?

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

(४) अब उक्त सड़क कब तक तैयार हो जावेगी ?

उत्तर :

१. जी नहीं।

२. जी हां।

३. दिसम्बर सन् १६५५ से। कार्य पूरा होने पर कानूनी कार्यवाही की जायगी।

४. वर्ष १६६०-६१ में सामाप्त होने की योजना है।

ग्राम निर्भरणा, तहसील लालसोट में औषधालय

श्री प्रभुदयाल पुरोहित : (लालसोट): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सन् १६५८ में जिला विकास परिषद् District Develcpment Board) की बैठक में लालसोट तहसील के ग्राम निर्भरणा में औषधालय खोलने का निर्णय लिया गया था ?

(२) उक्त ग्राम की जनता द्वारा औषधालय भवन बना दिये जाने पर भी जिला बोर्ड या सरकार द्वारा कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

(३) अब उक्त औषधालय भवन में वैद्य कब तक भेजा जावेगा।

उत्तर

(१)जी हां। सन् १६५८में जिला विकास परिषद् की बैठक में लालसोट तहसील के ग्राम निर्भरणा में जिला बोर्ड द्वारा औषधालय खोलने का निर्णय लिया गया था।

(२)चूंकि जिला बोर्ड अक्टूबर सन् १६५६ में समाप्त हो रहे हैं इसलिये वे कोई नया खर्चा आगे करने को तैयार नहीं है।

(३)प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

लालसोट गंगारोड़ से बिनोरी तथा मंडावरी से खुर्रा तक सड़क

श्री प्रभुदयाल पुरोहित (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) लालसोट गंगारोड पर बिनोरी व मंडावरी से खुर्रा तक क्या उक्त क्षेत्र की जनता द्वारा मांग की गई थी ?

(२) क्या उक्त सड़क के टुकड़ों के लिये टेन्डर दिये जा चुके हैं ?

(३) यदि हां, तो उक्त सड़क कब तक बन कर तैयार हो जावेगी ?

उत्तर :

(१)माननीय सदस्य की ओर से मांग की गई थी।

(२)जी नहीं। यह सड़क अभी योजना में स्वीकृत नहीं है.

(३)प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): आपने टेन्डर की शर्तों में लिखा है कि २००० रुपये डिपोजिट है मगर इसमें आपने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उन शर्तों को पूरा नहीं कराया। मैं यह कहूँगा कि सिर्फ इसमें रोशनलाल शर्मा इन्ट्रेस्टेड हैं इसलिये उनको दिया गया और इसी वजह से तीन बार टेन्डर इन्वाइट किया गया और कैन्सल किया गया।

श्री भीखाभाई : जो सिक्योरिटी और इनकम टैक्स आदि का प्रश्न है वह सरकार के विचाराधीन है। प्राथमिकता देने के लिये सिक्योरिटी क्लॉज को रिलेक्शन किया जा सकता है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : पहले आपने ७ टेन्डर में प्रोवीजन रखा था...

श्री भीखाभाई : आपने कहा कि पहले टेन्डर नोटिस दिये इसकी मुझे सूचना नहीं है। जो कन्डीशन्स टेन्डर नोट में दी उसे स्वीकार नहीं किया गया।

डॉ० बहादुरसिंह : अनेस्ट मनी जमा नहीं कराये या दूसरे इन्कम टैक्स के साथ था। आपने कहीं नोटिस दिये थे।

श्री भीखाभाई : यह फाइनेन्स से संबन्ध रखता है। इसका मेडिकल से कोई संबन्ध नहीं है।

श्री सभापति : Question Hour is over now.

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९५९

(प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक पर अग्रेतर खण्डशः विचार विमर्श)

इससे पहले कि राजस्थान समिति और जिला परिषद् के बिल पर बहस जारी रखें, मेरे सामने एक प्रश्न आया है जिसे मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूँ। इस बिल पर बहस करने के लिये बिजनेस एडवाइजरी ने ६ दिन का समय रखा था। आज दो दिन पूरे हो गये हैं और अब तक हम लोग ६ धारा ही पर बहस कर रहे हैं। अब तक ६ क्लॉज तक पहुंचे हैं। इसके लिये या तो यह किया जावे कि अब तक जिस प्रकार बोलते आ रहे हैं उसी प्रकार बोलने की इजाजत चलती रहे और जो भी चाहें उतना वक्त ले लें और आखिर में गुलेटीन एप्लाई कर लिया जावे जो क्लॉजेज रह जावें या स्पीचेज के लिये समय मुकर्रर किया जावे और जिन माननीय सदस्य का अमेंडमेंट हो उन्हें १० मिनिट बोलने दिया जाए। इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि हाउस अपनी राय दे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, इतना इम्पोर्टेन्ट बिल है कि इसके लिये कुछ समय और बढ़ाया जावे और ६ दिन के बजाय १० दिन दिये जावें इस बिल के बाद आपके पास केवल सीलिंग का ही लेजिस्लेशन रह जाता है और दूसरा कोई नहीं रहता। इसलिये इस बिल पर बोलने के लिये लोगों को पूरा समय दिया जावे।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, दस दस मिनिट उनको दिये जावें जिनका अमेंडमेंट हो और जिनके दो अमेंडमेंट हो उनको ५ मिनिट अधिक दिये जावें।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The time may be extended and the matter may be refrred back to Business Advisory Committee to re-consider it.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : सभापति महोदय, अगर इसके लिये समय भी एक्सटेन्ड कर देंगे और फिर भी समय को रेगुलरेट नहीं करेंगे तो यह खत्म होनेवाला नहीं है। इसलिये कुछ डेट डालकर इसको समाप्त किया जाना चाहिये।

श्री सभापति : प्रश्न सबसे बड़ा यह है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो हाउस की बनी है उसकी यह जिम्मेदारी होती है कि वह हरएक बिल के लिये समय मुकर्रर कर दे और जब तक कोई ऐसी हालत पैदा न हो जावे कि समय को बढाना जरूरी हो तब तक बिजनेस एडवाजरी कमेटी के काम को अपने पर हाउस नहीं लेता है। इसके अलावा बोलने के लिये अनलिमिटेड समय नहीं दिया जावे ! अगर हम यह तय कर लें कि एक दिन या दो दिन बढावें भी तो भी लिमिट तो हमें रखनी होगी। या तो इसके लिये आप समय निश्चित कर लें कि इतने मिनिट तक बोला जाय या ऐसा तय कर दें कि बाद में जो भी क्लॉजेज बचेंगे उन पर गुलेटीन लगा दिया जाएगा इसके लिये तैयार रहना चाहिये।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : गुलेटीन लगाने के बजाय तो यह अच्छा होगा कि समय ही निश्चित कर दिया जाए कि इतने समय तक ही बोलें। अन्यथा यह होगा कि कोई घन्टे घण्टे भर बोलते जावेंगे और किसी को बोलने के लिये वक्त ही नहीं मिलेगा और वे बोलने के लिये ताकते ही रह जावेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा (मंत्री, सहकारी) : मेरे ख्याल से ७ मिनिट अमेन्डमेंट रखा है उसको बोलने के लिये उचित होंगे।

श्री चंदनमल वैद्य (सरदार शहर) : आधा मिनिट ही उचित होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप आधे मिनिट में बोल सकते हैं तो ठीक है। ७ या ८ मिनिट ठीक रहेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह : एक अमेन्डमेंट के लिये १० मिनिट और दूसरा अमेन्डमेंट हो तो उसको ५ मिनिट और दिये जावें।

श्री सभापति : तो क्या मैं यह समझूं कि हाउस की यह राय है कि एक अमेन्डमेंट के लिये १० मिनिट का समय दिया जावे और एक से अधिक हो तो फी एमेन्डमेंट ५ मिनिट और दिये जावें।

श्री० पी० के० चौधरी : The matter may be referred back to the Business Advisory Committee to re-consider it.

श्री सभापति : दूसरे बोलने वाले माननीय सदस्य हैं उनको ५ मिनिट रहेंगे।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : १० मिनिट।

श्री तनसिंह : अमेन्डमेंट रखनेवाला सदस्य तो एक बार ही बोलेगा और दूसरों को ही समय दिया जाए।

श्री सभापति : तो फिर यह समझा जावे कि १० मिनिट का समय दे दिया जावे और बाकी चेयर डिसक्रिशन पर छोड़ दिया जावे।

श्री पी० के चौधरी : No Sir, the matter may be referred back to the Business Advisory Committee to reconsider it.

Page No.43

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) बिजनेस एडवाइजरी कमेटी अभी....

श्री नाथूराम मिर्धा (मंत्री, सहकारी विभाग) : सभापति महोदय ने रूलिंग फर्मा दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने ६ दिन का समय रखा है। चार दिन के बाद अगर आवश्यक समझें तो दो घंटों के लिये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई जा सकती है।

श्री सभापति : इसमें ७७ क्लॉज हैं। अभी ६ क्लॉज पर चल रहे हैं। अभी से समय का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम उन सदस्यों के साथ फेअर नहीं रहेंगे और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ऑनरेबल डिप्टी-स्पीकर की एडवाइस से कॉल कर सकते हैं। वे बुला सकते हैं। फिलहाल मैं डिबेट को रेगुलेट करने के लिये निवेदन करूंगा कि १० मिनिट तक माननीय सदस्य बोलें।

श्री तेजाराम।

श्री तेजाराम (सोजत) : सभापति महोदय, मैं मेरे संशोधन पेश करने के बाद में जो खंड ६ के उपखंड (२) में सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। क्लॉज ६ (२) उपखंड (२) में यह है कि कृषि निपुण को पंचायत समिति चुनेगी जो पहले नम्बर का कृषक होगा और जिला परिषद के द्वारा वह मुकर्रर किया जावेगा। इसके पीछे यह भावना है कि ग्रामवासियों में इस तरह की भावना पैदा हो कि हम में से जो आदमी अच्छा कृषक होगा और ज्यादा धान पैदा करेगा। उसको उस विकास के कार्य में भाग लेने के लिये हिस्सा मिलेगा। यह उन लोगों में एक प्रकार से जाग्रति पैदा करने की भावना है और इससे विकास खंड की पैदावार बढ़ने की संभावना है। जैसा उन्होंने बताया कि वहां पर विकास के कार्य के लिये खंड में टेक्नीशियन्स होंगे और उनकी राय से विकास समिति काम कर सकती है। मगर मैं यह कहूंगा कि अगर उनसे गांवों के विकास कार्य अच्छी तरह से हो सकते थे तो फिर पंचायत समितियों को कायम करने की जरूरत ही नहीं थी। इसलिये जितना विकास गांवों का सरकार करना चाहती है वह बिना गांव वालों के सहयोग के नहीं हो सकता है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि अधिक धान पैदा करने के लिये लोगों को प्रोत्साहन देने के लिये इस प्रकार के कृषि निपुण का उसमें होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त हमने धारा ६ (१) में ऐसे दो आदमियों को कोऑप्ट करने का प्रावधान रखा है जो उस इलाके में डेवलपमेंट की दृष्टि से पंचायत समिति लेना उचित समझती हो क्योंकि जो जो कार्य हमने करने के लिये दिये हैं उसमें फैसला करने की बात सरपंच के हाथ में रखी है। यह नहीं हो सकता कि जो सरपंच होता है वह एडमिनिस्ट्रेशन और स्वास्थ्य के सभी बातों में निपुण हो इसलिये इसमें सिर्फ पंचायत समिति यह चाहती हो कि ऐसे लोगों का सहयोग लिया जाए तो ले।

तो, इसतरह का प्रावधान रखा है। पंचायत समितियों के सदस्य जिन आदमियों कोउपयुक्त समझते हैं, चाहे ब्लॉक में हो या जिले में हों, तो उनको ले लेना चाहिये। ऐसे आदमियों के को-ऑपरेशन से जो पंचायत समितियों का काम होगा वह अच्छा होगा। उन्होंने एक यह

(श्री तेजाराम गहलोत)

दलील दी है कि इससे बहुमत बढ़ाने का जरिया होगा और इससे पंचायत समितियों में पार्टीबाजी बढ़ेगी। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि पंचायत समितियों में पोलिटिक्स का सवाल नहीं है। वहां तो विकास के कार्य हैं और जो नागरिक उनमें सहयोग देना चाहें, दें।

धारा ६ की उपधारा २ के अन्दर माननीय लक्ष्मण हीरात ने जो संशोधन पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। विकास के कार्यों के लिए जो भी वहां का प्रतिनिधि सहयोग देना चाहते हैं उसको छूट होनी चाहिए। आपने तहसील सरपंच को उसका सदस्य रखा है। विधान सभा के सदस्य कॉन्स्टेन्टली सरकार के बीच एक कड़ी है जो सरकार तक वहां की समस्याओं को पहुँचाते हैं और सरकार की ओर से उन समस्याओं को निराकरण कराने की कोशिश करते हैं, ऐसे सदस्यों को पंचायत समितियों में यदि रख दिया जावे तो उनसे सहयोग ही मिलेगा। जो यह शंका है कि प्रधान या उपप्रधान का पद लेने की कोशिश करेंगे और सदस्यों पर हावी होंगे यह शंका निराधार है। डेमोक्रेसी में सहयोग से ही काम होते हैं। यदि एक ही आदमी सत्ता हथियाने की कोशिश करता है तो उसके जनता खिलाफ हो सकती है, एक जगह भी वही और दूसरी जगह भी वही, एक आदमी इस तरह से पद लेना चाहेगा तो वह सफल भी नहीं होगा। विधान सभा के सदस्यों को पंचायत समितियों में सदस्य रखने का संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ ताकि वे पंचों को सहयोग दे सकें। उपप्रधान बने या न बने उसके लिए प्रतिबन्ध लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन विधान सभा के सदस्यों को पंचायत समितियों को सहयोग देने से वंचित नहीं रखना चाहिये। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

सभापति :श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, मैंने जो संशोधन पेश किये हैं, मैं समझता हूं, जो मन्त्री महोदय इस बिल को पायलेट करने वाले हैं जिस उद्देश्य से उन्होंने यह बिल रखा है और उनकी भावना है और जिस प्रेरणा को लेकर बिल को सदन में वे पायलेट कर रहे हैं वे अवश्य संशोधन को स्वीकार करेंगे। दो बड़ी २ बातें हैं। पहला सवाल मैंने रखा है। Sarpanchas of all the Panchayats in the block. संशोधन इस प्रकार है :—

In part (ii), substitute words 'persons nominated by the respective panchayat for their respective circles in the block' instead of 'Sarpanchas of all Panchayats in the Bleak'

Add the following new part (iii):—

'(iii) member of legislative Assembly in the Block'

मैंने यह बताने की कोशिश की है कि कोई पंचायत होती है और जो सरपंच होता है, जो छोटे २ गांवों की इकाइयां हैं उन इकाइयों का प्रतिनिधित्व अवश्य करता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वे सरपंच ही आकर उस ब्लाक या पचायत समितियों के सदस्य बने। ऐसा भी कई जगह होता है, कई जगह पंच बने हुए हैं वे यह नहीं चाहते हैं कि उनके ग्राम की जो इकाइयां हैं उनसे दूर

(श्री मूलचन्द डागा)

जाकर पंचायत समितियों में जाकर बैठे और वहां अपनी बातें रखें। इसलिए मैंने रखा कि कोई पंच या ग्रामपंचायत है जिसको नामजद करें, सिलेक्ट करें, या इलेक्ट करें, उसके प्रतिनिधि को पंचायत समितियों में भेजना चाहिये। पंचायत समितियों में जाने के लिए उनको अधिकार होना चाहिये कि जो सदस्य इच्छा से जाना चाहें और ग्राम पंचायतें उनको भेजना चाहे। डेमोक्रेसी का मूलमन्त्र है वह यह है कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता। व्यक्ति यह चाहे कि मैं तो स्वतन्त्र रहना चाहता हूं। वह जिस पंचायत का सरपंच है, आपका बिल इस बात के लिए कम्पेल करता है कि चूंकि ग्राम पंचायत का सरपंच है इसलिए वही पंचायत समिति में सदस्य होगा। यह एक कम्पलशन है, आप इस बिल के द्वारा उसको कम्पेल कर रहे हैं जो कि जनतन्त्र के तरीके हैं, प्रजातन्त्र के विरुद्ध है। कोई सरपंच किसी जगह का रहने वाला है, वह वहां रहकर सेवा करना चाहता है, आप कहते हैं कि चूंकि वह ग्राम पंचायत का सरपंच है इसलिए उसको पंचायत समिति का सदस्य होना होगा यह बात मेरी समझ में ठीक नहीं है क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग इच्छाएं होती है और राजस्थान जैसे पिछड़े हुए मुल्क में ग्रामों की इकाइयों का कोई सरपंच तो बनना पसन्द करता है लेकिन अपनी ग्राम पंचायत को या इकाइयों को छोड़कर दस २० मील दूर जाना पसन्द नहीं करता है। कई जगह अपनी इकाइयों में कुशल शासक होते हैं अपने व्यक्तिगत गुण, सम्पर्क के आधार पर ग्रामों की इकाइयों में काम कर सकते हैं लेकिन आपने इस बिल में यह कोशिश की है कि पंचायत समिति के लिए सरपंच ही सदस्य हो तो उसके लिए मेरा विरोध है। जो पंचायतें किसी पंच को या किसी दूसरे व्यक्ति को नोमिनेट कर दे वो ही पंचायत समिति का मेम्बर बनना चाहिये और यह ज्यादा डेमोक्रेटिक होगा, प्रजातान्त्रिक तरीका भी होगा। यह नहीं होगा तो दिक्कत आयगी। जो सरपंच आयगा उसके स्थान पर सरपंच होगा, फिर सरपंच का चुनाव होगा, नई बात पैदा हो जावेगी।

श्री आबिद अली (सवाई माधोपुर) : ऐसा प्रावधान नहीं है।

श्री मूलचंद डागा : पंचायत समिति में सरपंच जायगा तो फिर उसकी जगह कौन होगा ?

एक माननीय सदस्य : दोनों में यही रहेगा।

श्री मूलचंद डागा : यह फिर डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइज़ेशन नहीं हुआ। सरपंच ही पंचायत समिति का सदस्य होगा, यह फिर विकेन्द्रीकरण नहीं हुआ, यह तो केन्द्रीकरण हो गया। जो उसूल रखा है कि सरपंच ही पंचायत समिति का सदस्य बने और वह ग्राम पंचायतों का भी सरपंच रहे, मैं समझता हूँ कि जितने आदमी सेवा का काम कर सकते हैं, वालन्टियरी सेवा कर सकते हैं उसको मंजूर करिए, कम्पलशन मत करिए कि पंचायत समिति में सरपंच ही सदस्य बने और दूसरा कोई नहीं। उचित और व्यावहारिक तो यही होगा कि हम उस ग्राम पंचायत को यही कह दें कि अपनी तरफ से पंच या किसी भी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि नामजद कर सकते हैं।

(श्री मूलचन्द डागा)

दूसरा जो संशोधन मैंने दिया है वह यह दिया है कि पंचायत समिति में विधानसभाई सदस्य को रखा जाय। जब मुख्य मंत्री इस बिल के समारम्भ में भाषण कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि हमने एम. एल. ए. को पंचायत समिति का सदस्य नहीं रखा है उसी दिन मैंने यह कहा था और आज भी मेरी यह राय है कि जो सदस्य एक लाख जनता का प्रतिनिधि होता है जो ब्लॉक में होने वाले प्रमुख कामों से परिचित रहता है उस व्यक्ति को पंचायत समिति का सदस्य न रखना इसका मतलब यह हुआ कि हम उनका जन सम्पर्क बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। जो सदस्य विधान सभा में बैठता है वहां की कार्यवाही से परिचित रहता है और जो सरकार और पंचायत समिति के बीच लिंक बन सकता है उसको नहीं रक्खे यह उचित नहीं होगा उस को नयी नयी बातों का ज्ञान होता है उससे वह पंचायत समिति को परिचित करा सकते है इसके अलावा वह हर गांव में घूमता है और वह अपना पूरा समय गांव की भलाई में लगाता है। उसको न रखकर आपने क्या विकेन्द्रीकरण किया। विकेन्द्रीकरण तो वह होता है जिसमें जन सम्पर्क बहुत बढ़ता है जो सहयोग विकास के कामों में विधानसभाई सदस्य का प्राप्त हो सकता है वैसा सहयोग साधारण आदमी से मिलना मुश्किल है। यह भी कहा गया कि वहां पर सुपीरियरटी कोम्पलेक्स पैदा होगा इसके लिए मेरा निवेदन है कि ऐसा विचार करना बिल्कुल गलत है। यह नहीं कि आज कोई विधानसभाई सदस्य यह सोचे कि वह पंचायत समिति में बैठकर पंचों से ऊंचा है यह उसका मानना गलत है क्योंकि आजकल जो डेसपेरिटी आप बतलाना चाहते हैं आज जो मनुष्य मनुष्य में अन्तर की जो भावना बनी हुई है उसी प्रकार पंच से विधान सभाई सदस्य अपने को ऊंचा माने यह डेसपेरिटी जो आप रखना चाहते हैं वह उचित नहीं है। मेरा इसलिए यह संशोधन है कि वहां का जो एम० एल० ए० हो उसको पंचायत समिति का सदस्य अवश्य रखना चाहिए ताकि विकास के काम को गति मिले। इसके अलवा दूसरा संशोधन है कि पंचायत समिति में सरपंच का होना कम्पलसरी नहीं होना चाहिए।

श्री सभापति : श्री रघुवीरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : सभापति महोदय, मैं पहले ६७ आइटम को लूंगा, वह इस प्रकार :

The following new part (iii) be added to sub-clause (1) of clause 6:-

" (iii) Chairman of the Municipal Boards lying as enclaves if the population of such Municipal Boards is less than 1C00J."

माननीय सभापति महोदय, इसके क्लॉज तीन में व्यवस्था की है कि किसी भी म्युनिसिपेलिटी को पंचायत सर्किल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम मेहता कमेटी की रिपोर्ट को देखते हैं उसमें जैसा प्रावधान है उससे कुछ तबदीलियां इसमें की गई हैं उसके साथ हमें देखना है कि जो मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है उसमें हम कुछ तबदीलियां करते हैं तो उसके

(श्री सोहनलाल भटनागर)

लिए कोई न कोई कारण होना चाहिए। मेहता समिति की इस बारे में रिकमन्डेशन है वह मैं सदन में पेश करना चाहूँगा :

"we have noticed that most of the smaller Municipalities, specially those with population of less than 10000 are substantially rural in character. Their municipal constitution, however, deprives them of that contact with the surrounding rural areas which we consider essential for the development of both We, therefore, recommend that each of such municipalitine which lie within the jurisdiction of the Block shlould be entitled, from amongst wn members, to one person as member of the Panchayat Samiti."

तो माननीय सभापति महोदय, जब कि ऐसी म्युनिसीपैलिटी की जिसकी जनसंख्या १० हजार के नीचे है वह एक तरह से रूरल करेक्टर की होती है उसमें कभी कभी झगड़े पैदा होते हैं। ऐसी म्युनिसिपैलिटीज को पंचायत समिति में कन्वर्ट क्यों न कर दिया जाय इसलिए मैंने संशोधन प्रस्तावित किया है। दस हजार से नीचे की म्युनिसिपैलिटियां जैसा हमने नये म्युनिसिपैलिटी एक्ट में प्रवधान रखा है उसमें आठ हजार की व्यवस्था रखी है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मंडी के नेचर की है जो म्युनिसिपल बोर्ड में रहना चाहते हैं उस बारे की व्यवस्था की है। लेकिन ऐसी म्युनिसिपैलिटियां जो रूरल करेक्टर की हों और युनार्नीमसली यह चाहती हो कि वह पंचायत समिति में कन्वर्ट न हो, वहां के एक प्रतिनिधि को पंचायत समिति में जाने की इजाजत दें तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं होगी।

दूसरा संशोधन मेरा है वह इस प्रकार है:
In sub-clause (2):-

1. Part (i) and (ii) be delated.

2. In part (iii) the words 'no woman is the member of the Panchayat Samiti by virtue of sub-section (1)' be substituted for the words 'only... member'.

माननीय सभापति महोदय, कृषि निपुण के बारे में मेरा निवेदन है कि जब हम पार्ट vi में "(vi) Two persons whose experience in administration, public health or rural development would be of benefit to the Panchayat Samiti."

रूरल डेवलपमेंट में जिनका इन्टरेस्ट है उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं वैसी हालत में मेरा यह निवेदन है कि रूरल डेवलपमेंट में ऐसे आदमी आ जायेंगे उसमें कृषि निपुण भी आ जायेंगे। इसलिए कृषि निपुण की अलग व्यवस्था करना आवश्यक नहीं है। वैसे हम देखते हैं कृषि निपुण भी तो आखिर कृषक ही होगा इसके लिए ऐसे आदमी भी आ सकते हैं जिन्होंने कभी भी हल न पकड़ा हो। हमने टिनेन्सी एक्ट में एग्रीकल्चरिस्ट की जो परिभाषा की है उसके अनुसार चाहे सब-टिनेन्ट्स से काश्त करवायें या मजदूरों से काश्त करावें वह भी किसान होगा। फार्म्स के चलान वाले जिन्होंने कभी हल न पकड़ा वे भी कृषक कहलायेंगे, ऐसे आदमियों को लेने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। इसके लिए मेहता कमेटी ने यह कहा है कि किसी भी

(श्री सोहनलाल भटनागर)

मेम्बर का इलेक्शन नहीं होना चाहिए। मेहता कमेटी ने जो आपने व्यवस्था क्लॉज ६ में की है उसके लिए राय नहीं दी है। इसलिए भी इसका रखना आवश्यक नहीं है। पेज १० के अन्दर कहा है :

"No other interest will be represneted on the Panchayat Samiti either as ex-officio or by a special provision by election, nomination or co-option."

मेरा सरकार से निवेदन यह है कि कृषि निपुण के रखने से कई झगड़े पैदा होंगे और उसके बाद में भी एक एक साल में उसका परिवर्तन करना पड़ेगा। इसको देखते हुए कृषि निपुण नहीं रक्खें तो उचित होगा।

तीसरा संशोधन यह है कि दो औरतों के बजाय एक औरत को ही रखा जाय इसके बारे में किसी ने प्रकाश नहीं डाला। मैंने इस बारे में प्रथम वाचन पर भी ध्यान आकर्षित किया था। इसके लिए फिर से मेरा निवेदन है कि राजस्थान में कई तहसीलें ऐसी हैं जहाँ दो पढ़ी-लिखी औरतों का प्रतिनिधित्व भी मिलना मुश्किल हो जायगा। वैसे ही अपना प्रान्त पिछड़ा हुआ है और औरतें पर्दा करती हैं....

एक माननीय सदस्य : ऐसा आपके सलूम्बर में होगा।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : मेरा ऐसा मानना है कि दो महिलायें सदस्य हो भी जायंगी तो भी वे पंचायत समिति में नहीं जायंगी और इस तरह से भी दो-तीन बार कमेटी में उपस्थित नहीं हुईं तो उनका नाम कट जायगा। फिर कोऑप्शन का सवाल उठेगा इसलिए मेरा यह निवेदन है कि फिलहाल दो के बजाय एक ही हो जाय तो ठीक होगा।

एक माननीय सदस्य : हमारे यहां जयपुर से निर्वाचित सदस्या को देखिए।

श्री सोहनलाल भटनागर : उनकी जैसी सदस्यायें मिल जाती हैं तो मैं यह निवेदन करूंगा कि दो की बजाय दस को लिया जाय।

The third amendment is:—

In part (vi) the words "residing in the block" be added before the word "whose" in line 1; and proviso to the clause be deleted.

ये सब-क्लाजेज़ जो इस प्रोवीज़जो में रखे हैं उससे साफ जाहिर हो जाता है कि हम ऐसे व्यक्तियों को लेना चाहते हैं, वे चाहे ब्लॉक्स में रहेंगे या नहीं उनका रहना डिस्ट्रिक्ट में ही काफी है। डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन बिल के अन्तर्गत जो हम व्यवस्था करने जा रहे हैं उसका खास मकसद यह है कि हम ऐसे आदमियों को लें जो अपने विकास के अन्दर ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे सकें। लेकिन मैं जब इस क्लॉज को देखता हूं तो यह साफ जाहिर होता है हम ऐसे व्यक्तियों को इसमें रख रहे हैं जो वास्तव में शहर के रहने वाले हों या जिला हैड क्वार्टर का रहने वाला हो, उनको मौका दे रहे हैं कि वे जाकर पंचायत समिति में कार्य करें। हमें चाहिए तो यह था कि स्थानीय व्यक्तियों को ज्यादा मौका दें जो पंचायत सर्कल के अन्दर रहते हैं, जिनको वहां का एक्सपीरिएन्स हो उनको हम

(श्री सोहनलाल भटनागर)

मौका देते हैं तो यह बहुत उचितहोगा। इसलिए मेरा संशोधन है कि जिले के अन्दर रहने वाले को मौका न देकर ब्लॉक के अन्दर रहने वाले को मौका दिया जाय, यह मेरा संशोधन है।

एक्स आफीसियो सरपंच की बात कहीगई। इसमें इलेक्टरल कालेज बनाकर इसको चुने जाने की बात कही गई पर यह ठीक नहीं है। जो कानून में रक्खा गया है वही ठीक है। यह एग्जीक्यूटिव वर्क है और इसकी सारी जिम्मेदारी सरपंच पर ही रहती है। सारे विकास कार्य वही देखता है नीचे भी। तो ऊपर भी एक्स आफिसीयो के रूप में आता है तो मेरे ख्याल से यह ठीक है। फिर सरपंच जो है वह भी चुना हुआ ही तो आता है। फिर हम देखते हैं कि पंचायतों में चुनावों में काफी झगड़े होते हैं तो इस दृष्टिकोण से उस झगड़े को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए उसी को कोऑप्ट कर लेने में और यहां चुनाव के झगड़ों से दूर रहने में भी ठीक होगा। एक बार जो झगड़ा हो गया नीचे के स्तर पर सो हो गया। दुबारा नहीं होगा। फिर उनको तो विकास कार्य करना है। इससे भी इनडाइरेक्ट चुनाव की व्यवस्था जो रक्खी है वही ठीक है।

श्री सभापति : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : समपति महोदय, क्लॉज ६ के अन्तर्गत मेरे दो संशोधन है : [संशोधन इस प्रकार है :-
Delete parts (·) and (vi) of sub-clause (2)

मैं अपने संशोधनों के विषय में निवेदन करूं इससे पूर्व जैसा मैंने प्रारम्भिक वाद विवाद के समय कहा था, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हम कोऑप्शन की बात करते हैं तब भूल जाते हैं कि कितने को कोआप्शन करने का अधिकार दें।

कोआप्शन की भावना का विश्लेषण अगर किया जावे तो इस निर्णय पर पहुँचे कि कोआप्शन इसलिए जरूरी हो जाता है कि कभी कभी चुनाओं में आदमी दब जाते हैं। उनको आगे आने का अवसर नहीं मिल पाता। जिनकी सेवाओं की अपेक्षा की है वे किसी प्रकार से उपलब्ध हों इसलिए यह रक्खा जाता है। इस धारा में यह बात जो रक्खी गई है इसका मैं विरोध नहीं करता क्योंकि डेमोक्रेसी में हमने जिस रास्ते को अपनाया है उसमें निर्वाचन अनिवार्य है। इसके कारण आज पंचायतों में गुटबन्दी अनिवार्य है और इससे वह बहुत स्वाभाविक है कि जो ईमानदार, अच्छे और शान्त समाज सेवक वे दलबन्दी में न पड़ें और पीछे रह जावें, वे सोच सकते हैं कि क्यों पैसा खर्च करें, गालियां भी खावें, और चुनाओं के हल्के हथकंडे भी अपनावें, अपन तो अपना काम करते रहें चुपचाप। तो इस तरह से वे आगे नहीं आते। ऐसे अवसरों पर कोऑप्शन की बात रखते हैं तो यह बुरी बात नहीं है। पर यहां आप सात आदमियों के कोऑप्शन की बात करते हैं इससे आशंका पैदा होती है कि कहीं यह कोऑप्शन इस सिद्धान्त की भावना के विरूद्ध तो नहीं चला जावेगा। इससे कहीं यह षडयन्त्र तो नहीं किया जा रहा है कि सात आदमियों को रखकर किसी माइनोरिटी को मेजोरिटी में और मेजोरिटी माइनोरिटी में तो न बदल दिया जावेगा। कहीं आप इस कोआश्पशन की आड़ में एक निरंकुश सत्ता तो, एक निरंकुश

(श्री दयाकृष्ण विजय)

अधिकार तो अपने हाथ में नहीं लेने जा रहे हैं कि जिसके जरिए से जिस आदमी को आप रखना चाहें उसे रख दें। उसे फिर हटाया न जा सके और अल्पमत बहुमत में बदल दिया जावे और बहुमत अल्पमत में कर दिया जावे। डेमोक्रेसी में कोआप्शन की सही भावना का उस हालत में यह दुरुपयोग ही होगा। अगर यह दुरुपयोग किया गया तो जिस प्रकार का सहयोग विकास कार्यों में आप जानकर लोगों का लेना चाहते हैं यह नहीं मिलेगा और कोआप्शन की मूल भावना पर ही आघात होगा।

आज पंचायतों पर जो यह आक्षेप लगाया जा रहा है कि वे सफलतापूर्वक कार्य नहीं करतीं इसका कारण यही है कि दो दल होगए हैं उनमें। इससे गांव की परस्पर की शान्ति, परस्पर का सौहार्द, मित्रता और पारस्परिक सहयोग इस आपसी कटुता वैमनस्य और कलह के कारण मिट गया है। उसे हमें फिर से निर्माण करना है, न कि उसे और नीचे की तरफ ले जाना है और अगर यह चाहते हैं आप तो अल्पमत को भी आगे आने का अवसर आपको देना होगा, आज जो सत्ता दल में नहीं है, वह अगर कहीं पंचायत में बहुमत में आ जाता है तो उसे भी आप बर्दाश्त करें, चलने दें, उसको भी काम करने का अवसर दें, इस तरह की आड लेकर उसे आप समाप्त करने की कोशिश न करें तो अच्छा है। इस दृष्टि से कोआप्शन कम से कम रक्खें आप तो अच्छा है।

फिर कोऑप्शन किसी एक्सपर्ट सम्बन्धी आवश्यकता को लेकर किया जाता है इस बात को हम न भूलें। यह मैंने पहले ही कह दिया है। तो क्या यहां इतनी आवश्यकता है कि सात आदमियों के बिना यहां काम नहीं चल सकता ? यह भी हमें देखना है। जैसा मंत्री महोदय ने भी फरमाया कि वे कोआप्शन से अधिक से अधिक लोगों का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं। यह भावना आपकी अच्छी है मैं भी इससे इन्कार नहीं करता पर कौन को आप लेना चाहते हैं ? क्या शिड्यूल कास्ट को और महिलाओं को ही लाकर बिठा दिया जावे या और सच्चे और ईमानदार समाज सेवियों को भी रक्खा जावे।

इसमें शियूल काइस्ट को रखने की बात संविधान की दृष्टि से देखते हुए मैं उचित मान लेता हूं। महिलाओं में आज स्थिति विपरीत है। उनमें प्रगतिशील महिलाएं दिखाई देने लग गई है। जब वे विधान सभा में चुन कर आ सकती हैं तो क्या पंचायतों में नहीं आ सकतीं। फिर भी मान लेता हूँ कि गांवों में शिक्षा का अभी पूरा प्रसार नहीं हुआ है, विकास पूरा नहीं हो पाया है, परदा प्रथा भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाई है, पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी गांवों में महिलाएं आगे नहीं आ पा रही हैं तो उनके लिए कुछ रक्खा जा सकता है। पर दो का रखा जाना तो समझ में नहीं आता दलील यह दी जाती है कि दो होंगी तो मिलकर आ जावेंगीं, एक होगी तो आने में संकोच होगा। पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे दोनों एक ही गांव की होंगी। नहीं तो फिर जिस गांव की वे हों उस गांव के सरपंच के साथ वे जा सकती हैं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : दो होने से साथ बैठ सकती हैं।

Page No.51

श्री दयाकृष्ण विजय : यह मेरी समझ में नहीं आती बात। जब महिला गांव से अकेली आ सकती है तो वहां अकेली बैठ भी सकती है या अपने गांव के सरपंच के के साथ बैठ सकती है। बैठने मात्र में क्या संकोच हो सकता है। हां यह बात अलबत्ता हो सकती है कि अकेली आने में डर हो या संकोच हो तो एक गांव की दो साथ मिलकर आ सकती हैं पर ऐसा कोई प्रोवीजन इस कानून में नहीं है कि वे दोनों एक ही गांव की होंगी। अगर ऐसा रक्खा गया होता तो मैं इसका समर्थन करता। अगर एक ही गांव की हों तो ज्यादा लाभदायक होगा और इससे दो रखने का उद्देश्य सिद्ध हो सकता है, नहीं तो एक ही पर्याप्त है। तो इस प्रकार की जो बात रखी है वह मेरी समझ में नहीं आती है।

फिर इससे बड़ी बात जो मेरे संशोधन में मैंने रखी है वह यह है कि मैं कृषि निपुण को हटाना चाहता हूं क्योंकि हर कृषक कृषि निपुण होता है। इसकी मन्शा यह नहीं है कि मैं कृषकों के विरुद्ध बोलता हूं। इसमें कृषि पंडित की परिभाषा सरकार निर्धारित करेगी जो पहले बिल गया और प्रवर समिति में नहीं गया था उस बिल के अन्दर यह रखा था कि जो व्यक्ति ब्लाक के अन्दर अधिक से अधिक पैदावार करता है उसे कृषि निपुण घोषित करेगी। इसका क्या क्राइटेरिया होगा कि कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा पैदावार करता है। क्या गेंहूं को लेकर कहेगी, या धनिये को लेकर कहेगी, या सब्जी को लेकर कहेगी, या कोई फल-फूल को लेकर कहेगी। उनका मापदण्ड प्रतिवर्ष बदलता जायगा। हर वर्ष में जिसको चाहेगी सरकार मनोनीत कर सकेगी। मैं चाहता हूँ कि सरकार कोई मनोनीत नहीं करे। कई माननीय सदस्य कहते हैं कि उसको कोऑप्ट करे। इसका यह अधिकार दिया है ज़िला परिषद् को। यह ज़िला परिषद् के लिए नई व्याधि खड़ी करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि विकास का कम से कम काम हो। आप चाहते हैं कि लोगबाग ऐसी बातों में उलझे रहें। हर साल यह करते रहें। कृषि पंडित और कृषि निपुण की हर साल दलबन्दी में उलझे रहें और विकास की तरफ ध्यान नहीं दें। इससे ज़िला परिषद् का अतिरिक्त व्यय और अतिरिक्त समय का दुरुपयोग होगा और उसको अतिरिक्त कार्य दे रहे हैं जो कि पंचायत समिति के पास में नहीं है। वह उसके बिना भी चला सकती है।

अब आप कहते हैं कि वह टेकनिकल आदमी होगा। कृषि निपुण की हैसियत से आपके कृषि विभाग को जब चाहे तब बुलाया जा सकता है। एग्रीकल्चर एक्स्टेन्शन आफिसर वहां पर रहेगा। वे कृषि विशेषज्ञ हैं। फिर इस प्रकार से कृषि निपुण को इस बात के लिए लेना चाहते हैं फिर इस प्रकार के व्यक्ति को रखना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी सरपंच हैं वे गांव से आयेंगे और कृषि करने वाले व्यक्ति ही आयेंगे उनका कृषि का ज्ञान किसी से कम नहीं हो सकता है। पैदावार का होना या न होना वह कुछ जमीन पर, कुछ बीज पर, और कुछ खाद वगैरह पर निर्भर करता है। वह आदमी की क्वॉलिटी पर निर्भर नहीं करता है। जहां आदमी की क्वालिटी का योग १० पर्सेन्ट होता है और ९० पर्सेन्ट इर्रीगेशन वगैरह सारी चीज होंगी तो ही पैदावार बढ़ सकती है। कृषि निपुण अधिक पैदावार कर लेगा, यह बात मेरे समझ में नहीं आती है।

श्री सभापति : Two minutes more please.

Page No.52

श्री दयाकृष्ण विजय : एक बात और कहता हूँ कि कृषि निपुण के लिए मेहता कमेटी की सारी रिपोर्ट को देखते हैं तो कहीं नहीं लिखा है कि कृषि निपुण जैसी चीज रखी जाय। जब कि सारा ही डिसेन्ट्रेलाइजेशन मेहता कमेटी के आधार पर कर रहे हैं, सारी बातें मानते हैं और दो कदम आगे बढते हैं। दूसरी तरफ सरकारी अधिकारियों को आपने जो कुछ कहा है उसके मुताबिक रखना चाहते हैं और आप लोकतन्त्र बनाना चाहते हैं और लोकतन्त्र बनाने के लिए ग्राम पंचायतों के सरपंचों को और तहसील पंचायतों के सरपंचों को वहां भेजकर वहां के प्रमुख और उपप्रमुख का निर्वाचन करना चाहते हैं, यह कैसे हो सकता है, इस प्रकार का लोकतन्त्र बनाना चाहते हैं और उसकी ओर कदम उठाते हैं तो आगे सफल हो या नहीं, लेकिन अभी सारे इलाके में से एक कृषि निपुण को रखने के लिए कोई दलील हो सकती है, यह मेरी समझ में नहीं आया। जिला परिषद् के सामने आप एक संकट पैदा कर रहे हैं। वहाँ पर पक्षपात का चार्ज उन पर लगाते रहेंगे, क्योंकि इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होगा कि किसकी उपज कितनी होगी तो उसको कृषि निपुण घोषित करेंगे।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हम बहुमत को निरंकुश अधिकार देना चाहते हैं ताकि वह अल्पमत पर हमेशा हावी रहे। दो व्यक्तियों को इसलिए रखते हैं। ये दो व्यक्ति जिले भर में से कहीं से लिये जायं जो कि प्रभावशाली हों। ये दो आदमी जिले में से कहीं से लें चाहे म्युनिसिपल एरिया के हों म्युनिसिपल एरिया के जो व्यक्ति म्युनिसिपल एरिया में प्रशासन करते हैं उनको पंचायत एरिया, तहसील पंचायत और डिस्टिक्ट बोर्ड के रहने वाले लोग अपने यहां का शासन करेंगे, लेकिन आपने रखा कि म्युनिसिपल एरिया से भी कोई व्यक्ति आ सकता है क्योंकि वह डिस्ट्रिक्ट में रहता है और म्युनिसिपल एरिया से जो आदमी आ सकते है, क्योंकि म्युनिसिपल एरिया को कहीं भी आपने एक्सक्लूड नहीं किया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कम से कम इस बात को रखें कि उसी ब्लॉक के रहने वाले व्यक्ति उसमें रखे जायेंगे,

इस प्रकार के जो व्यक्ति बढाते हैं उसका मैं हमेशा से विरोधी रहा हूँ। आप केवल एक महिला को इसमें रखें और अनुसूचित और जन जातियों का इसमें रखा है वह ठीक है। इन आवश्यक संशोधनों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं। कोऑप्शन का इस प्रकार से अधिकार देगें तो बहुमत निरंकुश हो जायगा और अल्पमत की परवाह नहीं करेगा। इसलिए क्लॉज ६ के पार्ट (२) को हटा दिया जाय। इसके रखने की आवश्यकता नहीं है। महिला एक कर दी जाय तो बिल्कुल ठीक रहेगा।

इसके कहने के बाद जो पहला प्रस्ताव रखा गया है उसमें बताना चाहता हूं कि श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने इस प्रकार का संशोधन रखा है Sarpanch of the Tehsil Panchayat in the block उसको इन्क्लूड कर दिया जाय। जिस प्रकार से पहले निवेदन किया था कि हमारे ब्लॉक्स इस प्रकार के बने हुए हैं और वे तहसीलों के आधार पर नहीं। एक ब्लाक के अन्दर दो सरपंच हैं। दो सरपंच जहां हैं वहां अगर एक ब्लॉक बना हुआ है तो जैसा कि भाई श्री भैंवरलाल कालाबादल ने अभी बताया कि आधी अकलेरा तहसील मनोहरथाने के साथ मिली हुई है और तहसील पंचायत अकलेरा का सरपंच जो है वह उस एरिया

(श्री दयाकृष्ण विजय)

का रहने वाला नहीं है । एक ओपीनियन यह है कि ब्लॉक एरिया के आदमी अलग अलग तादाद में रहेंगे तो इस प्रकार से वे ब्लॉक एरिया के अन्दर चले जायेंगे । आप इस प्रकार से लोगों को इधर उधर बैठाना चाहते हैं उसकी आवश्यकता नहीं रहती है । इसमें एक बात और है कि तहसील पंचायत का सरपंच उस ब्लॉक एरिया का नहीं रहने वाला है और वहां जायगा तो उनके इन्ट्रेस्ट को अच्छी तरह से वाच नहीं कर सकेगा ।

यह एक प्रिन्सीपल की बात है कि जुडीशियरी एक्जीक्यूटिव से बिल्कुल अलग रहनी चाहिए और एक्जीक्यूटिव से अलग रखने के लिए तहसील पंचायत को अधिकार दिया है कि वे सिविल और क्रिमिनल केसेज़ कर सकेंगे । उनको जुडीशियरी पॉवर्स दिये हैं उसके सरपंच के प्रशासनिक कार्य के लिए और लिया जाय तो यह न्यायसंगत बात नहीं हो सकती है । एक बात यह है कि जब तहसील पंचायत और पंचायत समिति को अलग अलग कर दिया गया है तो फिर पंचायत समिति में इनको नहीं रखना चाहिए । चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने भाषण में बताया था कि जब तक पूरा विकेन्द्रीकरण न हो जाय तब तक तहसील पंचातत का सरपंच प्रशासन का भी काम करता रहे तो ठीक रहेगा । इसलिये रखा गया है । यह बात जरूर मानी जानी चाहिए कि न्याय का क्षेत्र प्रशासन से अलग होगा । इसलिए उसके अलावा कुछ भी कर देते हैं तो वह उपयुक्त नहीं होगा ।

इसलिए मैं सरपंच तहसील पंचायत को पंचायत समिति से हटाना चाहता हूं । कृषि निपुण को हटाना चाहता हूँ, दो व्यक्ति जो प्रशासनिक अनुभव के हों कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में उनको लिया जाय, उसको हटाना चाहता हूं । एक महिला को रखा जायगा तो ज्यादा उपयुक्त होगा । कोऑपशन से केवल वे आदमी रहेंगे जिनकी गारन्टी संविधान में दी हो । अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के लोगों को स्थान मिलना चाहिए ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : माननीय चेयरमैन महोदय, इस बिल की धारा ६ पंचायत समितियों के निर्माण अथवा गठन के बारे में है । यह बहुत महत्वपूर्ण धारा है जिस पर बड़ी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए । इसकी उपधारा (१) के जिम्मन (एक) और (दो) में यह बताया गया है कि ब्लॉक के सभी पंचायतों के सरपंच अथवा उस क्षेत्र की तहसील पंचायत के सरपंच उस समिति के सदस्य होंगे । इस सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने यह राय व्यक्त की है कि जिससे यह जाहिर होता है कि यह प्रावधान इस बिल में जिस प्रकार रखा गया है वह ठीक नहीं है । उनका कहना है कि ....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ) : मैं निवेदन करूंगा कि आप सलेक्ट कमेटी के मेम्बर थे । उसमें आपका कोई नोट ऑफ डिसेन्ट भी नहीं है इस बारे में । ऐसी स्थिति में क्या आप भाषण कर सकते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं सपोर्ट कर रहा हूं सलेक्ट कमेटी ने जो तय किया है ।

श्री अनूपसिंह : I would like to know if he wants to oppose or support any amendment, can he do it at this stage ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री): The point is whether he being a member of the Select Committee, can move an amendmnt without permission of the Chair.

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : वे समर्थन कर सकते हैं तो विरोध करने का कौन सा स्टेज रहेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिन क्लॉजेज के बारे में माननीय सदस्यों ने राय व्यक्त की है विरोध में तो सलेक्ट कमेटी ने जो निर्णय किया है उसका मैं सपोर्ट कर सकता हूँ।

श्री सभापति : I have followed the point raised. The point is whether a member of the Select Committee, who has not given a note of dissent can move an amendment to the Bill. The amendment was moved and was admitted by the Deputy Speaker and as such I have no option but to allow the Hon'ble Member to continue the speech.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The amendment was not moved.

श्री सभापति : The amendment was admitted by the Deputy Speaker and as such I am left with no option except to allow him to continue his speech.

श्री अनोपसिंह : इसके सिवाय मैं यह इन्फॉर्मेशन चाहूँगा कि आप किस टाइम यह अलाऊ करेंगे कि वह सदस्य जिन्होंने यह अमेन्डमेन्ट दिये हैं वह पेश कर सकते हैं।

श्री सभापति (श्री बरकतुल्ला खाँ) : Usual parliamentary practice is that a member who has gone to Select Committee does not usually participate in the debate so far as that Bill is concerned, unless, of course he has written a note of dissent, but in special circumstances the Chair can allow a member to speak. That is a prerogative of the Chair.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : चेयरमैन महोदय, तो मैं निवेदन कर रहा था कि कई माननीय सदस्यों ने इस प्रकार राय व्यक्त की है कि Serpanch by virtue of being a Sarpanch. पंचायत समिति में सदस्य नहीं रहना चाहिए। उनका कहना है कि या तो उस क्षेत्र की जनता इसकी सदस्यता के लिए डाइरेक्ट इलेक्शन से किसी को चुनें या उस क्षेत्र के सब पंच मिलकर के उसको इस सदस्यता के लिए चुनें और इसी तरह से उन्होंने यह भी कहा कि तहसील पंचायत के सरपंच को इसका सदस्य नहीं बनना चाहिए। मेरी मान्यता इससे विरुद्ध है। मेरा कहना है कि जो कुछ प्रावधान इसमें रखा गया है वह बिल्कुल ठीक है। बलवंतराय मेहता कमेटी रिपोर्ट ने जरूर यह स्पष्ट किया है कि जो ग्राम पंचायत के सरपंच मिल कर के अपना एक नामीनी मुकर्रर करें जो कि पंचायत में सदस्य हो लेकिन इस बिल में हम बलवंतराय मेहता कमेटी रिपोर्ट के आगे गये हैं और यह तय किया है कि डाइरेक्टर इलेक्शन से उस क्षेत्र के मतदाता मिल कर सरपंच को चुनें और वह सरपंच इस क्लॉज के अनुसार उस पंचायत समिति का सदस्य हो। अब सवाल यह रहता है दूसरे सुझाव के मुताबिक कि क्या ऐसे चुनाव का तरीका

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

अपनाया जाये कि जिसमें उस क्षेत्र के मतदाता दो व्यक्ति चुनें एक सरपंच और एक पंचायत समिति के सदस्य के लिए।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): सरपंच का डाइरेक्ट चुनाव हो ऐसा कौन सी धारा में है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मतदाता करते हैं यह पंचायत के कानून में हैं। ऐसा सब जगह होता है अगर आपके यहां नहीं हो रहा हो तो पता नहीं। पंचायत की सदस्यता के लिए और सरपंच के लिए अलग दो चुनाव कराना या एक साथ दो व्यक्तियों का चुनाव कराना प्रेक्टिकल नहीं होगा। सैद्धान्तिक दृष्टि से सरपंच डाइरेक्टली सब मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से अगर देखा जाये तो वह पंचायत की सारी डवलपमेन्ट स्कीम्स को एग्जीक्यूट करता है। इसलिए एक ही व्यक्ति सरपंच को ग्राम पंचायत और पंचायत समिति दोनों में होना चाहिए इससे योजनाओं के बनाने में और योजनाओं के एग्जीक्यूट कराने में समन्वय रहेगा, सफलता मिलेगी। इसलिए यह प्रावधान रखा गया है यह बिल्कुल ठीक ही है।

तहसील पंचायत के सरपंच का जहां तक प्रश्न है वह उस ब्लॉक के सभी चुने हुए पंचों और सरपंचों द्वारा चुना जायेगा इसलिए उसके मार्ग दर्शन से निश्चय ही पंचायत को सहयोग और सफलता मिलेगी। इसके बाद में इसकी उपधारा (डी) में भी बताया है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : आन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, माननीय सदस्य बिल की धाराओं का समर्थन कर रहे हैं न कि कोई अपने संशोधन रख रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : संशोधन तो मैं अब रखूंगा।

डॉ० चन्द्रकला : यह स्थिति तो जब आएगी कि जब सारे संशोधन रख दिये जायेंगे जब कि उन संशोधनों का कोई विरोध करेगा और कोई समर्थन। जो भी माननीय सदस्य ने कहा है वह जो धाराओं में प्रावधान है उसके बारे में है। मेरा ख्याल है कि वह इस स्थिति में यह सब नहीं रख सकते।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु०) : माननीय सदस्य जो विचारधारा व्यक्त करते हैं तो इस सदन में जो पूर्व कार्यवाही होती है जब पहले का उदाहरण देते हुए बोलते हैं तो माननीय सदस्य आपस में ही लड़ते झगड़ते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : अच्छी बात है।

इसकी उप-धारा (डी) में बताया गया है कि जब ग्राम पंचायत तहसील पंचायत के सरपंच का स्थान रिक्त हो तो उसका चुनाव तथा उसके स्थान की पूर्ति तक उस ग्राम पंचायत या तहसील पंचायत का उपसरपंच पंचायत समिति का सदस्य होगा। लेकिन जब धारा (ई) बयान की गई है तो उसमें यह लिखा गया है कि जिस ग्राम पंचायत का उपसरपंच का स्थान रिक्त है तो बाकी के सदस्य अपने में से किसी को मिलकर चुन लेंगे और वह उस समय तक के लिए पंचायत समिति का सदस्य होगा जब तक कि

Page No.56

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

सरपंच और उपसरपंच का चुनाव नहीं हो जाये। इसमें एक बात है जिसका प्रावधान नहीं रखा गया है कि यदि तहसील पंचायत के सरपंच व उपसरपंच का स्थान रिक्त है तो उस स्थिति में पंचायत समिति का सदस्य कौन होगा। यानि सरपंच और उपसरपंच दोनों का स्थान तहसील पंचायत में रिक्त है तो कौन सदस्य पंचायत समिति में प्रतिनिधित्व करेगा। इसका वर्णन इस धारा में भूल से रह गया है इसलिए मैंने इसमें यह अमेन्डमेन्ट पेश किया है : In the first line after the words 'of a Panchayat' add the following words:- or the Sarpanch and Up-Sarpanch of a Tehsil Panchayat. of a Panchayat' शब्द के बाद में और सरपंच और उप-सरपंच ऑफ तहसील पंचायत' शब्द और जोड़ दिया जाये और इसी तरह से इसकी दूसरी लाइन में Any person elected by the Panchayat, के बाद में Tehsil Panchayat' शब्द और जोड़ दिये जांय। मेरा अमेन्डमेन्ट स्वीकार होने से इस बात की व्यवस्था हो जायेगी कि यदि तहसील पंचायत के सरपंच और उपसरपंच का स्थान रिक्त है तो बचे हुए मेम्बर्स अपने में से किसी एक को चुन कर पंचायत समिति में अपना प्रतिनिधि सदस्य के रूप में भेज सकेंगे इसलिए यह तरमीम आवश्यक है इस बात के लिए कि तहसील पंचायत और पंचायत दोनों में ऐसी परिस्थिति में समान व्यवस्था हो।

इसी तरह से कई माननीय सदस्यों ने क्लॉज़ (ई) की खिलाफत की है और उनका कहना है कि यह क्लॉज़ विलोपित कर दिया जाये लेकिन ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि जहां पंचायत सुपरसीड हो गई हो तो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा इसलिए जो क्लॉज़ (ई) रखा गया है वह उचित ही है। लेकिन इसमें मेरा एक सुझाव और है कि यदि पंचायत सुपरसीडेड हुई हो तो उस क्षेत्र के किसी आदमी को कोऑप्ट किया जा सकेगा। इसी तरह यदि तहसील पंचायत सुपरसीडेड़ हुई हो तो तहसील का एक आदमी को-ऑप्ट किया जाये इसकी व्यवस्था नहीं है जब कि आगे चलकर धारा १० की उप-धारा (२) की (बी) में बताया है :

"(b) A member co-opted under clause (e) of the proviso to sub-section (1) of section 6 shall hold office till the re-contitution of the Panchayat or Tehsil Panchayat and the election of its Sarpanch;"

धारा १० में बताया है कि सुपरसीडेड पंचायत या तहसील पंचायत के सदस्य की अवधि उस समय तक होगी जिस समय कि वह पंचायत री-कॉन्स्टीट्यूट न हो जाये और उसके सरपंच का चुनाव न हो जाये तब तक उस कोऑप्टेड मेम्बर की अवधि होगी। जब पंचायत और तहसील पंचायत दोनों का जिक्र किया है तो मैं समझता हूं कि (ई) क्लाज़ में तहसील पंचायत शब्द रह गया है इसलिए उसकी कन्फरमिटी में लाने के लिए इस क्लॉज़ में "in the case of superseded Panchayat" शब्द के बाद 'और तहसील पंचायत' और जोड़ दिया जाये तो यह (ई) सब-क्लाज़ १० के (बी) से इनकनफरमिटी हो जायेगा।

इसके बाद में क्लॉज ६ के बारे में कई माननीय सदस्यों की राय यह है कि इसको

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

विलोपित कर दिया जाये। कई माननीय सदस्य इसमें से 'डिस्ट्रिक्ट' शब्द को हटाना चाहते हैं। उनका कहना है कि ब्लॉक में रहने वाला ही लिया जाये लेकिन मेरी मान्यता यह है कि जिस तरह से यह क्लॉज़ जो रखा गया है वह ठीक है। हम देखते हैं कि ब्लॉक में बाज़ वक्त अनुभवी आदमी नहीं मिलते कि जिनकी मदद हम कोआप्शन के जरिये पंचायत समिति को सफलतापूर्वक चलाने में ले सकें। इसलिए यह सोचकर कि यदि किसी ब्लॉक में ऐसे अनुभव आदमी नहीं मिल सकें कि जिसे पब्लिक लाइफ का, एडमिनिस्ट्रेशन का या रूरल डवलपमेन्ट का अनुभव हो तो हम ब्लॉक के आधार को न रखकर जिले में से जहां भी अवेलेबल हो सके और जिन्हें उनको सभी पंचों का बहुमत प्राप्त हो तो उसे ही लिया जाना चाहिए। इसलिए यह प्रावधान रखा गया है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

इसमें दो परिस्थितियां पैदा होती हैं और इसीलिए मैंने दो अमेन्डमेन्ट पेश किये हैं। एक तो यह है कि इस दफा के तहत को-ऑप्शन का जो प्रोवीज़न है उसमें बन्दिश नहीं है कि एक आदमी कितने ब्लॉक्स के लिए कोऑप्ट किया जा सकता है। जो कुछ क्लॉज़ इस समय है उससे स्पष्ट है कि एक ही आदमी उस जिले में रहनेवाला कई पंचायत समितियों द्वारा कोऑप्ट किया जा सकता है और वह कई पंचायत समितियों का प्रधान अथवा उप-प्रधान चुना जासकता है। अत: मैंने एक तरमीम यह पेश की है कि यदि एक आदमी एक से अधिक पंचायत समिति या ब्लॉक द्वारा कोऑप्ट किया जाये तो उसके लिए यहां बन्दिश होगी कि वह एक से अधिक ब्लॉक का या पंचायत समिति का प्रधान या उपप्रधान नहीं होगा और हमारी मन्शा यही है कि एक आदमी प्रधान या उपप्रधान एक से अधिक पंचायत समिति में नहीं हो। उसी मन्शा को पूरा करने के लिए मैंने एक अमेन्डमेन्ट पेश की है कि एक सदस्य ऐसी एक पंचायत समिति से अधिक में कोऑप्ट किया गया गया है तो इसतरमीनमशुदा क्लॉज़ के तहत तो एक ही समिति का प्रधान या उपप्रधान रह सकेगा, एक से अधिक का नहीं।

दूसरा अमेन्डमेन्ट जो मैंने पेश किया है वह भी बहुत आवश्यक है। जैसा सबको मालूम है कि इस प्रोवीज़न की मन्शा यह है कि ऐसे दो आदमी जो उस जिले के रहने वाले हैं कोऑप्ट किये जायें कि जिनमें एड-मिनिस्ट्रेशन, पब्लिक लाइफ और रूरल डवलपमेन्ट का एक्सपीयरेन्स हो और वह एक्सपीयरेन्स पंचायत समिति को लाभदायक हो। इसका मतलब यह है कि कोऑप्शन के समय यह देखना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति को कोऑप्ट कर रहे हैं उसे एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक लाइफ और रूरल डवलपमेन्ट का एक्सपीयरेन्स है या नहीं कि जो पंचायत समिति को लाभदायक सिद्ध हो। जो प्रावधान इस समय रखा गया है उसमें यह कहीं भी जिक्र नहीं है कि यदि यह प्रश्न खड़ा हो जाये कि जो मेम्बर कोऑप्ट किये गये हैं इस दफा के तहत उनको एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक लाइफ और रूरल डवलपमेन्ट का एक्सपी-यरेन्स नहीं है इसलिए कोऑप्ट नहीं किया जा सकता तो उसके लिए क्या करें। कोई चैलेन्ज करने का या डिसीजन देने का अधि-

Page No.58

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कार कि किसी व्यक्ति को इन तीनों का एक्सपीयरेन्स है या नहीं, किसी भी ऑथोरिटी के पास नहीं है। ऐसी क्वालिफिकेशन्स ही रखने वाले आदमी कोऑप्ट किये जा सकते हैं तो ऐसा प्रावधान करना पड़ेगा कि इस क्वालिफिकेशन्स वाले वे व्यक्ति नहीं है तो क्या किया जाये। अगर क्वालिफिकेशन्स नहीं रखी होती तो हम यह कह सकते थे कि कोई भी दो आदमी इसमें कोऑप्ट किये जाये लेकिन जब हमने क्वालिफिकेशन्स रखी हैं तो डिसीजन के बारे में कि किसी व्यक्ति में यह क्वालिफिकेशन्स है या नहीं किसी ऑथोरिटी को अधिकार देने चाहिए और इसके लिए मैंने एक अमेन्डमेन्ट इसी आशय का प्रस्तुत किया है :

'Add another proviso at the end as follows:-"Provided further that in case of a dispute whether any person has exprience in administration, public life or rural development beneficial to the Panchayat Samiti or not, the decision of the State Government shall be final."

तो मैंने इस तरह के डिस्प्यूट खड़े होजाने पर सरकार का फैसला ही फाइनल होगा यह प्रोवाइजो प्रस्तुत किया है। इसी तरह से दफा ६ के दोनों प्रोविइजो में से एक प्रधान या उपप्रधान एक से अधिक पंचायत समिति का सदस्य नहीं रहेगा और दूसरा अमेन्डमेन्ट Experience in public life, administration, rural development etc. के बारे में डिसीजन का अधिकार होगा इस तरह के दो प्रोवाइजो और जोड़े जाने के लिए प्रार्थना की है।

तीसरे बहुत से माननीय सदस्यों ने सदन में यह राय व्यक्त की है कि एम० एल० ए० इस पंचायत समिति का सदस्य होना चाहिए और उनको ये सब अधिकार होने चाहिए कि जो पंचायत समिति के दूसरे सदस्यों को हैं और कई माननीय सदस्यों ने यह राय व्यक्त की है कि पंचायत समिति में एम० एल० ए० सदस्य नहीं होना चाहिए। यह तो निर्विवाद सत्य है कि एम० एल० ए० उस क्षेत्र का चुना हुआ प्रतिनिधि है और तहसील पंचायतों के सरपंच और पंच इनडाइरेक्ट इलेक्शन्स से चुने जाते हैं। सरपंच व पंचायत के पंच केवल उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। एक एम० एल० ए० ही ऐसा व्यक्ति है जिसको उस ब्लॉक के रहने वाले सारे लोग जो मतदाता होते हैं उसको चुनते हैं तो इस तरह से उसका उस क्षेत्र की जनता से बहुत गहरा सम्बन्ध होता है, उस क्षेत्र के विकास कार्य से उसका गहरा सम्बन्ध है। वह ब्लाक लेवल पर ब्लॉक एडवाइजरी कमेटी के मेम्बर की हैसियत से, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी के मेम्बर की हैसियत से और स्टेट लेवल पर एम० एल० ए० होने की हैसियत से क्षेत्र के विकास कार्यों में रुचि लेकर सहयोग देता रहा है। फिर ऐसे व्यक्ति को पंचायत समिति की सदस्यता से बिलकुल अलग कर दिया जाये यह समझ में नहीं आता। मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि वह फुलफ्लैज्ड मेम्बर पंचायत समिति का हो और मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूं कि उसको वोटिंग के पूरे अधिकार हों क्योंकि इससे रूरल लीडरशिप को बढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा और वह प्रधान या उपप्रधान बनने के चक्कर में न फंस जाये इसलिए मेरा एक बीच का

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

सुझाव है, बीच का रास्ता है और उस क्षेत्र के ब्लाक के विकास के काय से गहरा सम्बन्ध एम० एल ए० का रहना चाहिए वह अपने सहयोग से जरूर विकास कार्यो को अधिक तेजीसे निभा सकेगा इसकेलिए मेरा सुझाव है कि वह पंचायत समिति का सदस्य हो। लेकिन वह ऐसा सदस्य हो कि वह वोट नहीं दे सकेगा, और जितनी चर्चा, डेलीबरेशन्स, पंचायत समिति में हो उसके अन्दर वह भाग ले सकेगा चर्चा, और अपने सुझाव दे सकेगा और उनके सुझावों से वहाँ की पंचायत समिति लाभान्वित हो तो मेरी यह मान्यता है कि न तो वह फुलफ्लेज्ड मेम्बर हो और न वह बिलकुल पंचायत समिति से अलग हों बल्कि उसका पंचायत समिति से इस प्रकार संबंध रहे कि वह एक मेम्बर की हैसियत से वहां जायें, चर्चा में भाग ले, सलाह दे और अपना सहयोग दे। आज हम देखते हैं जैसा कि इस बिल में प्रावधान है स्टेट डवेलपमेंट डिपार्टमेंट के सभी आफिसर्स को यह अधिकार दिया है कि वह पंचायत समिति की बैठक में भाग लें और सब-कमेटीज में भाग लें और अपनी राय व्यक्त करें। उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं है लेकिन अपने सुझाव देने का अधिकार वहां पर है। तो फिर विधानसभा के सदस्यों को उन डवलपमेंट के अधिकारियों से भी नीचे स्तर पर रखें यह उचित नहीं मालूम होता है बल्कि उसको मेम्बर होने की हैसियत से पंचायत समिति को बल मिलेगा और रूरल लीडरशिप को डवेलप होने में भी कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। एम० एल० ए० विकास के कार्यों में अपने क्षेत्र से परिचित होगा इसलिए मैंने सब-सक्शन (३) नया जोड़ने के लिए तरमीम की है वह इस प्रकार है :—

Add sub-section (2) and the sub-section (3) as follows :—

"(3) Members of the Legislative Assembly for that block:- Provided that they will only be entitled to participate in the deliberations at the meeting of the Panchayat Samities or the sub-committees thereof and shall have no right to vote." मेरे खयाल से यह तरमीम ऐसी है कि जो स्वीकार की जानी चाहिए। मेरी इस तरमीम को और माननीय सदस्यों ने भी किसी न किसी रूप में रखा है लेकिन मेरे खयाल से यह यहां ही उपयुक्त रहती है क्योंकि इलेक्टेड मेम्बर और कोऑप्टेड मेम्बर के बाद में एसोसियेट मेम्बर के नाम से दिया जाये या किसी के नाम से कह दिया जाये यह यहीं सूट करता है। इसलिए सब-सेक्शन (३) इस सम्बन्ध में नया जोड़ने का है जो मंजूर किया जाय।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : What do you mean by 'deliberations' ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Deliberations mena चर्चा बहस।

श्री सभापति : Do you mean to suggset that he should be only a visitor or spectator ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो भी मीटिंग्ज हों उनमें चर्चा हो, उन डेलीबरेशन्स में और चर्चा में वह भाग ले और सुझाव दे सके। He will be a visitor but he will participate in the deliberations and give advice.

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

इस तरह से मेरी इस दफा में ४ में तरमीमात हैं जो काबिल मंजूर किये जाने के हैं।

एक माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया कि एन्क्लेव म्युनिसिपेलिटीज जो १० हजार से नीचे की आबादी की है उनका भी प्रतिनिधित्व इनमें होना चाहिये। बलवन्तराय मेहता कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि इस प्रकार की म्युनिसिपेलिटीज हों तो उनका एक रिप्रेजेन्टेटिव लिया जाना चाहिये। सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि हमारे यहां म्युनिसिपल एक्ट पास हो गया है और उसमें हमने प्रोविजन रखा है कि ८ हजार से नीचे की आबादी की जितनी भी म्युनिसिपेलिटीज़ हैं, सिवाय मंडियों के उनको एबोलिश करके वहां पर पंचायतें कायम करदी जायें। जब हमने उस कानून में ऐसा प्रावधान कर दिया है तो ८ हजार और १० हजार में विशेष फर्क नहीं है। इस प्रकार की म्युनिसिपेलिटीज जब पंचायतों में परिवर्तित हो जायेंगी तो उनको रखने की आवश्यकता नहीं है। आखिर इन म्युनिसिपेलिटीज के प्रतिनिधि वहां जाकर करेंगे क्या जब कि पंचायत समिति को अधिकार नहीं है कि वहां म्युनिसिपेलिटी के क्षेत्र के लिये योजनाएं बनावें और उनको कार्यान्वित करें या वहां से फंड इकट्ठा करें। तो जब अधिकार ही नहीं है तो हम केवल नाम के लिये १० हजार की म्युनिसिपेलिटीज के प्रतिनिधि वहां भेजें तो यह काफी अनुपयुक्त होगा विशेषतः जब कि म्युनिसिपल, एक्ट लागू होनेवाला है और ८ हजार के नीचे वालों को ग्राम पंचायत में कन्वर्ट करने का प्रावधान रखा है।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि कृषि निपुण रखा है वह नहीं रहना चाहिये। एक बात जरूर है कि बलवन्तराय मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है लेकिन राजस्थान की विशेष परिस्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि इसे रखा जावे। दफा १९ के नीचे जो शिड्यूल रखा है उसको देखेंगे तो पंचायत समिति के जितने फंक्शन्स हैं उनमें सबसे ज्यादा फंक्शन्स कृषि सुधार और कृषि विकास के फंक्शन्स हैं। जब इसके सम्बन्ध में ज्यादा फंक्शन्स है तो कृषि निपुण को लें तो अनुचित नहीं होगा निश्चित नियमों के अनुसार जिला परिषद् द्वारा बेस्ट फार्मर्स घोषित किये जायेंगे और पंचायत समिति उनमें से किसी एक को कॉप्ट किया जायगा। ऐसा सदस्य निश्चय ही पंचायत समिति के कार्य को चलाने में पंचायत समिति को सहयोग देगा इसलिये यह सुझाव ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : राजा श्री मानसिंह।

राजा श्रीमानसिंह (वैर) : Mr. Chairman, Sir.

I have put up some amendments which I would like to move simultaneously. The first amendment is that the sub-clause (1) be substituted by the following:-

"(1) (a) Every Panchayat Samiti shall consist of 15 members elected in the prescribed manner.

(b) For the purpose of the election of the members of a Panchayat Samiti, the members consisting fo the Sarpanchas and Panchas of all

(श्री मानसिंह)

the Panchayats in the block established or deemed to have been established under the Rajasthan Panchayat Act, 1953, shall form an electoral college."

There is nothing new in this suggestion, Sir. The suggestion is that our Panchayat Samities should be elected on the same basis as Tehsil Panchayats. Why I oppose the formation of these Panchayat Samities is, as my learned friend has already pointed out, that it will consist of many ex-officio members.

In clause 3,part (viii) (a) already passed, appeals from the orders of Panchayat will lie before a Panchayat Samiti:-

"(26 A). Appeals from order of Panchayats under Chaptr III.— (1) Any person aggrieved by any order or direction of a Panchayat under this Chapter or under any rule or bye-law made there under, may appeal from such order or directing to the Panchayat Samiti having jurisdiction.

"(2). An appeal under sub-section (1) shall be heard by a standing committee of the Panchayat Samiti constituted under section 16 of the Rajasthan Panchayat Samities and Zila Parishads Act, 1959.

(3) The Standing Committee referred to in sub-section (2) may, after hearing the person aggrieved, the Panchayat and any other person affected by the order or direction appealed against, vary, set aside or confim such order or direction and may also award costs to or against the person filing the appeal.

(4) The decision of the standing committee shall for all purposes be deemed to be the decision of the Panchayat Samiti."

I fail to understand how a person who is aggrieved by the directions and orders of a Panchayat can appeal to a Panchayat Samiti in which the Sarpanch of the Panchayat against whom he is appealing will be sitting, either as a member of the Panchayat Samiti or as an elected member of the Standing Committee. I have, therefore, suggested that the Panchayat Samities should be elected entirely on a seperate basis.

The functions of Panchayat Samities will be to supervise the working of the Panchayats, and Sarpanchas of these Panchayats who will constitute the Panchayat Samities will themselves look into the matter of various Panchsyats to see if their working is correct or not. The members of the Panchayat Samities will be Sarpanchas of their respective Panchayats and how then can any surpervision be done over the Penchayats by them, I fail to understand. I have, therefore, suggested that because of this and other defective

Page No.62

(राजा श्री मानसिंह)

provisions in the clauses cf the Bill which are joined together in a haphazard and heath Robinson manner, my amendment should be accepted by the House.

I have also made a provision in amendment to part (vi) of sub-clause (2) of clause 6, for substiuting of the proviso as under:—

"Provided that if any person so elected or co-opted happens to be a Panch or Sarpanch of any Panchayat or Tehsil Panchayat, his seat on such Panchayat or Tehsil Panchayat shall be deemed to have become vacant upon the announcement of the result of such election or co-option."

In the Bill, sub-clause (1) of clause 6 has five parts, and then we have got another clause 6 A and then we have to see sub—clause (4A) of clause 8. The whole thing is that apparently the Government decides on a certain policy and when they find faults in the clauses, they try to insert other clauses instead of correcting the previous ones.

From clauses as they have been drafted at the moment, Sir, it appears that Sarpanch of a Panchayat can be a member of several Panchayat Samities and also be the Pradhan of one Panchayat Samiti. In clauee 6A Sir:—

"6A. Additional member of Panchayat Samiti. The Sarpanch or Up-Sarpanch of a Panchayat or a Tehsil Panchayat who vacates his office as such under sub-section (4A) of section 8 because of his having been elected as the Pradhan of a Panchayat Samiti shall be the additional member of such Panchayat Samiti."

But supposing after his election as Pradhan, he resigns his post as Pradhan and continues to be the additional member of that Panchayat Samiti, then another Sarpanch is elected in his place as Pradhan. If this second one also resigns his position as Pradhan after, say, two months, then he also remains as an additional member. This chain re-action continues so that in a normal district with 10 or 11 Sarpanchas as members of the Panchayat Samiti, the membership can be increased by additional members being added, to 24 or 25. I don't understand how this law has been framed.

Therefore, if the House approves of my amendment, then all these faults and loopholes in the Bill can be done away with. But I have also moved an alternative amendment that in sub—clause (1) of clause (6), part (ii) that the Sarpanchas of all Tshsil Panchayat in the block should be included in the composition of Panchayat Samiti, should be deleted.

A Tehsil Panchayat, according to clause 3, part (viii) which we have passed, shall hear appeals from decrees, sentences, decisions, orders

[राजा श्रीमानसिंह)

and directions made, in the exercise of its civil and criminal jurisdiction, by a Panchayat within the local limits of that Tehsil Panchayat. We have clearly come to the conclusion here that we want Tehsil Panchayat to have only judicial powers and not to have an executive powers. Then I do not understand why the Sarpanch of a Tehsil Panchayat is to be elected on a Panchayat Samiti.

I, therefore, suggest, Sir, that if the House does not accept my first amendment then my alternative amendment may be accepted that Sarpanchas of Tehsil Panchayts should not be included in the Panchayat Samiti.

Then sub-clause (2), Sir, I have divided into three parts. One amendment is:—Delete part (i) "One Krishi Nipun." We have been forced to accept by the majority of this House the definition of 'Krishi Nipun' to mean:—

"'Krishi Nipun' means a person declared as such for every block by the Zila Parishad in accordance with rules made in that behalf."

I again emphasise, Sir, that there is no need to have a Krishi Nipun as a member of the Panchayats Samiti. The functions that have been given to Panchayats under the Rajasthan Panchayat Act, 1953 are enumerated in sections 24, 25 and 26 of that Act. These sections contain as many as 20 sub-sections. Sub-section (13) of Section 24 in the least little bit refers to agriculture. This sub-section (13) says:-

"It shall be the duty of each Panchayat within the limits of the funds at its disposal, to make adequate provision for carrying out the requirements of the area under its jurisdction in regard to the following matters, namely—(13) assistance in the development of agriculture, commerce and industry." and just for this provision it has been suggested that Krishi Nipun should be co—opted on the Panchayat Samiti.

I don't understend, Sir, that when for the purpose of agriculture we feel that it is necessary to have an Agricuitural Expert co-opted on our Panchayat Samiti, then why not the Government suggests that we alse co-opt one Industries expert, Education expert, Health expert and Construction expert ? If all these more important matters can be dealt with by laymen i. e. the Sarpanchas of the Panchayats who will constitute the Panchayat Samities, then surely this single matter of agriculture can also be dealt with by them, when they are good agriculturists themselves.

Of what actual use will a Krishi Nipun be when he is declared as such. He will be an agriculturist owning 30 standard acres or a

Page No.64

(राजा श्री मानसिंह)

mechanised farm. These are two categories in which he can come. But being a cultivator cf 30 acres of land or owning a mechanised farm, how he will be able to improve the quality of agriculture throughout the block area by being a Krishi Nipun, passes my comprehension.

According to clause 10, sub-clause (2), part (c) "a member co—opted under clause (i) or clause (v) of sub—section (2) of section 6 shall hold office for a term of one year unless before the expiration of such term he ceases to be the Krishi Nipun of the block or a member of the managing committee of the co—operative society fuuctioning in the block."

It means Sir, that Krirhi Nipun who has been declared as such by the Zila Parishad would normally hold his office for one year unless he gets disqualified by virtue of part (c) of sub—clause (2) of clause 10.

If that is the case that the Government has foreseen that a person who has been declared as Krishi Nipun for one year which should be normally an Agricultural year how he can loose his qualification within one year. I would like to have the Government's opinion on this point. This sub-clause (20) of 10 says thrt provided that in the case of any such member being a Krishi Nipun, the State Government may extend the term by a period not exceeding one year and such extension shall cease to be operative if he ceases to be the Krishi Nipun of the Block at an earlier date. It means Sir that even though a Krishi Nipun may have completed his period as declared by the Zaila Parishad then the Government on its own motion can extend for a period of one year, wherever a Zila Parishad can declare second Krishi Nipun. This is very much ambiguous Sir, and therefore I suggest that this sub-clause should be deleted.

My second amendment is that in part 5 delete the words 'of the Managing Committees', When we have a provision in this sub-section Sir of coopting any person then I fail to understand why the Government wish to make a disqualification for co-opting a person from a Co operative Society. In sub clanse part (e) Sir, it provides that in the case of a superseded Panchayat, the Panchayat Samiti shall coopt a person residing in the area within the jurisdiction of such Panchayat to be the member representing such area. In sub clause (2) Sir, it provides that without any qualification a person may be co-opted. In the same sub-clause part (iv) provides that any person of the Scheduled Cast without any particular qualification may be coopted. Part (iv a) provides that any person of the Scheduled Tribes may be co-opted. And further Sir

Page No.65

(राजा श्रीमानसिंह)

part (vi) provides that person having experience in administration, public health or rural development may be co-opted. I fail to understand that in particular sub-section(5) why the Government has put forward this disqualification that one person from amongst the members of the managing Committees of the Cooperative Society should be co-opted. why should not from amongst the members of the Co-operative Society be co-opted. And after the disqualification as I have read from Clause 10 (c) they have made that their office will be for one year and he ceases to be a member of the Managing Committee of the Co-operative. Society then he sha'll loose his membership of the Panchayat Samiti. The whole thing seems to be a nonsense Sir and therefore my amendment should be accepted.

The third amendment Sir I have made in this sub-clause is that proviso to sub-clause (2) relating to Part (vi) be deleted. I have later on found out reasons Sir behind this Clause-'Two persons residing whose experience in administration public health or rural development would be of beenefit to the Panchayat Samiti'. By reading this clause I find there are some gramatical mistakes also and the Government will, I hope, correct them. Where they are residining block areas or in a house. 'Provided that it shall not be necessary that the persons mentioned in clause 6 reside in the block, but they must be residing in the district in which the block is situated'. It means that any two persons may be co-opted by the Panchayat Samiti within the block. Those two persons may be members of each and every Panchayat Samiti by qualifications having experience in administration, public health or rural development. Perhapas this is a loop-hole to incorporate the ex-Ministers of the Government. I have suggested in my amendment that this proviso be deleted and a new proviso be inserted. The new proviso that I have suggested is that 'Provided that if any persons elected or coopted happens to be a Panch or Sarpanch of any Panchayat or Tehsil Panchayat his seat on such Panchayat or Tehsil Panchayat shall be deemed to have become vacant upon the announcement of the result of such election or co-option; This is regarding my own amendments Sir. Now I would like to say about other amendments moved by other Hon' ble Members of this House and the general Clause. Several Members have moved amendment desiring that the Members of this House should be cocpted to Panchayat Samiti. I am of the opinion Sir that the Members of this Legislature should not be Members of either Zila Parishad or Panchayat Samiti. The only reasoning that I gather is that the Members feel that unless the Members have a say how a Zila Parishad run. The Members feel that they will not be able to secure the required number of votes for being elected to this House. I don't

(राजा श्री मानसिंह)

understand how the working of this House or the Zila Parishad are linked together. We are told by the Hon'ble Leader of the House or rather what I understand from his own words, was that the Member of this House would be a link between a Zila Parishad and the Legislature. I don't understand that link means that the Members of the House will be able to put forward the difficulties of the Jila Parishad and the Panchayat Samiti before the Government through the medium of this House, what is the medium available to the Members of the House to put up their difficulties before the Government. We may put up our difficulties before the Government during the general debate on the address of the Hon'ble Governor which according to a rule has got time limit of 10 minutes per Member. Lastly Sir we can put up our difficulties during the no-confidence motion against the Government. Apart from this, there is no other place on which a member of this House can put up his difficulties of his district to the Government.

We are here, Sir, to discuss and frame various laws as and when they are brought up by the Government. How our membership to the Panchayat Samities or Zila Parishads is going to affeet the deliberations of this House, I do not understand. Perhaps some members would even like to have the Pramukhs of Zila Parishads co-opted to this House so that they may be in a position to let us know the difficulties and also provide a better link between the Zila parishads and this legislature. The whole thing is Sir that members feel that unless they are members of these bodies and are enabled to influence these bodies, the people may forget them and they may not get the required number of votes in the next elections.

These are my few amendments and I hope the Government will accept them after thinking over them.

श्री सभापति : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर-सु०) : सभापति महोदय, सदन में राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् विधेयक की क्लॉज ६ पर विचार किया जा रहा है । क्लॉज ६ में लिखा है :

Composition of Panchayat Samiti:- Every Panchayat Samiti shall consist of:—

(1) Sarpanchas of all Panchayats in the block, and,

(2) Sarpanchas of all Tehsil Panchayats in the block. इसके आगे मैंने एक अमेंडमेंट प्रस्तुत किया है वह थर्ड पार्ट में है, जो इस प्रकार है :- Add the following as part (iii) :

Page No.67

(श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री)

6 (ii) One person belonging to the Scheduled casts to be elected in the prescribed manner. Omit part (iv) of clause 6 (2). इस धारा में जहां कोआॅप्शन की बात कही गई है उस क्लॉज में ६ (२) पार्ट (४) में है उसमें है :

One person belonging to the scheduled casts if no such person is a member of the Panchayat Samiti by virtue of sub-section (1).

इसके लिये मैंने यह लिखा है और एक अमेंडमेंट प्रस्तुत किया है कि जो कोआॅप्शन की बात कही गई है उसको ओमिट कर दिया जाय। सभापति महोदय, गत ७ साल के अर्से में हमें कटु अनुभव हुए हैं, कोआॅप्शन और नोमिनेशन से हरिजनों का कतई उत्थान नहीं हुआ है और न हो सकता है। ग्राम पंचायतों में शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को मनोनीत करने की बात कही गई है। मगर कोई अच्छे आदमी नोमीनेट नहीं किये गये हैं। ऐसे आदमी ले लिये गये हैं जो बिल्कुल बुद्धु हैं और किसी तरह से वे शेड्यूल्ड कास्ट के भाइयों की सेवा नहीं कर सकते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि हरिजन उत्थान का कार्य जितना होना चाहिये नहीं हो पाया है और वही खतरा आज भी हमारे सामने है।

श्री सभापति : आपने बुद्धु किसको बताया है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : मैंने उन लोगों को अंगूठा छाप बताया है। मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि कोआॅप्शन की बात कही गई है इससे सरकार यह चाहती है कि शेड्यूल्ड कास्ट का उत्थान हो और इसी लिये यह धारा रखी है कि एक आदमी कोआॅप्ट कर लिया जावेगा। लेकिन सभापति महोदय, मैं सदन को आपके द्वारा बता देना चाहता हूँ कि इससे गांवों में होगा क्या कि किसी सरपंच के यहां कोई व्यक्ति शेड्यूल्ड कास्ट का गायें चराने वाला हो या बेगार करने वाला होगा तो उस आदमी को पकड़ कर उसमें लगा देंगे और कोआॅप्ट कर लेंगे और जिस समय किसी प्रकार का सवाल सामने आएगा उसको डरा-धमका दिया जायेगा और वह उनकी हां में हां मिलाता रहेगा। जब किसी कुंए के निर्माण का प्रश्न सामने आवेगा तो वह बेचारा बोल नहीं सकेगा। अगर बोलेगा तो उसको धमकावेंगे और कहेंगे कि हमने तुमको इसीलिये रखा है कि तुम हमारी हां में हाँ मिलाओ। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुमको निकाल दिया जावेगा। वह उनकी दया पर रहेगा। अगर वह उनके कहने पर नहीं चलेगा तो उसको निकाल दिया जावेगा। इस तरह से क्या होगा कि जो अच्छे और पढ़े लिखे लोग हैं उनको सामने आने का अवसर नहीं रह जाता है। इलेक्शन हो तो उसमें योग्य व्यक्ति आवेंगे। एक की जगह दो-तीन आदमी अपनी दर्ख्वास्तें पेश कर देंगे। उनमें से योग्य व्यक्ति आ सकेगा। मगर इसमें इस बात का समावेश नहीं है। इसमें यह किया गया है कि आप मन चाहे उसको ले सकते हैं। आप गांवों की बात जानते हैं और आपको मालूम ही है कि गांवों में आज भी बहुत से लोग हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट वालों से घृणा करते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं जो उन पर नहीं होना चाहिये।

Page No.68

(श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री)

इसलिये मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार जितना सुधार सद्-भावना पूर्ण करना चाहती है नहीं होता है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति लिये जावें वे इलेक्टेड लिये जावें। इससे यह होगा कि विकास के कार्य में वे लोग आ कर अपनी राय देंगे और अच्छी तरह से उस कार्य के लिए कोई बात होगी तो लोगों में जा कर उनको समझावेंगे। इस तरह से विकास के कार्य में कोई बाधा नहीं पहुँचेगी।

एक माननीय सदस्य : शेडयूल्ड कास्ट में मेल और फिमेल होने चाहिये।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : मैं यह निवेदन करूंगा कि जहाँ पर आपने दो महिलाओं को रखा है वहां एक शेडयूल्ड कास्ट की महिला को भी ली जावे तो अच्छा रहेगा। इसलिये मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि इसमें जो कोओपशन का प्रोविजन रखा है इससे कतई लाभ शेडयूल्ड कास्ट को होने वाला नहीं है। इसलिये मैंने जो रखा है उसको स्वीकार किया जावे। बस इतना ही कह कर मैं बैठ जाता हूँ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : He has not explained the prescribed manner...

श्री सभापति : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान पंचायत समिति और जिलापरिषद बिल की क्लॉज ६ में मैंने संशोधन रखा है। संशोधन इस प्रकार है:—

Proviso to clause 6 (1) be redrafted as under:—

(a) In case the area of a Panchayat circle or a Tehsil extends over more than one block than one out of the Sarpanch, Up-Sarpanch and any other panch of that Panchayat or Tehsil Panchayat will be the member of one Panchayat Samiti and as to who will represent in a particular Panchayat Samiti will be decided by the Panchayat or Tehsil Panchayat, as the case may be by the majority of votes.

1. In part (ii) substitute the word 'one' for 'two'

2. Delete part (iii)

3. In part (v) substitute the word 'two' for 'one.' इस बिल पर कई माननीय सदस्य बोले हैं। इस बिल को लागू तत्काल विकेन्द्रीकरण के लिये बनाया जा रहा है और हमारी पंचायत समिति और जिला परिषदें किस प्रकार बनेगी, उनका निर्माण कैसा होगा। इस बात को देखते हुए और निर्माण की बात को देखते हुए हम यह कहते हैं कि यह बिल लोकतन्त्र में विकेन्द्रीकरण के लिये लाया गया है मगर मैं यह कहूँगा कि इसमें लोकतन्त्र के विकेन्द्रीकरण की भावना कहीं दिखाई नहीं देती है बल्कि केन्द्रीकरण की भावना प्रतीत होती है। मैं यह बताना चाहता हूं कि इसमें यह होना चाहिये कि कार्यों का बंटवारा हो और जितने लोग उसमें सहयोग देना चाहें, दे सकें और सभी लोग मिल कर काम करें। लेकिन हमने क्लॉज ६ में बताया है कि एक ही व्यक्ति

(श्री शंकरलाल)

जो सरपंच होता है पंचायत समिति का सदस्य होता है और तहसील पंचायत का सरपंच होता है वह समिति का सदस्य होता है। इससे मैं यह कहूंगा की १केन्द्रीकरण की भावना पैदा होती है। इसलिये मैंने यह संशोधन (२) में रखा है। कल से यहां पर यह चर्चा चली कि कई गांव एक ब्लॉक में आयेंगे और कोई गांव दूसरे ब्लॉक में आवेगा। इसमें कहा गया है कि पंचायत के सरपंच और तहसील के सरपंच दोनों के सदस्य होंगे। इसके लिये मैंने यह संशोधन रखा है कि एक आदमी है वह एक ही जगह का सदस्य बने। अगर एक एरिया दूसरे पंचायत समिति में आता है तो दूसरा आदमी सदस्य बने। अगर तीन में आता हैं तो उसकी जगह कोई पंच जा सकता है। अब रहा प्रश्न यह कि सरपंच कौनसी कमेटी का और अन्य पंच कौनसी समिति का सदस्य बनेगा। इसका निर्णय वहां की पंचायत करे यह मैंने रखा है। आज में और कल भी हमारे सामने दिक्कतें आई कि एक गांव दो ब्लॉक्स में है या जहां पर २ तहसीलां में हो तो हमारे सामने दिक्कत आती है। उसका किस प्रकार से कार्य होगा एक तहसील को एक विकास खंड के अनुरूप बनाया है। मैं समझता हूं कि इतने अल्प समय में हमारा विकास और पंचायत समिति का एक ही रूप हो। एक पंचायत समिति बने और एक पंचायत समिति को इतने अधिकार रहे। इसलिये जब तक समान नहीं है तहसील और विकास खंड का पुनः निर्माण हो यह मेरा सुझाव है और यह समझने की बात है। हम इस धारा में इस प्रोवीजन को स्थान देते हैं तो हमारी दिक्कत बहुत सी हल हो जाती है और हम मानेंगे कि विकेन्द्रीकरण के हिसाब से ही सदस्यता रखी जावे।

दूसरी बात जो मैंने इस संशोधन में रखी है वह यह है कि जो इस धारा ६ (२) में जहां दो औरतों को रखा है उसके लिये मैंने यह संशोधन रखा है कि वहां पर एक औरत रखी जावे अगर चुन कर नहीं आवे। सभापति महोदय, मैं चाहता हूँ कि महिलाएं आवें और उनको उचित स्थान मिले मगर जैसा अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि अगर हम कोऑप्ट ही करते जावेंगे तो....

श्री मूलचन्द डागा : एक महिला बैठ कर बात नहीं कर सकती।

श्री रामचन्द्र (डग सु०) : एक अपनी साथिन को साथ क्यों नहीं ले जावे।

श्री शंकरलाल : एक महिला वहां पर जाकर बैठ नहीं सकती इसलिये दूसरी महिला को रखी जावे यह तो कोई वजह नहीं है। इस प्रकार की राजस्थान की स्थिति बताई जाती है कि एक महिला वहां पर जाकर बैठ नहीं सकती उसको बिठाने के लिये एक महिला को और साथ ली जाए, मैं समझता हूं यह उचित नहीं होगा। अगर हमें उनको आगे बढ़ाना है तो कोऑप्शन नहीं होना चाहिये।

मैं यह समझता हूँ कि यह उचित नहीं होगा और इसके लिये यदि महिलाओं को समाज में आगे बढ़ने देना है तो ठीक है २ महिला चुन कर नहीं आती है तो एक महिला को कोऑप्ट किया जाय। राजस्थान का, जैसा कि पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां

(श्री शंकरलाल)

एक महिला भी बडी मुश्किल से चुन कर आ सकती है, महिलाओं का इस कार्य के लिए मिलना भी दुर्लभ हो सकता है, २ महिलायें पंचायत समिति की सदस्या बनेंगी, यह तो उनकी उन्नति में भी बाधक होगा और यदि २ महिलाओं का कोऑप्शन रखते हैं तो महिलाओं को आगे काम करने का मौका नहीं रहेगा। यदि महिलाओं की वास्तविक प्रगति चाहते है तो एक को ही कोऑप्ट करिये जिससे कि उनके लिए काम करने का क्षेत्र भी बढ़ेगा और आगे जाकर महिलाओं को पुरुषों के बराबर आने का भी मौका रहेगा। यदि विशेष अधिकार इस प्रकार से देते रहे महिलाओं को, एक की जगह दो का कोऑप्शन होता रहा तो, सभापति महोदय, मैं मानता हूँ कि इससे महिलाओं का भला होने वाला नहीं है, इससे उनकी प्रगति रुकेगी। मैंने महिलाओं के हित में ही यह संशोधन रखा है।

सभापति महोदय, कोऑपरेटिव में से मैनेजिंग कमेटी के एक आदमी को कोऑप्ट करने की बात कही गई है। मैंने दो आदमियों को इसमें कोऑप्ट करने के लिए संशोधन रखा है। हिन्दुस्तान में कोऑपरेटिव मूवमेन्ट में जिस प्रकार से तरक्की और प्रगति हम लाना चाहते हैं और जिस प्रकार की इसके लिए एक हवा और एटमोसफियर हम बनाना चाहते हैं और यदि हम चाहते हैं कि वास्तव में कोऑपरेटिव मूवमेन्ट में तरक्की आवे, उसमें जान आवे तो हमें ब्लॉक्स में और खास कर पंचायत समितियों में उनको उचित प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। एक ब्लॉक में, पंचायत समिति में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है अलग अलग क्षेत्रों की बनी है, आप चाहते हैं कि कोऑपरेटिव फार्मिंग बने, बहु धन्धी सोसाइटीज बने और दूसरी सोसाइटीज अधिक से अधिक बनें, उनको सहयोग देना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो यदि पंचायत समितियों में कम से कम उसके दो मेम्बर रखेंगे तो इससे सहकारिता आन्दोलन को बहुत बड़े पैमाने पर बल मिलेगा और लोगों का आकर्षण भी होगा कि सहकारिता के जरिये पंचायत समितियों में जा सकते हैं और सहकारिता के आन्दोलन को वास्तविक रूप में बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे एक सहकारी समिति, एक स्कूल और एक पंचायत की बात गांव में होना जरूरी कहा जाता है, ये तीनों चीजें आज गांव के लिए जरूरी मानी जाती है वैसी सूरत में गांव में एक सोसाइटी है और उसका प्रतिनिधि पंचायत समिति में न रखा जाय तो उचित प्रतीत नहीं होता है इसलिए जो कोऑप्शन की बात कही गई है मेरा यह सुझाव है कि एक के बजाय दो प्रतिनिधि उस पंचायत सर्किल में से कोऑप्ट होने चाहिये। वैसे मेरी यह व्यक्तिगत विचारधारा थी कि हरएक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेम्बर वहां होना चाहिये और तब ही जाकर कोऑपरेटिव मूवमेन्ट को बढ़ावा दिया जा सकता है। इतना न हो सके तो कम से कम दो व्यक्ति तो उसमें उसके सदस्य रहने ही चाहिये।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं यह निवेदन करूं कि एक चर्चा अपने सामने यह आयी कि कृषि निपुण पंचायत समिति का मेम्बर नहीं रहना चाहिये। मैं इस विषय में निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे देश में आज यह समस्या है कि खेती का उत्पादन बढे और खेती की दशा सुधरे,

(श्री शंकरलाल)

जिस प्रकार से उत्पादन बढ़ना चाहिये, उत्पादन बढ़े और हम चाहते हैं कि हमारी प्रत्येक योजना का भी यह उद्देश्य है कि खेती-बाड़ी में वृद्धि हो और खेती के मामलों में हमारा देश सेल्फ सफिशियेन्ट हो जाय और हम तरक्की करें। पंचायत समितियों का जहां निर्माण होता है अगर वहां पर खेती में काम करने वाले लोगों को कोई आकर्षण नहीं दिया जायगा तो मैं समझता हूँ कि खेती में उतनी तरक्की, प्रगति नहीं ला सकते जितनी कि लानी चाहिये। इसलिए हमारे जिलों में डवेलपमेन्ट कमेटियां बनी हुई हैं और उनमें प्रोग्रेसिव फार्मर मेम्बर होता है और मुझे इस बात का अनुभव है कि जो फार्मर होते हैं उससे दूसरे लोगों को इम्पिटस मिलता है, बढ़ावा मिलता है। खेती के क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं, योजनाओं में विकास का मुख्य ध्येय खेती को ही बना रखा है और यदि कृषि में काम करने वाले दूसरे लोग इसमें नहीं आ सकते हैं तो उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि इनमें होना चाहिये और यह आवश्यक भी है। यह बात सही है कि कृषि निपुण आदमी सरपंच की हैसियत से, कोऑप्टेड मेम्बर की हैसियत से पंचायत का मेम्बर बन जाता है तो अलग से फिर कृषि निपुण को लाने की आवश्यकता नहीं है। यदि नहीं आता है तो खेती बाड़ी करने वाले किसी प्रगतिशील किसान को पंचायत समिति में मेम्बर बना लेना चाहिये। अगर सरपंच की हैसियत से कोई कृषि निपुण उसमें आ गया है तो फिर अलग से किसी को कोऑप्ट करने की आवश्यकता नहीं है! लेकिन यदि सरपंच की हैसियत से नहीं आया है तो उसक लेना जरूरी है जिससे कि जो खेती करने वाले किसान हैं उनको इससे प्रोत्साहन मिले।

इसके अलावा मैं निवेदन करू कि इस विधेयक में निर्माण करते समय विकेन्द्रीकरण ही की भावना रखी गई है। उसी प्रकार तहसील पंचायतों के लिए बताऊं। बहुत से माननीय सदस्यों ने स्पष्ट कहा है और मैं भी उनके विचारों से सहमत हूँ कि तहसील पंचायत एक ऐसी पंचायत है जिसका कार्य केवल न्याय करने का है और न्याय को विकास से अलग रखना चाहते हैं फिर यह समझ में नहीं आता है कि क्यों इस प्रकार का कन्फ्युजन पैदा करना चाहते हैं। जब आगे जाकर तहसील पंचायतों को हटाने की बात करते हैं और सिद्धान्ततया यह स्वीकार भी कर लिया है कि विकास से जुडिशियरी को अलग ही रखना चाहिये तो फिर तहसील पंचायतों के सरपंचों को पंचायत समितियों में क्यों मेम्बर रखना चाहते हैं जिसका केवल न्याय करने का ही काम है? इससे एक प्रकार के दबाव होंगे और न्याय में गडबडियां और इन्टर फियरेन्स होंगे। ग्राम पंचायतों की अपीलें तहसील पंचायतों में होती है और जब ग्राम पंचायतों के सरपंच और तहसील पंचायतों के सरपंच पंचायत समितियो में होंगे तो वहां पर तहसील पंचायतो के सरपंचों की ही आवाज को माना जायगा क्योकि ग्राम पंचायतों के सरपंच जानते हैं कि आखिर तो उनकी अपीलें तहसील पंचायतों के सरपंचों के पास ही जावेंगी, उनको अपीलें सुनने का अधिकार दिया गया है और इस प्रकार से वे लोग ग्राम पंचायतों के सरपंचों की जो आवाज होगी उसको खत्म

(श्री शंकरलाल)

कर देंगे, उसको दबा देंगे। जिस प्रकार से वास्तव में जो विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं वह विकेन्द्रीकरण न होकर एक प्रकार से केन्द्रीकरण हो जायगा और पंचायत समितियों में तहसील पंचायतों के सरपंचों की आवाज़ ज्यादा हो जायगी। वास्तव में विकेन्द्रीकरण की भावना से जो गठन आप करना चाहते हैं उनमें तहसील पंचायतों के सरपंच नहीं होने चाहिये और पंचायत समितियों के पंच या दूसरे आदमी उनमें भेजे हुए होने चाहिए।

जहां तक एम० एल० एज० को पंचायत समितियों में मेम्बर बनाने का सवाल है मैं कहना चाहता हूं कि स्थिति को एक दिन स्पष्ट करना पड़ेगा। यदि आप यह मानते हैं कि विधान सभा के सदस्यों का विधान सभा कानून बनाने, पास करने तक ही उनका कर्त्तव्य पूरा हो जाता है तो फिर उनको किसी भी समिति का सदस्य रखने की आवश्यकता नहीं रहती है। आप यह मानते हैं कि जिला परिषद् में विधान सभा के सदस्य को मेम्बर रखना चाहिए। स्थिति और विकट होती है। पंचायत समिति में भी उसको सदस्य रखा जाय। जनता के सामने आप बात को स्पष्ट रखिये कि विधान सभा के सदस्य का क्या कर्त्तव्य है। जब चुनाव हुए तो विधान सभा के सदस्यों ने यह कहा था कि विकास की बातों को ध्यान में रखेंगे, जो हमारी कमियां है, विकास के जितने काम हैं उनमें योग देंगे और उस दृष्टि से उनका विधान सभा का सदस्य जनता ने चुना। वहां की जनता ने इस बात को ध्यान में रख कर विधान सभा का सदस्य चुना कि प्रत्येक डेवलपमेंट कमेटी में विधान सभा के सदस्य होने से कोई आपत्ति नहीं आयी है। अब आप आज तक जो अधिकार थे उसको इस बिल के द्वारा क्यों छीनना चाहते हैं? जनरल पब्लिक को यह विश्वास दिया है और इसी उद्देश्य से पब्लिक ने चुना है कि हमारे इलाके की बढ़ोतरी के कामों में वह कार्य करेगा।

और इसलिये वह ब्लॉक डेवलपमेन्ट कमेटी का मेम्बर था और उसके कारण ब्लॉक डेवलपमेन्ट कमेटी के फंक्शन्स में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आयी तो वैसी हालत में ये पंचायत समितियां भी एक प्रकार से ब्लॉक डेवलपमेन्ट कमेटी का ही स्वरूप है तो उसमें विधान सभाई सदस्य को मेम्बर क्यों नहीं रखा जाता। मेरा तो यही निवेदन है कि जिस प्रकार वह ब्लॉक डेवलपमेन्ट कमेटी का मेम्बर रहता है तो उसकी उचित सलाह के लिये वह राजस्थान की बात बता सके, उसका पंचायत समिति में भी रहना आवश्यक है। या फिर यह कह दीजिये कि विधान सभाई सदस्य का केवल विधान बनाने का ही काम है उसका विकास सम्बन्ध से कोई ताल्लुक नहीं, वैसी हालत में उसको पंचायत समिति या जिला परिषद् किसी का भी मेम्बर रखना आवश्यक नहीं है। जब आप यह चाहते हैं कि जनता में प्रगतिशील विकास के प्रति रुचि पैदा करे तो उसको पंचायत समिति में अवश्य रखना पड़ेगा।

जब मैं कोऑप्शन पर कुछ कहना चाहूँगा जहां तक कोऑप्शन का सवाल है उसके लिये स्पष्ट नहीं है कि एक व्यक्ति को एक ही जगह कोऑप्ट किया जा सकता है या बहुत सी जगह भी उसका कोऑप्शन हो सकता है। मेरा इसके लिये यह निवेदन है

(श्री शंकरलाल)

कि एक व्यक्ति का कोआॅप्शन एक ही जगह के लिये होना चाहिये। यह नहीं कि उसके एक्सपीरियन्स को देखते हुए दो तीन पंचायत समितियों में आप उसको रहने दें। अगर हम एक आदमी को एक काम दें तो लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण कामयाब हो सकता है। एक आदमी को तीन चार जगह स्थान देते हैं तो वह विकेन्द्रीकरण होने वाला नहीं है। इसलिये मैंने ये संशोधन सदन के सामने रक्खें मैं आशा करता हूं सदन इन्हें स्वीकार कराने में सहयोग देगा।

राव श्री नारायणसिंह (मसूदा): माननीय सभापति महोदय, मैं क्लॉज ६ में कुछ संशोधन मौलिक चुनाव के विषय में रखने की मन्शा से खड़ा हुआ हूँ। संशोधन इस प्रकार है :

In sub-clause (1) add the following part:

(iii) members of the Legislative Assembly in the block.

सब क्लॉज १ में पहला मेरा संशोधन है कि विधान सभा सदस्य को भी उसके मेम्बर्स की तौर पर सहयोग किया जाय। उसके बाद जो विशेष प्रतिनिधित्व विशेष तबके को देना है उसके विषय में मेरा संशोधन है कि इसको एक्सोफ्यूट बनाया जाय और जो इसमें शर्त रखी गई है वह न रखा जाय। उसके बाद एडमिनिट्रेटिव एक्सपीरियेन्स के आदमियों को लेने का सवाल आता है उसमें भी मैं कुछ परिवर्तन आवश्यक समझता हूँ।

इससे पहले कि विधान सभा सदस्य को उसमें संयुक्त किया जाय उनके संयुक्त करने के क्या कारण हो सकते हैं। क्या मौलिक विचार हो सकते हैं। मैं श्री बान्दीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने जो इलेक्टिव प्रिन्सीपल्स के बारे में बात कही थी उसी पर प्रकाश डालना चाहूंगा। जो सब क्लॉज बन है उसमें पंचायत समिति की चुनाव पद्धति का कलेवर है इसमें जो कुछ इलेक्टिव प्रिन्सीपल्स रखे गये हैं वह वास्तव में मैं कहूँगा पार्लियामेन्टरी आधार पर ही नहीं बल्कि कुछ एक्सीजेन्सीज के आधार पर रखे गये हैं कुछ डवेलपमेन्ट और को आर्डिनेशन के लिये और कुछ व्यक्तिगत प्रकाश के लिये रखे गये हैं।

सबसे पहले प्रश्न उठता है हम जो चुनाव सिद्धान्त लें उसके अन्दर सब से पहली बात उसका उद्देश्य निर्वाचक दूसरा होता है उम्मीदवार और तीसरा होता है चुनाव का तरीका। इन्हीं तीन बातों पर चुनाव पद्धति सिद्ध होती है और इस प्रकार के चुनाव में इन चारों बातों का मौलिक विचार रखने की आवश्यता पड़ती है।

जहां तक उद्देश्य का सवाल है उसमें से कुछ उद्देश्य व्यापक होते हैं और कुछ राष्ट्रीय होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो स्थानीय होते हैं और पर्टिकुलर इश्यूज को डील करने वाले होते हैं। इसके साथ साथ जिस प्रणाली की व्यवस्था हम प्रस्तुत करना चाहते हैं उसमें एग्जीक्युटिव फंक्शन्स की प्रधानता है और लेजिस्लेटिव फंक्शन्स जैसी बात यहां नहीं आती। इसमें एग्जीक्युटिव नीति का भी सम्बन्ध नहीं आता, कार्यवाही का सम्बन्ध आता है। इस चुनाव पद्धति को लेकर हम तीन बातों पर विचार करेंगे पहला नीति का व्यापक प्रश्न और

(राव श्री नारायणसिंह)

स्थानीय प्रश्न इनमें से किस विषय को ज्यादा जोर देना है। दूसरा इसका एग्जीक्यूशन इसका फंक्शन्स कैसा होगा। आज जो चुनाव पद्धति है उससे हम मेम्बर ऑफ पार्लियामेन्ट और मेम्बर ऑफ दी लेजिस्लेचर का चुनाव करते हैं और वह भी कॉन्स्टीटयूएन्सी द्वारा होता है। पार्लियामेन्टरी कोन्स्टीट्यूएन्सी का दायरा बहुत बड़ा होता है वहां लेजिस्लेचर कॉन्स्टीटयूएन्सी का दायरा छोटा होता है उस दायरे में व्यक्ति विशेष का ज्यादा संपर्क हो नहीं सकता वैसी हालत में या तो पार्टी के टिकट पर आसकते हैं या व्यक्तिगत के प्रभाव के बल पर आ सकते हैं। इस प्रकार से अगर पार्टी के टिकट पर कोई आता है तो उस पार्टी के सिद्धान्त होते हैं उसके कारण वह आता है। यानि एक प्रकार से जो चुनाव पद्धति की मार्फत प्रजातंत्र में प्रजा की भावना का निश्चय करें पीपुल्स विल का एक्सप्रेशन होने का जरिया है उसमें खास तौर से ऐसे बड़े चुनाव पीपुल्स बिल के एक्सप्रेशन का सवाल एक व्यक्ति विशेष पर और पार्टी के साथ प्रोग्राम लेकर आता है उस पर उसका एक आवश्यक स्वरूप बनता है। जनता की जो समुचित राय है या तो पार्टी प्रोग्राम के अन्दर वेब्ड आउट होती है या व्यक्ति विशेष की विचारधाराओं में केन्द्रित होती है तभी वह पीपुल्स विल को एक्सप्रेशन चुनाव की मार्फत कर पाता है।

आज जो पार्लियामेन्ट या असेम्बली के चुनाव होते हैं उसमें बहुत बड़ा माद्दा होता है। पार्लियामेन्ट के चुनाव के लिये हम कह सकते हैं जहां चुनाव पद्धति में निर्वाचक का प्रश्न आता है वह यदि पार्लियामेन्ट के लिये वोट डालता है तो उसके सामने सारा प्लानिंग का प्रश्न आ जाता है राष्ट्रीय पॉलिसी का प्रश्न आ जाता है और जब विधान सभा के चुनाव के लिये मत डालता है तो उसके सामने राजकीय रीति नीति का प्रश्न आजाता है। आज के अशिक्षित समाज व्यवस्था में यह नहीं मान सकते कि जन साधारण इतनी व्यापक रीति नीति को जज्ब कर सकता है या समझ सकता है।

इसलिये अधिकतर क्या होता है कि ऐसी चुनाव पद्धति में, जिसे हम सीधी चुनाव पद्धति कहते हैं, एक प्रकार का अन्ध वोट मिलता है। वह एक बड़े भारी प्रोग्राम अथवा व्यक्ति के प्रभाव में आकर डालता है। अब जिस समय इस प्रकार वह वोट डालता है तो उसकी विल का एक्सप्रेशन उस चुने हुए व्यक्ति द्वारा होगा या नहीं इसमें कुछ शंका आजाती है और उस सीमा तक उस प्रजातन्त्र में प्रजा के भावों के व्यक्तीकरण में भी शंका आ जाती है। आज यह मसला प्रजातन्त्र के हामियों के सामने सबसे बड़ा है। इसी दृष्टिकोण से स्थान स्थान पर डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट इलेक्शनों के बारे में सोच विचार होता है और प्रयोग होता है।

जो कानून हमारे सामने है उसके मार्फत न केवल डवेलपमेन्ट के कार्यों अथवा प्रजातन्त्र का एक प्रकार का विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं बल्कि हम इसकी मार्फत एक इनडाइरेक्ट इलेक्शन का प्रयोग भी करने जा रहे हैं चाहे व्यक्तिगत स्वरूप को मान कर यह कर रहे हैं अथवा अनायास ही इस प्रयास में जुट गये हैं। पर वास्तव में यह बात है कि हम इनडाइरेक्ट इलेक्शन का प्रयोग करना चाहते हैं।

Page No.75

(राव श्री नारायणसिंह)

अब मैंने जैसा अर्ज किया कि डाइरेक्ट सिस्टम में एक ब्लाइन्ड वोट पड़ता है वहां इनडाइरेक्ट में जो इलेक्शन पंचायत से शुरू होता है या जैसा हमने एक यूनिट मान लिया है, हमारे देश में हमने इसको एक यूनिट माना है, दूसरे देशों में और यूनिट माना है, तो पंचायतों के इलेक्शन में वोट में गांव के नेता को चुनने का सवाल है, गांव के मसलों का सवाल सामने रहता है। फिर पंचायत समिति के चुनाव में उससे बड़े वर्ग का सवाल आयेगा, जिला पंचायत के चुनाव में उससे बड़े वर्ग का सवाल आवेगा। इसी तरह ऊपर तक वह सिस्टम लेलिया जावे तो निर्वाचक के सामने सब चीजें बराबर वर्गीकृत हो जाती है। एक स्थान की समस्या शुरू में उसके सामने रहती है, । जो पंचायत यूनिट वाले चुने जावेंगे वे बड़े यूनिट के लिये इलेक्टोरल कॉलेज बनेंगे। वे उससे बड़े उद्देश्य की बात को सोचकर उसका निर्वाचन करेंगे। इस प्रकार एक प्रकार के वर्गीकृत भाव से कोंशियस वोट पड़ता हुआ ठेठ ऊपर तक एक व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में पार्लियामेन्ट तक पहुंचाया जा सकेगा।

इसके प्रयोग का आज जो पहला स्वरूप आता है उसमें आज हमारे जो विचार इस बिल के मार्फत हैं वे जिला परिषद् तक सीमित हैं। यहीं तक नहीं, बल्कि खास विषय तक सीमित है। हम ओवर ऑल लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन का विकेन्द्रीकरण नहीं कर रहे हैं हम इस सारे बिल को छानबीन की नजर से देखेंगे तो सारी एग्जीक्यूटिव फंक्शन का सवाल इन्वोल्व नहीं होता है। इसलिये नहीं कह सकता कि सारा सीमित फेडरल स्ट्रक्चर से लेने की कोशिश नहीं कर सकते, पर यह जरूर है कि प्रजातन्त्रीय विकेन्द्रीकरण का प्रयोग कर रहे हैं और इनडाइरेक्ट इलेक्शन का भी प्रयोग साथ ही हो रहा है।

इस भावना से अभिभूत होकर जिस समय माननीय पी० के० चौधरी ने इलेक्टिव प्रिन्सिपल की अपील की और एक्स ऑफीशियो मेम्बरशिप के खिलाफ आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि इसमें इलेक्टिव प्रिन्सिपल ठेठ तक नहीं रहता, वहां मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि उनकी भावना जहां तक इसके विषय में है उसके बारे में किसी की दो रायें नहीं हो सकती। इसमें सब की सहमति हो सकती है और जहां उन्होंने यह सिस्टम रक्खा कि बजाय सरपंच के पंचायत एक इलेक्टोरल कॉलेज बने और इससे एक व्यक्ति पंचायत समिति में जावे, वहां मेरी भी यह राय पहले थी और मैं भी शायद यह अमेंडमेंट रखता, पर बाद में जो इसमें एक विशेष बात यह भी थी कि एक ही सरपंच यदि पंचायत समिति का प्रधान बन जाता है, जैसा सिलेक्ट कमेटी से पहले का इसका रूप था तो वह सरपंच रहता और प्रधान भी रहता और प्रमुख भी बन सकता था जैसे एक प्रकार से न्यूयार्क स्टेट का गवर्नर अमेरिका का प्रेसीडेन्ट भी हो जाता है। तो फेडरल स्ट्रक्चर से इम्प्रेशन लेते हैं तो यह ठीक नहीं होगा। इस एतराज को सिलेक्ट कमेटी में उठाया गया। पर सिलेक्ट कमेटी ने इस चीज को सोचकर ऐसा परिवर्तन कर दिया गया कि जिससे सरपंच अगर प्रधान बनता है तो सरपंच नहीं रह सकता और प्रधान प्रमुख नहीं बनता है तो सरपंच रह सकता है। यह उचित संशोधन हो गया। इससे आगे भी जो सदस्यों

(राव श्री नारायणसिंह)

की राय है, मैं समझता हूं विरोधी पक्ष के राजा मानसिंह की भी यह राय थी। उनकी भी भावना कुछ ऐसी थी कि एक इलेक्टोरल कॉलेज सारे क्षेत्र की पंचायत समिति क्षेत्र की सभी पंचायतों को सम्मिलित करके बनाकर १५ मेम्बर चुने जावें। इस भावना के मूलाधार में यह चीज है कि इलेक्टिव प्रिन्सिपल है वह बराबर सजा रूप से कायम रहे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि वास्तव में पद्धति तो यह ठीक होगी पर आज जब हम शुरु में इस बात को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अलग भी जा सकते हैं। अगर इस तरह परिवर्तन कर दें तो खास अनुचित बात नहीं होगी। फिर भी काफी मकसद सरपंच के प्रधान बनने के बाद से सरपंच पद से स्तीफा दे इससे यह हल हो जाती है।

इलेक्टिव प्रिन्सिपल के बारे में कहता हूँ जहां सरपंच के लिए वोट देंगे तो वास्तव में कहने से जैसी मन्शा जाहिर हुई वहां वह सरपंच को पंचायत के लिए वोट देगा वह अपना ग्राम नेता चुनेगा। मैं अर्ज करूं यह व्यवस्था जनता के सामने आने के बाद निर्वचाक के सामने केवल सरपंच चुनने का प्रश्न नहीं रहता। ग्रामीण समस्या का ही प्रश्न नहीं रहता, वह सरपंच की मार्फत जिला परिषद् और पंचायत समिति का प्रतिनिधि चुन रहा है यह भी उसके दिमाग में रहे। इसलिए जिस समय निर्वाचक वोट देता है तो उस समय इलेक्टिव प्रिन्सिपल कायम रहता है। प्रश्न इतना हो सकता है कि एक प्रश्न पंचायत समिति का और एक प्रश्न पंचायत का जुदा जुदा हुआ या नहीं। पर वास्तव में यह एग्जीक्यूटिव फंकशन का तारतम्य है उसका विकेन्द्रीकरण है उसके कोऑर्डिनेशन के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है और इससे ऊपर के शिखर की ओर उस शिखर के ऊपर की कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था जिला परिषद् में होगी। तो इस दृष्टि से इन दो तथ्यों में फर्क नहीं पड़ता इस दृष्टि से निर्वाचक के दिमाग में जो इलेक्शन में मौलिक उद्देश्य है वह लूज नहीं होता। तो इस दृष्टि से कहता हूं कि यदि बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रक्खा वह माना जावे और माना जाने लायक भी है तो यह इस क्लॉज ६ (१) में देखेंगे कि धाराएं ए बी सी डी इत्यादि आई हैं उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती और और धाराओं की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। सीधे तरीके से रह जाती हैं। पर यदि हमें इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं करना है और सरपंच के विषय में परिवर्तन से स्पष्ट हो जाता है तो यह जरूर विचारणीय होगा। आज कोऑर्डिनेशन को प्रधान लेकर बना रहे हैं तो उस क्षेत्र से निर्वाचित विधान सभा के सदस्य को कैसे भूल सकते हैं।

विधान सभा का सदस्य कोई अफसर नहीं है। वह तो एक प्रकार से उस क्षेत्र का प्रतिनिधि इस विधान सभा में है और यहां का जो सारी पॉलिसी का फोर्मेशन राज्य लेवल पर होता है उसके कर्ज करने वाला होता है और वहां की धारणा को लेकर यहां के निश्चय को भी प्रभावित करने वाला है।

इस प्रकार से वह कोऑर्डिनेशन में बड़ा भारी लिंक हो जाता है और उसके प्रतिनिधित्व में कोई शंका नहीं रहती। वह बाकायदा एक डाइरेक्ट इलेक्शन से कहो या चाहे जैसे कहो तो उस दृष्टि से कोऑर्डिनेशन के दृष्टिकोण में रखते हुए अगर एम० एल० ए० को इसमें रखें तो वह उचित ही है एम० एल०

(राव श्री नारायणसिंह)

ए० की आज उपस्थिति जो आज अनुभव की कमी के कारण विकास अधिकारियों के हावी होने की प्रवृत्ति हो गई उसमें एम० एल० ए० की उपस्थिति एक प्रकार से छोटी मोटी लगाम जरूर होगी। तो इस दृष्टि से मैं कहता हूँ कि जैसा माननीय पी० के० चौधरी ने अपने विचार व्यक्त किये कि यदि हम सारे ही इलेक्शन सिस्टम को शुरु से परिवर्तन करें तब भले ही एम० एल० ए० को हम उनके स्थान पर रखें लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि कुछ संशोधन ऐसे हैं कि एम० एल० ए० एसोशियेट मेम्बर की तरह ही रहे और कुछ लोग यह कहते हैं कि एम० एल० ए० पूर्ण मेम्बर की तरह रहे। तो मैं इस विषय में साफ राय रखता हूँ अगर एम० एल० ए० को वहाँ रखना है तो एक पूरे मेम्बर की तरह रहना चाहिए। (करतल ध्वनि) और एसोशियेट मेम्बर की तरह नहीं।

इसके अलावा अब जो एक्स-ऑफिशियो मेम्बर के बारे में कहा गया उसके बारे में कुछ कहूँगा। माननीय श्री पी० के० चौधरी ने कहा कि जिला परिषद् बनेगी वह जो आज डिस्ट्रक्ट डवेलपमेंट कमेटी है उसका दूसरा नाम हो जायगा क्योंकि डी० डी० सी० में भी करीब करीब एक्स-ओफीशियो मेम्बर हों तहसील पचायत के सरपंच हैं, इत्यादि। अब यह विचारने की बात है। उसमें केवल थोड़े ही अधिकारों का हेरफेर होगा और आज जो बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट से मौलिक बात मालूम होती है कि पंचायत समिति जिला समिति की तरह रहे जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग लिंक की तरह रहे। आगे जाकर यह भी जरूरी अंग हो जायेगा और इसकी मार्फत एम० पी० और एम० एल० ए० के चुनाव होंगे लेकिन आज यह बात देखने की नहीं है लेकिन आज जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको रु० से जो कुछ संशोधन यहां आये हैं उनको भी स्वीकार किया जा सकता है। तो एम० एल० ए० को भी सम्मिलित करने का विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही जो माननीय सदस्यों ने इसी क्लॉज वन में कुछ बातें रखी कि एक ही सरपंच अथवा तहसील पंचायत के दो क्षेत्र में पड़ता है तो दोनों क्षेत्रों का मेम्बर किस प्रकार से बने। उसमें कुछ माननीय सदस्यों की यह राय थी कि पंचायत समिति की ही राय से वहां पर चुन लिया जाये और कुछ ऐसा था कि वह स्वयं कोऑप्ट करें। तो मैं यह समझता हूं कि पंचायत समिति की राय से अगर मामला रखेंगे तो वह भी इलेक्टोरल प्रिन्सिपल को कायम रखने की बात जरूर होगी और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को लाने की बात जरूर रही लेकिन उसमें दिक्कतें आ जायेंगी हालांकि दोनों पंचायत समितियां एक ही मेम्बर को रखने की कोशिश करेंगी तो जिस मन्शा से हम इस संशोधन को रख रहे हैं वह ही खत्म हो जायगी। इसलिए जो माननीय श्री तेजाराम ने रखा कि एक सदस्य एक समिति में ही रहे, मेरे ख्याल से यह दुरुस्त जमता है।

अब श्री लड्ढाजी ने जो तहसील सरपंचों को स्थान स्थान पर रखा गया है, क्लॉज़ (सी) में कुछ अमेन्डमेंट रखे हैं। इससे तो इसके मौलिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। वैसे माननीय श्री लड्ढा का भी अमेन्डमेंट ठीक है लेकिन मैं मानता हूँ कि जब तहसील पंचायत एक प्रकार की न्याय पंचायतें हैं और केवल न्याय का काम करती हैं तो कोऑर्डिनेशन

(राव श्री नारायणसिंह)

की इस डवेलपमेंट फंकशन्स में आवश्यकता नहीं रहती है और उनको यहां समाविष्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है और इस दृष्टि से तहसील सरपंच को इस व्यवस्था से अलग रखना चाहिए। आगे भी जब हम न्याय पंचायतों के बनाने का निश्चय लेंगे तो वह बिल्कुल अलग रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन, एग्ज़ीक्यूटिव और जुडीशियरी के अलग के सिद्धान्त को लेते हुए इन दोनों का सम्मिश्रण करने की आवश्यकता नहीं है और न इससे कोऑर्डिनेशन ही होगा।

अब दूसरा जो मेरा संशोधन आता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल): The Hon'ble member has taken sufficient time.

राव श्री नारायणसिंह : दूसरा मेरा संशोधन विशेष प्रतिनिधित्व के बारे में है। मैंने क्लॉज २ के में Two women is no woman is the member of the Panchayt Samiti by virtue of sub sec 1.

तो इसमें मैंने रखा है कि delete all words occuring after 'Two women'

इसलिए नीचे वूमेन से लगा के वन तक उड़ा दिया जाये। मेरी मन्शा इसमें यही है कि यदि हम महिलाओं को विशेष प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं अथवा शिड्यूल्ड कास्ट को विशेष प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं या किसी और तबके को विशेष प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं तो डेमोक्रेटिक सिद्धान्त के अनुसार हम केवल मात्र इसलिए देना चाहते हैं वह आगे बढ़ सकें। अगर माइनोरिटी कहीं दबती है तो मेजोरिटी उसको बराबर लाने के लिए कुछ प्रतिनिधित्व के विशेष अधिकार दे देती है अथवा किसी जाति विशेष के लिए दे देते हैं अथवा कोई पिछड़ी हुई जाति या वर्ग है जिसमें इतनी पोलिटिकल कॉन्श्यसनेस नहीं है तो उस पालिटिकल कॉन्श्यसनेस को पैदा करने के लिए एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में ऐसे विशेष प्रतिनिधित्व का प्रावधान रहता है। इन्हीं चीजों को देखते हुए हमें इसे कन्डीशनल रखनेकी आवश्यकता नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा महिला समाज आगे बढ़े और इसी दृष्टि से इसमें दो महिलाओं को गावों में रखा। अब यदि साधारण चुनाव से कोई महिला आ जाती है तो उससे जो इन दो महिलाओं की सीट पहले से ही रिज़र्व है उसको हमें नहीं कम करना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि यह तो और भी खूबी की बात है कि वह साधारण चुनाव से आ गई, मैं कहता हूँ कि अब तक जो पुरुषों ने एडमिनिस्ट्रेशन का दुर्व्यवहार किया, सारा एडमिनिस्ट्रेशन महिलाओं को देना चाहिए। तो इस दृष्टि से कुछ माननीय सदस्यों के जो अनुदार विचार यहां व्यक्त हुए मुझे आश्चर्य हुआ कि आज के प्रगतिशील जमाने में जहां पर्दा था उसको भी तोड़कर बाहर आए हैं वह कैसे इस प्रकार के अनुदार विचार व्यक्त कर रहे हैं कि दो महिलाओं के अलावा तीसरी महिला आ जाती हैं तो वह नहीं रखी जाए, उसे रखने में मेरे ख्याल से तो कोई हर्ज नहीं। तो उस दृष्टि से मैं कहता हूँ कि यह विशेष प्रतिनिधित्व चाहे वूमेन के लिए, चाहे शिडयूल्ड कास्ट के लिए यह मिलना

Page No.79

(राव श्री नारायणसिंह)

चाहिए और जो कन्डीशनल क्लॉज है उसे हटा दिया जाए और इस दृष्टि से जो मेरा अमेन्डमेंट पार्ट टू में है delete all words occurring after. Two women.' लेकिन मैं इसके साथ ही साथ भूल गया कि अगर हम यह करते हैं तो जो पार्ट थी है सब–क्लॉज २ का वह भी अनावश्यक हो जाता है तो वह डिलीट होने लायक हो जाता है और कई दूसरे माननीय सदस्यों के इस विषय में संशोधन है भी।

इसके अलावा पार्ट ४ ए में delete the following words 'no such person is a Member of the Panchayat Samiti by virtue of sub sec. 1 and delete part (vi).

तो इसको डिलीट करने से यह सारा "One person belonging to the Scheduled Tribes, if the population of such tribes in the block exceeds five percent of the total population of that block."

इस प्रकार से यह पढ़ा जायगा। तो यहां उसी मन्शा को मैं प्रस्तुत करता हूं। अब अंत में मेरा यह संशोधन पार्ट (६) के लिए है। पार्ट (६) में है :

Two persons residing whose experience in administration public health or rural development would be of benefit to the Panchayat Samiti.

उनको विशेष प्रकार से वहाँ रखने की बात कही गई है। वह भी ज़िले भर में से कहीं से लें तो इस विषय में जितने भी विधान सभा में भाव व्यक्त हुए हैं मेरी उसके साथ में सहमति है कि हम सारे जिले भर में से दो आदमी जो कि सरपंच समिति पर थोपना चाहते हैं और दूसरा यह भी कि एक ही पंचायत समिति में नहीं। क्योंकि वह जिला स्तर पर से होंगे इसलिए न मालूम कितनी पंचायत समितियों के बारे में होंगे। तो वास्तव में हम जिस विकेन्द्रीकरण की मन्शा से काम करना चाहते हैं, जितना अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व लोगों को देने की बात करते हैं रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप कायम करने की बात करते हैं, उनके उपयुक्त यह बात नहीं की जा रही है। यह मैं मानता हूं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स के लिए एम० एल० ए० आ जाते हैं तो उन्हें भी कुछ तो एक्सपीरियन्स होता है। यों तो जितने जितने भी सरपंच आयेंगे उस स्तर का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स उनको होगा। विकास अधिकार बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स का है और वह सहयोग देने के लिए तैयार है फिर खास तौर से रखने की क्या बात रहती है? फिर पार्ट (६) को डिलीट करने के सम्बन्ध में खास तौर से प्रेस इसलिए करना चाहता हूँ कि सेक्शन ६३ के प्रोवीजो (२) में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि जहां पर सब कमेटिज बनाई जायगीं वहां पर पंचायत समिति को जो उसके मेम्बर नहीं हैं उनको भी लेने का अधिकार होगा। कोई विशेषज्ञ है या खास आदमी है तो उस जरिए से ले सकेंगे। तो इस नये प्रावधान की कोई खास आवश्यकता नहीं है।

क्लॉज ३ को इसके बारे में पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि Provided that if the Panchayat Samiti decides to have

(राव श्री नारायणसिंह)

Standing Cammittees...not being its Members: तो क्या करेंगे ?

......Not more than 2 out of the seven Members from amongst the persons not being the Members of the......

तो इस तरह से जो हमारी मन्शा एक विशेषज्ञ अथवा एडमिनिस्ट्रेटिवएक्सपीरियेन्स वाले को लेने की है वह बखूबी हल हो जाती है। तो इसके मुताल्लिक जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका खास पेरेन्ट स्ट्रक्चर है एक प्रकार से उसमें ही उन विशेषज्ञों का लाजिमी तौर से उनको कोऑप्ट करने के वास्ते क्यों रखें ? हम सब कमेटी में यदि किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता हुई तो ले सकेंगे। इसी मन्शा से मैं यह सिफारिश करूंगा कि सबक्लॉज (२) का पार्ट (६) को उड़ा दिया जाना चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इतनी सब बातें कहने के उपरान्त मेरे सारे अमेन्डमेन्ट्स की जो मन्शा है वह स्पष्ट हो जाती है और मैं आशा करता हूं कि इसी दृष्टिकोण को लेते हुए यदि हम जितना भी वादविवाद इस क्लॉज (६) पर हुआ है उसको देखते हुए और जितने भी विचार इस बात पर व्यक्त हुए हैं, और कुछ मौलिक सिद्धान्त भी सामने आये हैं, उन सब को देखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय इन्चार्ज से यह निवेदन करूंगा कि क्लॉज (६) को इस वक्त डेफर कर दें और इसके बाद में इस पर पूर्ण विचार होकर निश्चय लें।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय,....

श्री सभापति : माननीय मुक्तिलाल मोदी।

श्री दामोदरलाल व्यास : दूसरी बार रखें। मेरा एक छोटा सा संशोधन है।

'In Part (e) of the proviso, after the words 'superseded Panchayat', insert 'or where any Panchayat is not functioning at the relevant time.'

तो सिर्फ सुपरसीडेड का पंचायत के लिए प्रोवीजन कर दिया है तो ऐसी टेन्डेन्सी हो सकती है कि जहां पंचायतें एग्जिस्ट नहीं करती हों और इलेक्शन नहीं हुए हों, ऐसी सूरत के अन्दर यह प्रोवीज़न करना जरूरी है कि जहां पर पंचायत एग्जिस्ट नहीं करती है वह यहां प्रोवीज़न एप्लाई नहीं होगा। इसलिए यह फारमल सा एमेंडमेंट है।

There is another amendment if you permit me Sir to make and that is with regard lo clause 6. There are already two amendments One is from he Hon' ble Member from Salumber and the other by a Member from Bhilwara regarding M.L. As to be Associate Members of the Panchayat Samiti but in all these two amendments, the spirit is same...

तो वह इसी कम्पोजिशन आफ पंचायत का सवाल है। मैं आपकी इजाजत से कहूँगा कि दोनों की स्प्रिट वही है लेकिन एमेन्डमेंटस् की लेन्गवेज में फर्क है। वह लेन्गवेज मैंने लीगल लेन्गवेज कर दी है।

श्री सभापति : Do you mean addition to clause 6 B.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : It will come afterwards.

श्री दामोदरलाल व्यास : After passing clause 6 we shall take it. Because there is already an amendment by Shri Laddha and in that case his amendment will have to be dropped, and this additional clause 6 B may be taken...

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय सभापति महोदय, धारा ६ के ऊपर माननीय सदस्यों ने राय दी और उसमें संशोधन रखे उन संशोधनों के बारे में उन्होंने यहां पर कई बातों के ऊपर इस तरह के विचार जाहिर किये हैं जैसे आज राजस्थान सरकार हिन्दुस्तान में सबसे पहले तो कदम उठा रही है और उसके बावजूद उस कदम को नीचे की श्रेणी में लाने के लिए माननीय सदस्य इस तरह के संशोधन इस बिल में लाकर कोशिश कर रहे हैं। परन्तु माननीय सभापति महोदय, इस बिल के अन्दर इस तरह के एमेंडमेंट लाने चाहिए थे बनिस्बत इसके जैसे कि एम०एल०एज० के लिए कुछ माननीय सदस्य लाये हैं। मुझे यह जानकर खुशी होती है यदि धारा ६ पर संशोधन ही नहीं लाये जाते, क्योंकि अगर वह एम० एल० ए० खुद के लिए इस तरह की बात धारा सभा में पास करता है तो मैं उसको तो नहीं मानता, क्योंकि वह एम० एल० ए० कमजोर है कि अपने को चुनवाने के लिए एक एमेंडमेंट लाकर पंचायत समिति का मेम्बर बनना चाहता है। अगर वह एम० एल० ए० अपनी कंस्टीटुएन्सी के अन्दर कुछ काम करना चाहता तो आज देश के अन्दर इतने काम पड़े हैं कि वह पंचायत समिति में आकर काम करे, उसके बनिस्बत बिगर पंचायत समिति में बैठते हुए ज्यादा से ज्यादा काम कर सकता है। परन्तु कमजोर चीज होती है उसके लिए धारा सभा में एमेंडमेंट लाकर उसमें शामिल होना यह कहां तक उचित है ? (हियर हियर)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आप तहसील पचायत में हैं कि नहीं ?

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : आप तो सब जगह हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय चैयरमैन, आज राजस्थान को ऊंचा उठाने के लिए आज जैसे पंचायत समितियां बनी पंचों से चुनकर तो मेरी तो यह धारणा है कि पंचों से चुन कर एम० एल० ए० बनना चाहिए। तभी इस देश का उद्धार होगा। नहीं तो इस देश के अन्दर जो इलेक्शन के अन्दर करोड़ों रुपया सरकार का और जो चुनाव में खड़े होते है उसका नुकसान होता है। देश की धनराशी का नुकसान होता है। इससे देशकी बहुत बड़ी धनराशि का नुकसान होताहै और वह पैसा दूसरे देशों में पेट्रोल आदि में जाता है और इससे आज हिन्दुस्तान को जो डॉलर की कमी है वह तभी दूर होगी जब कि हिन्दुस्तान की धनराशि को कम खर्च करेंगे और यह समझेंगे कि आज जो पंच हैं उनके लिये राजस्थान सरकार ने बिल रख कर उदाहरण रखा है तो इस बिल में इस तरह की बातों में जाकर... ...

Page No.82

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आपने चुनाव में पेट्रोल पर कितना रुपया खर्च किया ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरे घर आकर पूछ लेना, बता दूंगा।

सभापति महोदय, इसलिये मेरी तो यह भावना है कि जब इलेक्शन का बिल बने उस समय यह प्रोविजन हो कि पंचायत के सरपंच ही एम. एल. एज. का चुनाव कर लें और पार्लियामेन्ट के मेम्बर्स का चुनाव भी सरपंच कर लें। तभी देश का उद्धार हो सकेगा। इसलिए एम. एल. एज. को पंचायत समिति में लेने के लिए सिलेक्ट कमेटी ने प्रोविजन नहीं रखा है वह ठीक है। सिलेक्ट कमेटी में भी हमने इस पर काफी विचार किया। मैंने कहा था कि जितने झगड़े होते हैं वे एम. एल. एज. को नहीं रखने से नहीं होंगे और विकास का काम ज्यादा अच्छी तरह से होगा। आज पंच और सरपंच एम. एल. एज. की बातों में दब जाते हैं और जो काम करना चाहते हैं वह नहीं कर सकते। इसलिए इनके नहीं रहने से विकास का काम ज्यादा अच्छी तरह से होगा। इसलिए मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग अपने लिए ही सिफारिश क्यों करते हैं। हम ही सब कामों का ठेका क्यों लेना चाहते हैं। यदि प्रजा आपको चाहती है तो सोते हुए को भी वोट डालेगी और जगे हुओं को भी डालेगी। काम करते हैं तो डालेगी नहीं तो उडा फेंकेंगे। पिछली टाईम ७ मिनिस्टर थे उनमें से ४ आए और ३ को हटा दिया। जब मिनिस्टर तक जिनके हाथ में सारी सत्ता थी वे तक नहीं आ पाये तो आपकी और मेरी तो पूछ ही क्या है। आप पंचायत समिति में क्यों रहना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ आप काम करेंगे तो मीटिंग में नहीं जाने पर भी पंचायत समिति के अध्यक्ष आप को बुला सकते हैं। ऐसा तो एक्ट में लिखा नहीं है कि एम. एल. एज. को कभी नहीं बुलाया जाय। आपके ब्लॉक्स में जिला परिषद् के मेम्बर होंगे वे बुलायेंगे आप वहां जा सकते हैं, उनको सलाह दे सकते हैं। लेकिन आप जो वोट देने का पॉवर चाहते हैं वह नहीं देना चाहिए। भाई, यहां पर आपको इतना बड़ा पॉवर कानून बनाने का दे दिया गया है....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : 'भाई' शब्द काम में ला रहे हैं क्या यह पार्लियामेंटरी है ?

एक माननीय सदस्य : आपको गाली तो नहीं दे रहे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इसमें कोई नाराज हो या राजी, मैं तो कहूँगा कि आपको वहां नहीं रहना चाहिए। आज डेवलपमेंट के काम में करीब ३ करोड़ रुपए का हिसाब हमारे राजस्थान में नहीं आया है और ब्लॉक्स में करीब १० करोड़ रुपयों का हिसाब राजस्थान सरकार के पास नहीं आया है। अकाउन्टेन्ट जनरल इस पर ऐतराज कर रहे हैं। मैं यह चाहता हूँ कि जब तक राजस्थान सरकार डेवलपमेन्ट के लिये रुपये हर आदमी को न देकर यह आर्डर न करे कि सिर्फ पंचायत को ही

(श्रीनिरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

रुपये दिये जायेंगे तब तक समस्या हल नहीं होगी। एम० एल० एज० वहां पर पावर के लिये जाना चाहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : शब्दों का तो ठीक तरह से उपयोग करिये । माननीय सदस्य कह दीजियें ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : दूसरी बात तहसील पंचायतों के सरपंच के लिये आई । उसके लिये मैं यह समझता था कि तहसील पंचायत समिति न्याय पंचायत होगी । लेकिन मेरे दोस्तों ने बताया कि तहसील पंचायत और पंचायत समिति अलग अलग हैं लेकिन इसके अध्यक्ष....

श्री उपाध्यक्ष : बताई हुई बातों पर आप क्यों भरोसा करते हैं । स्वयं अध्ययन कर लीजिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : महाराज....

श्री उपाध्यक्ष : महाराज शब्द क्यों काम में लाते हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : महाराज तो बड़े आदमियों को कहते हैं, आप बड़े आदमी हैं । तहसील पंचायत का सरपंच पंचायत समिति के लिये खड़ा हो सकता है लेकिन फिर वह तहसील पंचायत का सरपंच नहीं रहना चाहिये । एक ही बॉडि का मैम्बर होना चाहिये । या तो पंचायत समिति का अध्यक्ष रहे या तहसील पंचायत का सरपंच रहे । तहसील पंचायत एक न्याय करने वाली बॉडि है और इधर डेवलोपमेन्ट का काम उन्नति का है, ऐसी हालत में दोनों में से एक जगह रहना चाहिये ।

दो आदमी जो कोरप्शन से ले रहे हैं वे सारे झगड़े की जड़ है । इसलिये देश को आगे बढाना है तो उनको नहीं लेना चाहिये ।

श्री मूलचन्द डागा : On a point of order sir, आप सलेक्ट कमेटी के मैम्बर रह चुके हैं और आपका कोई नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं आया है फिर आप कैसे बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन ग्रहण करें (श्री मोदी से) ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं जो कुछ कह रहा हूँ वे ही बातें, बहुत से मैम्बर्स ने कही है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कुरसी पैरों पर है । आप सलेक्ट कमेटी के सदस्य रहे हैं, आपने डिसेंटिंग नोट नहीं दिया है । ऐसी स्थिति में इस आसन का ओब्जरवेशन है कि बोलें तो सपोर्ट में बोलें । लेकिन आप तो ऐसा विपरीत विश्लेषण कर रहे हैं । मैंने आपको सुझाव दिया है ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सपोर्ट में ही बोल रहा हूँ कोई गलत बात तो बोल नहीं रहा हूँ । जो सलेक्ट कमेटी की चीज है उसका तो मैं सपोर्ट करूंगा क्योंकि मैं उसका मैम्बर था इसलिये विरोध कर नहीं सकता । लेकिन ऐसा है कि मैंने नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं दिया लेकिन कुछ लोगों ने अमेन्डमेन्ट दिये थे इसलिये मैं भी बोल रहा हूं । मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप जो इतनी अच्छी चीज बना रहे हैं उसमें दो आदमियों के कोआप्शन की बात है उसके लिये मेरी राय नहीं है ।

श्रीमती गंगादेवी डाटा (रामगढ) : मैं यह अर्ज कर रही हूं कि माननीय सदस्य पूरी १४ मीटिंग हुई उनमें हाजिर नहीं हुए और कभी कभी हाजिर हुए हैं ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : हाजिर तो हमेशा हुए लेकिन ध्यान नहीं रखा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : पूरा हुआ हूँ साहब।

(हंसी)

ऐसी हालत में मैं एम. एल. ए. के लिए माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इसमें जो अमेंडमेंट रखा है, उसको विथड्रा कर लें और थोड़े दिन देखें, और दो साल के बाद में मैं कहूँगा, आप अमेंडमेंट ला सकते हैं, साल भर के बाद अमेंडमेंट ला सकते हैं। यदि राजस्थान सरकार सोच लेगी कि एम. एल. ए. की जरूरत है तो वह अमेंडमेंमेंट ला सकती है इस एक्ट में। इसलिए मेरी सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि जिन्होंने अमेंडमेंट रखा है, उसे विथड्रा कर लीजिये और वैसा ही पास कर दीजिये।

(करतल ध्वनि)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती डाटा।

श्रीमती गंगादेवी डाटा (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल चल रहा है, इसकी धारा ६ की उप-धारा २ में जो संशोधन धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, मैं उसका समर्थन करती हूँ और उसका जो खंड (क) है, उसका भी समर्थन करती हूं। मैं कुछ थोड़े से तथ्य आपके सामने रखूंगी कि इस बिल को लाकर वाकई हमारे मुख्य मंत्री जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। सत्ता के विकेन्द्रीकरण का एक रूप दिया है, वह बहुत ही अच्छा है और हमारे लिए और राजस्थान की जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस बिल के अन्दर, मैंने देखा, बहुत सी खामियां है। जो धारा ६ चल रही है, उसकी धारा २ है, वह बहुत ही विचारणीय है और जो संशोधन रखा है, मैं समझती हूँ उस पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे। एक तरफ हम तहसील के सरपंच महोदय को इस पंचायत परिषद् के अन्दर लाते हैं और उसे मेम्बर की हैसियत से मानते हैं लेकिन मैं आपके सामने अपने जिले का थोड़ा सा उदाहरण दूं कि हमारा जो जिला अलवर है, उसकी एक तहसील अलवर है, वह तहसील तीन भागों में बंटी हुई है और तीन पंचायत समितियां उसमें बनेगी। इन तीन समितियों की वजह से क्या होगा कि जो तहसील सरपंच होगा, वह तीन जगह का वोटर होगा, तीन पंचायत समितियों में बैठने का वह हकदार होगा। मैं नहीं समझती हूं कि आपने एक तरफ उसको जुडिसियल अधिकार दिये हैं, अपील सुनने का अधिकार दिया है और दूसरी तरफ विकास कार्य पंचायत समितियों को दिया है, वहां भी वह बैठे, विचार करे और उसकी हर मीटिंग में भाग ले। जब कि हमारा जो उद्देश्य है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो। मेरी समझ में नहीं आया कि जब तहसील पंचायत आपने इसलिए रखी है कि जनता को जो न्याय मिले, वह सस्ता मिले और जल्दी मिले, लेकिन होगा क्या कि आगे चल कर जो सरपंच तहसील पंचायत का होगा, उसको पंचायत समितियों की मीटिंग में आना पड़ेगा और आखिर पंचायत समितियों की भी मीटिंग होगी, पंचायत समितियों की मीटिंग महीने में २,३ या चार बार होगी। जब वह तीन पंचायत समितियों का मेम्बर है, तो वह कितने दिन महीने में जुडिसियल कार्य कर सकेगा और जो कानून के अन्तर्गत अपीलें

(श्रीमती गंगादेवी डाटा)

आयेंगी, उनकी जब तारीख होगी, और जो व्यक्ति वहाँ जायेंगे तो वहाँ जाकर देखेंगे कि सरपंच महोदय विकास समिति की मीटिंग में गये हैं। चूंकि वे विकास समिति की मीटिंग में गये हैं, इसलिए जुडिसियल कार्य में बाधा आयेगी। इसलिए मैं समझती हूं कि जब कि हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं, तो वह विकेन्द्रीकरण न होकर मुझे शक है कि वह एक प्रकार से केन्द्रीकरण होने वाला है। जब जनता के बीच में सारी चीजें बांटना चाहते हैं, जनता के जो चुने हुए नुमाइन्दे हैं, उनको बहुत बड़ी सत्ता देने जा रहे हैं, उनको जिम्मेदारी देने जा रहे हैं तो क्या वजह है कि एक तहसील सरपंच तीन जगह जाय और परेशानीभुगते और उसके बावजूद जनता का काम रुक जाय। मेरा निवेदन है कि तहसील पंचायत के सरपंच को पंचायत समितियां में नहीं रहना चाहिए, जनता की सुविधाओं की दृष्टि से। इसके साथ ही कानून के अनुसार व्यक्ति एक वोट का अधिकारी है लेकिन एक तहसील पंचायत के पंच को तीन तीन जगह वोट देने का अधिकार हो जायगा। जो बात मैंने रखी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मैं समझती हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे। जो कि आगे चल कर हमें इसमें अमेंडमेंट लाना पड़ जायगा, तो मैं समझती हूं कि अभी से अमेंडमेंट कर देना बेहतर होगा। कि तहसील सरपंच को तहसील पंचायत तक ही सीमित रहना चाहिए, उसको पंचायत समिति में लाना ठीक नहीं है।

दूसरी बात इसमें रखी है कि ग्राम पंचायत का जो सरपंच है, वह पंचायत समिति में जायगा। इसका छोटा सा उदाहरण मैं दूं कि मेरे क्षेत्र में एक रायबका नाम की पंचायत है, जो जिले में सबसे छोटी पंचायत है, उसके कुल १० पंच हैं, आप अन्दाजा लगाइये कि इतनी छोटी सी पंचायत को तीन हिस्सोंमें बांटा है। उसकी आबादी३,०००के लगभग है तो २,५०० आबादी किशनगढ ब्लॉक में चली गई है। उस पंचायत का एक गांव रामगढ शेडो ब्लॉक में जो पंचायत समिति बनेगी, उसमें आता है, और उसका एक गांव मालाखेड़ा ब्लॉक में आता है। यह समझ में नहीं आया कि यह विकेन्द्रीकरण है सत्ता का। मेरा अन्दाजा है कि यह कुछ लोगों को इज्जत देने का मतलब है, इससे पब्लिक के कामों में कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि एक ग्राम पंचायत को तीन तीन भागों में बांटा जायगा, तो उपाध्यक्ष महोदय आप अन्दाजा लगाइये कि उसके विकास के कार्य किस प्रकार पूर्ण हो सकेंगे। हम देखते हैं कि जो जिला विकास कमेटी हैं वह अमूमन देखती है कि कहीं स्कूल खोलने चाहिए उनके हिसाब से उनकी आबादी ५०० हो और जिस गांव की आबादी ५०० की नहीं हो सकती है, उसका गांव में डवलपमेंट का काम, स्कूल का काम नहीं हो सकता है। इस प्रकार के बहुत से मसले आयेंगे क्योंकि पंचायत समिति को हमने विकास का काम दिया है। फिर तीन भागों में ग्राम पंचायत को बांटा जायगा तो वहाँ का विकास किस तरह हो सकेगा। मैं कहना चाहती हूं कि जब आप सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं तो इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। उपधारा (२)में खामियां हैं, मैंने वह आपके सामने रखी हैं और इसके साथ ही साथ में कहना चाहती हूं कि यदि आप विकास के कार्यों को चलाना चाहते हैं तो इस प्रकार नहीं बांटना

(श्रीमती गंगादेवी डाटा)

चाहिए। जब मैंने अलवर तहसील का नक्शा देखा तो मैं ताज्जुब में रह गई कि यह विकेन्द्रीकरण है सत्ता का, यह इन्सानों को पॉवर देने का तरीका है क्योंकि जब एक सरपंच तीन ब्लॉक में बैठता है तो इधर के लोग उसके पास आयेंगे और कहेंगे, जरा देख लेना, हमारा फलां काम आने वाला है। उधर के लोग भी आयेंगे और वे भी यह कहेंगे। मैं समझती हूं कि एक आदमी को पॉपुलर बनाने का यह तरीका है, इससे जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है।

उपधारा (२) में यह है कि दो महिलाओं को कोऑप्शन द्वारा लिया जाय। अभी एक माननीय सदस्य ने फरमाया था कि दो महिलायें क्या गांव से आयेंगी। मैं समझती हूँ कि दो महिलाओं को लाने का हमारा और ही उद्देश्य है कि सैंकड़ों वर्षों से महिला वर्ग पिछड़ गया था, पिछड़ हो नहीं गया, मैं समझती हूं कि गहरी निद्रा में सो गया था। एक बहुत बड़ी शक्ति का हमें सहारा मिला और हम इस लायक हुई कि आपके सामने और हाउस के सामने बोलने लायक हुई। (थम्पिंग) यह ठीक है कि बहुत सी बहिनें इस बहाने आई और बहुत सी बहनें उच्च पदों पर बैठी हैं। लेकिन आज भी शहरों में हम देखते हैं, गांव की तो दूर की बात है कि महिलाओं को पता नहीं कि हमारे हिन्दुस्तान की क्या गतिविधि है। तो यह बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया गया, अब दो महिलाओं को लेने का जो प्रश्न है, मैं समझती हूं कि वह इसलिए रखा गया है कि २०, २५, ३० सदस्यों के बीच में जब वे पंचायत समिति में बैठेंगी तो उसमें यदि एक महिला आकर बैठेगी तो उसकी क्या गतिविधि होगी... मैं थोड़ा सा उदाहरण के तौर से माननीय सदस्यों से कहूँ कि जहां २५–३० महिलाएं बैठी हुई हों वहां एक पुरुष को बैठा दें तो उसकी क्या गतिविधि होती होगी।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : बड़ी मधुर गतिविधि होती होगी।....

(हंसी)

श्रीमती गंगादेवी डाटा : हमने कई दफा देखा है. महिलाओं में किसी पुरुष को भाषण के लिये लाते हैं तो बेचारा इधर उधर झांकता है कि किधर बैठूं, इधर बैठूं कि उधर बैठूं, बड़ा परेशान होता है। तो भी मैं समझती हूं कि महिलाओं का बड़ा साहस है कि इतनी बड़ी बड़ी कमेटियों में आकर बैठती हैं, पर्दे में रहे हुए पिछड़े हुए वर्ग में से निकल कर बहुत बड़ी बड़ी कमेटियों में ही नहीं विधान सभाओं और लोक सभाओं में आकर बैठती हैं, मैं तो इसे महिलाओं का बहुत बड़ा साहस मानती हूँ....

श्री उपाध्यक्ष : हम तो आपकी उपस्थिति भी साहस ही मानते हैं।

(हंसी)

श्रीमती गंगादेवी डाटा : नहीं, मेरा मानें चाहे न मानें। दो महिलाओं के आने से उन्हें बड़ा बल मिलता है, दो बहनें थोड़ा विचार–विमर्श करके बोलने की हिम्मत करेंगी और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। इसलिए दो महिलाओं का स्थान रखा है उसका माननीय सदस्य विरोध न करें बल्कि इसके स्थान पर तीन का समर्थन करना चाहिए।

(श्रीमती गंगादेवी डाटा)

इस बिल में कुछ एम० एल० एज० के सिलसिले में रखा गया है कि वे तो मेम्बर न हो कर कभी कभी पंचायत समितियों की बैठकों में आ जायं, यह उनकी मर्जी पर छोड़ दिया जाय। पर बहुत से वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किये कि जो एक लाख का प्रतिनिधित्व करता है एम० एल० ए० उसको यह अधिकार नहीं दिया जाय, तो यह तो मेरी समझ में नहीं आता क्योंकि उसको भी अपने इलाके के विकास कार्यों से पूरी तरह अवगत होना चाहिए कि क्या क्या विकास वहां के लोग चाहते हैं, जिससे थोड़ा विचार उसके दिमाग में रहे और वह अपने विचार पंचायत समिति में रख सकता है। वैसे सरपंच भी रख सकते हैं पर सबसे बड़ी बात है कि जिला परिषद् वे मेम्बर हैं तो पंचायत में भी विधान सभा का सदस्य भी हो। उसमें एम० एल० ए० को नहीं रखना उसको उसके इलाके की गतिविधि से अन्धेरे में रखना. होगा जो किसी भी प्रकार उचित नहीं। वहां के निवासियों ने उसे चुन कर उसे अधिकार दिया है कि वह उनके विकास सम्बन्धी तथ्यों को आगे पहुँचाये। पर इस बिल की रूपरेखा को देखा तो मुझे ताज्जुब भी हुआ और अफसोस भी हुआ कि एम० एल० ए० को इसमें नहीं रखा गया है।

मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगी कि पंचायत समिति में एम० एल० ए० को इस प्रकार का अधिकार होना चाहिए, जिस प्रकार का कि सरपंचों को और पंचायत समिति के अन्य सदस्यों को अधिकार है।

जब कि हम एक तरफ सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं बार बार में इस शब्द का प्रयोग कर रही हूँ कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, गहरे विचार और तहेदिल से इसके सम्बन्ध में सोचना चाहिए, यह नहीं कि जैसा प्रवर समिति ने रिपोर्ट पेश कर दी है उसी रूप में पास कर दें। संशोधनों पर भी तहेदिल से गहराई के साथ विचार करना चाहिए और जो अच्छे संशोधन हैं उनको पास नहीं करें तो बाद में जब वे जिला परिषदों को पंचायत समितियों को, जिले को, गांवों को दिक्कत होगी वे यहां आयेंगी तो फिर अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। इससे तो अच्छा यही होगा कि आज जो माननीय सदस्य मुश्किलें रख रहे हैं, उन मुश्किलों को दूर करने के लिए संशोधन रख रहे हैं उन पर गहराई से विचार करके स्वीकार करने योग्य हों उनको स्वीकार करें। पंचायत समितियों में एम० एल० ए० नहीं हों तो भी उनकी स्थिति में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, यही होगा कि जनता से उनका सम्बन्ध नहीं रहेगा, जनता से तो सम्बन्ध उनका उस दशा में भी रह सकता है। तो आगे चल कर पंचायत समिति की मीटिंग होगी तो उसमें वे रख सकेंगे कि हमारी विधान सभा ने इस तरह का बिल पेश किया है, इस तरह का कानून पास किया है।

तो मेरी यही राय है कि एम० एल० एज० को पंचायत समितियों का सदस्य अवश्य रखा जाना चाहिए और मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगी कि जो संशोधन इस सम्बन्ध में दिये हैं उन्हें स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस बिल की छठी धारा पर इतने संशोधन आये हैं और इस सदन

(श्री रामचन्द्र)

के माननीय सदस्यों ने दिल खोल कर अपनी स्पष्ट राय दी है, इसका कुछ न कुछ विशेष कारण है और इसका एकमात्र मूल कारण यही है कि इस बिल की यह धारा एक प्रकार का पीवट है जिस पर सरकार की नीति का सफल होना अथवा असफल होना निर्भर है। यदि इस धारा के संगठन में हमने जरा भी भूल की तो मान लीजिये यह बिल और सरकार की यह नीति, चाहे जनता के लिए यह कितनी ही लाभदायक क्यों न हो, इसका पूरा अच्छा परिणाम नहीं मिल सकेगा।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस धारा को बनाते समय, दो बातों की खामियां मैंने देखीं जिनको ध्यान में नहीं रखा गया है। पहली खामी यह है कि व्यावहारिकता यानि प्रेक्टिकेबिलिटी की तरफ बहुत कम ध्यान दिया है, बहुत सी धाराएं ऐसी पास कर दीं कि यह नहीं देखा कि जब एक्च्युअली इसको अमल में लाया जायगा तो जनता और पंचायत समिति के सामने कौन कौन सी मुश्किलात आयेंगी ; यह शब्द हैं पर यहां पास हो कर जनता के सामने जायेंगे तो उनके माफिक अमल करना पड़ेगा, फिर जनता को अमल करने में दुविधाएं आयेंगी, उनको हल करना मुश्किल हो जायगा।

दूसरी मैंने इसमें यह कमी महसूस की है कि जनतन्त्र की जो जान है, उस जान को निकाल कर यह बिल रखा गया है। जनतन्त्र को चलाने वाले मुख्य व्यक्ति इस सदन के सदस्य हैं, क्योंकि यह प्रजा का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रजातन्त्र प्रजा के प्रतिनिधित्व पर चलता है। पर मैंने देखा कि शुरू से लेकर आखिर तक इस विधेयक में इस व्यक्ति विशेष का नाम तक नहीं। अभी तक हमारी यह नीति रही है कि जनता के विकास के लिये कोई कमेटी का निर्माण किया गया, जहां विकास का जिक्र है, चाहे पंचायतों के स्तर पर, चाहे विकास खण्डों के स्तर पर, चाहे जिला स्तर पर, वहां एम० एल० ए० को शरीक करना आवश्यक समझा गया है। यही कारण है कि कई कमेटियाँ विकास के लिए हैं, जो जनता के लाभ से सम्बन्ध रखती हैं तो उनमें एम० एल० एज० को रखा गया है, पर इस बिल में, हमने देखा कि एम० एल० एज० को ऐसे निकाल फैंका जैसे दूध में से मक्खी। यह बड़ा खतरनाक आदमी है। अगर एम० एल० ए० को सदस्य रख दिया तो वह अपनी राय देगा तो विकेन्द्रीकरण कभी पोसिबल नहीं होगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि एम० एल० ए० कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक लाख जन समुदाय द्वारा चुना हुआ होता है और एक लाख व्यक्तियों के प्रति जिम्मेदार है। और इसके साथ साथ वह सरकार और पब्लिक के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि इसको निकाल दिया जाय तो सरकार और पब्लिक में कोई बात जनहित की नहीं हो सकेगी। सरकार को कौन समझावेगा कि पब्लिक को इन–इन चीजों की जरूरत है, पब्लिक को क्या कष्ट हैं और पब्लिक किस प्रकार का विकास चाहती है। यह संदेश सरकार को कौन पहुँचाएगा। यह एम० एल० ए० ही पहुचाएगा। इस विशेष व्यक्ति का नाम उसमें नहीं रखा गया जो रखना जरूरी है। इस-

(श्री रामचन्द्र)

लिए मैं नम्र निवेदन करूंगा और माननीय मन्त्री महोदय से भी कि यह बहुत ही महत्व-पूर्ण प्रश्न है उस पर बहुत गम्भीरता से विचार करें और इसमें रखें। चाहे इस व्यक्ति विशेष को किसी नाम से रखें। उसको कोऑप्ट कर दें या बहतर तो यह हो कि क्लॉज ६ की (२) में जैसा बताया गया है।

"(vi) Two persons whose experience in administration, public health, or rural development would of benefit to the Panchayat Samiti."

तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिये आदमी रखा जावे उसकी बजाय किसी एम० एल० ए० को ले लिया जावे। या इसके लिये अन्य कोई नया क्लॉज जोड़ दिया जावे। इसलिये मेरा यही निवेदन है कि एम० एल० ए० को विकेन्द्रीकरण शासन से किसी भी सूरत में अलग नहीं रखा जाए यह सरकार और पब्लिक के लिये हितकर होगा इसको अलग नहीं रखा जावे।

दूसरी बात मैंने यह कही कि प्रेक्टीकेबिलिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया। आपका तहसील सरपंच को सदस्य बनाना कितना खतरनाक होगा क्योंकि वह तो जुडिशिल ऑफिसर की तरह से वहां काम करता है और उसकी पोजिशन एक जज की तरह है। उसकी पोजिशन एक हाई-कोर्ट के जज की तरह है। उसकी पोजिशन इस प्रकार की है जैसी एक सेशन जज से जितनी अपीलें आवें उनको सुनता है हाई-कोर्ट उसी तरह की उसकी पोजिशन है। आपने पहले ही उस व्यक्ति पर इतना भार रखा है कि आपने पंचायत क्षेत्र की सारी अपीलों को सुनने का उसको अधिकार दिया है, ऐसे व्यक्ति को जब आप विकास समिति में रखेंगे तो उसको समय कहां से मिलेगा। इसके अलावा वह हमेशा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा और पंचों को दबाता रहेगा और मन चाहे वोट दिलाता रहेगा। इसलिए आपको किसी प्रोग्राम है उसको चलाने में बाधा रहेगी।

तीसरा विचार जो था वह यह था कि दो महिलाओं को ली जावे और इसके लिए इस सदन में और सदन के बाहर भी कई बार यह प्रकट किया गया है कि एक महिला को ली जावेगी तो वह अपने आप को अकेली महसूस करके अपने आप को किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेगी। इस-लिए दो महिलाएं ली जावें। मैं तो यह कहता हूं कि दो, तीन, चार ली जावे मगर जहां वोट का प्रश्न आवे उसके लिये वह अपने आप लोनली फील नहीं करे अपना वोट दे। जहां तक लोनलीनेस फील करती है उसके लिए दो, तीन औरतों को साथ ले जावे। आप जानते हैं कि एक वोट भी विकास के कार्यों में कितना भयंकर परिणाम पैदा कर सकता है। इसलिए मैं यह कहूँगा कि महिला तो एक ही रखी जावे मगर उसको यह अधिकार दें कि वह अपने साथ एक से अधिक साथिनियों को लेकर बैठे तो कोई एतराज नहीं होगा। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि वह अपने कम्पेनियन को ले जा सकती है। इसका प्रावधान हो बाकी महिला तो केवल एक ही रखी जावे।

(हंसी)

(श्री रामचन्द्र)

लोनलीनेस नहीं होनी चाहिये।

चौथा सुझाव मेरा यह है कि अनुसूचित जन जातियों के सदस्य को लेने का जो सुझाव रखा है उस पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि यदि उस जाति का कोई सदस्य पहले चुनाव में आ गया है तो कोऑप्ट करने की जरूरत नहीं। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर कोई ऐसा आदमी अपनी बहादुरी की वजह से या अपनी क्षमता की वजह से चुनाव जीत कर आता है तो उसका श्रेय उसको है। आप उसको आखिर इस तरह से दबाते क्यों हैं। यदि आप इस तरह से उनको दबाते रहेंगे तो फिर चुनाव लड़ने की कभी कोई हिम्मत नहीं करेगा और न किसी की हिम्मत पड़ेगी। इसलिए मेरा तो यह निवेनन है कि चुनाव में आया हो तो भी जन-जाति के एक आदमी को अवश्य लिया जाना चाहिये क्योंकि यह अमुमन देखा गया है कि परिगणित जन-जाति के लोग जब खड़े होते हैं तो उनको कहा जाता है कि मित्र क्यों कष्ट करते हो। हम कोऑप्शन कर देंगे। उनके चुनाव की हिम्मत और बढ जाती है अगर वह चुनाव में आ जाता है तो। उसकी विशेषता रहनी चाहिये इसलिए कोऑप्शन कम्पलसरी होना चाहिये। चुनाव से कोई आवे तो यह उसकी विशेषता होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो धारा ६ के बारे में अपने विचार रखे हैं उनकी आवश्यकता को समझते हुए मैं आशा तो यह करता हूं कि माननीय मन्त्री इस पर अवश्य ध्यान देंगे और जो कमियां रह गई हैं उस पर ध्यान देकर उनको पूरी करेंगे।

अन्त में मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपने दो शख्सों को रखा है, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन का जानने वाला और दूसरा पब्लिक हैल्थ। मैं यह निवेदन करूंगा कि पब्लिक हैल्थ की बजाय सोशियल वर्कर रख दिया जावे ज्यादा अच्छा होगा। सोशियल वर्कर को सभी समझते हैं। पब्लिक हैल्थ कन्फ्यूजिंग है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जन सेवा यानि सोशियल वर्कर है उसको रख दिया जावे, इसको बदल दिया जावे तो अति उत्तम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जो धारा ६ पर संशोधन दिया गया है जो श्री पी. के. चौधरी, धौलपुर से आनेवाले माननीय सदस्य डॉ० बहादुरसिंह ने पेश किया है और माननीय मंत्री महोदय ने ६ (बी) में संशोधन रखा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी नहीं रखा है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं उनका विरोध करता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष, इस बिल के लिए यह बताया गया है कि पंचायत समिति में जो पंच और सरपंचों को लिया गया है वह डेमोक्रेसी के खिलाफ है। यह भी कहा गया है कि उनका इलेक्शन होना चाहिये और फिर लिये जाने चाहिये क्योंकि पंचायतों का जब निर्माण हुआ उस वक्त यह बात जाहिर नहीं थी कि आगे चल कर उनको पंचायत समिति के सदस्य होना पड़ेगा और योजना के काम को भी करने में शामिल होना होगा। इसलिये पंचायत समिति में सरपंचों को लिया गया है, ठीक नहीं है। इसलिये उनका डाइरेक्ट चुनाव होकर आना चाहिये।

Page No.91

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : आप कैसा मानते हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरपंच चुना हुआ है। सरपंच अपने क्षेत्र से जुडिशियल वर्क के लिये और प्रशासनिक कार्यों के लिये चुना हुआ है इसके लिये पंचायत एक्ट की धारा २४ में दिया हुआ है। उसमें निर्माण कार्य भी उसके जिम्मे हैं। अब हम उनको निर्माण कार्य ज्यादा देना चाहते हैं। किसी आदमी के पास पहले थर्ड क्लॉज जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पॉवर हैं उस व्यक्ति को हम अब फर्स्ट क्लास के पॉवर देना चाहते हैं। उसी प्रकार हमने इसमें अधिकार बढ़ा दिये हैं। अब यह कहा जाता है कि उनको फर्स्ट क्लास के पॉवर नहीं दिये जा सकते। इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि धारा २४ पंचायत एक्ट में साफ लिखा है भवन निर्माण, पानी पीने के लिये कुँए वगैरह और दूसरे निर्माण कार्यों के लिये भी उनका जिम्मा होगा। ऐसी सूरत में यह कहना कि जब इलेक्शन हुआ था यह बात मालूम नहीं थी कि वे दूसरे काम कर सकेंगे या नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सब उस समय भी मालूम था। अब यह प्रश्न आता है कि पंचायत समिति का जो निर्माण हो रहा है उसमें वे लोग आ रहे हैं जिनको पहले अधिकार प्राप्त हैं और उसी क्षेत्र से आ रहे हैं जिन क्षेत्रों का वे प्रतिनिधित्व पहले करते आ रहे हैं।

यानि सरपंच जो वह सारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए सरपंच को लिया है, पंच लोग तो वार्ड तक ही सीमित हैं और सरपंच को सब वार्ड के पंचों ने मिल कर सरपंच चुना है और अधिक प्रतिनिधित्व दिया है इसलिए उसको पंचायत समिति में लिया है। मेहता कमेटी ने भी यह लिखा है कि इनडाइरेक्ट तरीके से पंचायत समितियों में सदस्य लिया जाय। फिर यह नारा लगाया जाय कि डाइरेक्ट चुनाव से लिया जाय यह उपयुक्त नहीं है। यह भी दलील दी गई कि पंचायत समितियों में सरपंचों को लिया गया है यह गलत है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सन् ६१ में चुनाव आवेंगे तब तक ग्राम के निवासियों को यह पता लग जावेगा कि ग्राम पंचायतों के सरपंचों को पंचायत समितियों में भी जाना है तो किसको आगे से भेजना चाहिये और किसको सरपंच चुनना चाहिए। जब चुनाव होंगे तो यह विदित हो जावेगा। ऐसी स्थिति में सरपंच को ले लिया गया है, वह उपयुक्त है क्योंकि ग्रामपंचायतें चुनी हुई हैं और सारे क्षेत्र से सरपंच चुना हुआ है, अभी भी वहां प्रशासनिक अधिकार है, योजनाओं के कार्य उसके जिम्मे हैं। इसलिए उसको पंचायत समिति में लाना आवश्यक भी हुआ है, पंचायत समितियों में वह ग्रामों की समस्या को रखेगा और ग्रामों की तरफ से जो योजनायें होंगी उनको वह पंचायत समितियों में रखेगा। इससे दोनों की कड़ी जुड़ जावेगी, पंचायत समिति के सरपंच को भी जिला परिषद् में इसलिए लिया गया है। अभी यह भी कहा गया कि पंचायतों के सरपंचों को पंचायत समितियों में लिया गया है वह अनजस्टिस किया गया है, अपीलेट पावर्स वाले को यहां लाकर बिठा दिया है, इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायतों से तहसील पंचायत चुनी गई है और उनको प्रशासनिक अधिकार भी हैं, उनको भी योजनाओं के अधिकार देने जा रहे हैं, वे उनको कार्यान्वित करेंगे। आपने यह कहा कि आपका ध्येय अब ज्युडिशियरी को अलग करने का

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

ध्येय नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। ऐसा कहदेना कि तहसील पंचायतों के सरपंचों के पंचायत समिति में आने से अन्याय होगा, यह गलत है। आज तक भी तहसील पंचायतों को ग्राम पंचायतों की देखरेख के अधिकार थे। ऐसे व्यक्तियों को इसमें लिया गया है और यह मान लेना कि यह गलत होगा, मैं मानता हूं कि गलत नहीं होगा। दूसरा मैं यह बताऊं कि तहसील पंचायतों की ज्यादा से ज्यादा महीने में चार मिटिंग्स होती हैं। सरपंच ही अकेला फैसला नहीं देता है। ११, १२ मेम्बरर्स रहते हैं और बहुमत के ऊपर फैसला दिया जाता है। सरपंच तो फैसले पर दस्तखत करके उसको कार्यान्वित करता है। यह कहना कि सरपंच एक इन्डिपेन्डेन्ट जज है, यह बिलकुल गलत है। सिर्फ पंचों के निर्णयों को प्रचारित करने वाला सरपंच है। जो तहसील सरपंच आज तक भी प्रशासनिक काम करता था उसको यहाँ रखा गया है जिससे कि आज तक जो कार्यों के प्रति उसकी देख रेख रही है आगे भी वह पंचायत समितियों को मार्ग दर्शन दे सकेगा। यहां ज्युडिशियल और एक्जीक्युटिव को सेपरेट करने का कोई सवाल नहीं है। राजस्थान में ज्युडिशियरी और एक्जीक्युटिव का कोई अभी अलग करने का झगड़ा नहीं है।

अब सबसे ज्यादा यह कहा गया कि एम. एल. एज. महोदयों को पंचायत समितियों में नहीं लिया गया है और इससे प्रजातन्त्र का बिलकुल ही गला घोंट दिया गया है और ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है कि उनके इसमें न लेने से सारी योजनायें विफल हो जावेंगी और कार्यान्वित नहीं होंगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारी योजनायें ग्रामों से शुरू होती हैं, ग्रामों के पंच विकास योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आज विधान सभा का सदस्य एक एक गांव में पहुंचता है? नहीं पहुंचता है, उनको फुर्सत नहीं होती है जब कि ४-६ महीने तो यहां विधान सभा में बैठ कर वे गुजार देते हैं, फिर यह कहना कि उनके द्वारा सारे गांवों की विकास योजनायें कार्यान्वित होती हैं, मैं इसमें शंका करता हूं। पंचायत समितियों का निर्माण इसी बेसिस पर किया गया है। ग्रामों से जो योजनायें तैयार होती हैं वे सरपंच द्वारा पंचायत समितियों में आयेगी। वहां सरपंच लोग बैठ कर निर्णय करेंगे कि किस किस योजना को चलाना है और उसके लिए हमारे पास कितना पैसा है। इससे ग्राम पंचायतों की कड़ी सरपंचों के द्वारा पंचायत समितियों में जुड़ी रहेंगी और पंचायत समितियों के सरपंचों के द्वारा जिला समितियों में जुड़ी रहेंगी। विधेयक को इसलिये रखा गया है कि पंचायत समितियों को क्या क्या डिफिकल्टी है और क्या क्या कार्य करने चाहिये जिसके लिए पैसे की आवश्यकता है, स्टेट से मदद की आवश्यकता है, उनकी कड़ी जुड़ी रहे इसलिए जिला समितियों में रखें हैं। सब अधिकार पंचायत समितियों को दिये गये हैं। अब जिला समितियों में उनको रखने का क्या कारण था? एम. एल. एज. और एम. पीज. को उनमें इसलिए रखा गया है कि ग्राम पंचायतों से तो पंचायत समितियों में आ जावे वे बातें और पंचायत समितियों से जिला समितियों में पहुंच जावें और जिला समितियों में ऐसे व्यक्ति भी रखे गये हैं जो विधान सभा के या पार्लियामेन्ट के मेम्बर

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

हों। उनको उनमें इसीलिए रखा गया है कि वे वहां की बातों को विधान सभा या पार्लियामेन्ट में रखें। आप यह कह देते हैं कि विधान सभा का सदस्य १ लाख से चुनिन्दा है उनको पंचायत समिति में नहीं रखना गैर-वाजिब है। तो फिर पार्लियामेन्ट का सदस्य ८ लाख से चुनिन्दा है तो फिर उसको भी क्यों नहीं रखते। फिर उनको ग्राम पंचायतों में ही क्यों नहीं रखते जहां से हर काम शुरू होता है। जिला परिषद् में इसलिए रखा है कि ग्राम पंचयतों से पंचायत समितियों में और पंचायत समितियों से जिला परिषदों में और जिला परिषदों से विधान सभा में और पार्लियामेन्ट में उनके विचार जा सकें उनके कामों के बारे में। एक इस प्रकार की कड़ी सी बांधी गई है जिससे कि असली हल निकाला जा सके। यह डिसेन्ट्रेलाइजेशन किया गया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मानना कि विधान सभा के मेम्बरों को इसमें नहीं रखने से कार्य नहीं होगा, यह उपयुक्त नहीं है और यदि ब्लॉक डेवलपमेंट में विधान सभा के सदस्य नहीं जावें तो काम नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है, काम होता है। काम तो असली ग्राम पंचायतों से ही होने वाला है और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रामों के पंच हैं। हमारी यह पॉलिसी है। साफ पॉलिसी हमको एडोप्ट करना है तो जिला परिषद् में जाकर रखें और जिला परिषदों में जो पंचायत समितियों के सरपंच आते हैं वे इसलिए उनको भी पंचायत समितियों में रखें और पंचायत समितियों में जो सरपंच आते हैं वे उनको ग्राम पंचायतों में रखें। आप सब जगह अपनी वकालत रखना चाहते हैं यह उपयुक्त नहीं है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि तहसील पंचायतों के सरपंचों को पंचायत समितियों में रखा है और विधान सभा के सदस्यों को पंचायत समितियों में नहीं रखा है वह वाजिब कारण है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व–मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्रीमोगजी भाई (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय...

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विकेन्द्रीकरण बिल की धारा ६ के अन्तर्गत यहां जो संशोधन पेश किये गये हैं जिसके सात सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे ऐसा जो प्रावधान है उसका मैं विरोध करता हूँ। जैसा कि इसमें विधान है कि एक कृषि निपुण को पंचायत समिति में रखा जायगा वह सरकार किस आधार पर रखेगी यह कोई निश्चित नहीं है योग्यता क्या होगी? कृषि करने वाले सरपंच भी होंगे वह भी पंचायत समिति में आयेंगे उनसे बढ़कर कृषि निपुण और कौन हो सकता है। इसलिये कृषि निपुण कहकर और किसी को मुकर्र करना उचित नहीं होगा।

दूसरे जिले में रहने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिला परिषद् का सदस्य रहेगा उसे भी सरकार नियुक्त करेगी। उन्हें सरकार सीधा नियुक्त करेगी यह भी प्रोवीजन अनुचित है। जिला परिषद में एम० एल० ए० और एम० पी० और तहसील समितियों के प्रधान रहेंगे। उसमें महिलाओं और दूसरे चिकित्सा और सोशियल वेलफेअर में काम करने वाले व्यक्ति भी रखे जायेंगे। दो इस प्रकार के व्यक्तियों की नियुक्ति की जायगी यह एक

Page No.94

(श्री भोगजी भाई)

प्रकार से दलीय आधार पर नियुक्ति होगी, इनको चुनाव से लिया जाना जरूरी है।

धारा ६ में महिलाओं को और दो महिलाओं को भी रखने का प्रोवीजन है। आदि वासी और हरिजनों, जिनकी संख्या पांच प्रतिशत से अधिक है उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। यह तो ठीक है दो महिलाओं को रखा जाय। हमारी राज्य सरकार को चाहिये कि पिछड़े वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों को इसमें लिया जाना जरूरी है। इसी प्रकार अल्प संख्याओं का भी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मान लिया जाना चाहिये।

सारे राजस्थान में पिछड़े वर्ग के लोगों की जो संख्या है, साठ प्रतिशत संख्या है उनको किसी प्रकार का भी प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, वे इन पंचायत समितियों में किसी प्रकार भी भाग नही ले सकते। इसलिये मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि या तो राज्य सरकार उनको मुकर्रर करे या इस प्रकार का प्रावधान करे कि तीस प्रतिशत प्रतिनिधित्व उनको मिले। यदि इस प्रकार की व्यवस्था इसमें होती तो हमें यह उम्मीद हो सकती कि वहां के पिछड़े वर्ग के लोग भी इसमें भाग ले सकेंगे। और विकास के कार्य में अधिक से अधिक भाग ले सकेंगे।

चुनाव प्रणाली के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि इसमें सरकार को चुनाव द्वारा व्यक्तियों को लिये जाने की व्यवस्था करनी थी ताकि लोगों में अधिक से अधिक प्रचार हो सकता। लोगों को भी ध्यान रहता कि जिला परिषद के लिये और पंचायत समितियों के लिये चुनाव हो रहे हैं। जब वे चुनकर किसी व्यक्ति को भेजते तो उनकी भी विकास कार्य में योग देने की जिम्मेदारी रहती।

एक अजीब बात है कि जनतन्त्र में विश्वास करने वाले जनता पर विश्वास न रखें यह उचित नहीं है। राज्य सरकार विकेन्द्रीकरण के नाम पर अपने लोगों को थोपना चाहती है। पंचायत का सरपंच होगा वही तहसील पंचायत का सरपंच होगा और उसे भी पंचायत समिति का सदस्य बना दिया जायगा। पंचायत समिति का कोई भी सदस्य जिला परिषद् में चुन लिया जायगा तो उसके प्रधान, उप-प्रधान बनने की स्थिति में आप ऐसा क्यों नहीं रखते ग्राम पंचायत का सरपंच उस समिति में चुनने के बाद चाहे किसी को भी प्रधान, उप-प्रधान बनाया जा सकता है। अगर पंचायतों में स्थान रिक्त हो गया तो वह जिला परिषद् में सदस्य बन जायगा। जिला परिषद का सदस्य बनने के बाद वह प्रमुख, उप-प्रमुख बन सकता है इस तरह से एक एक व्यक्ति को तीन तीन जगहों पर प्राथमिकता दी जाती है यह उचित नहीं है। मेरा तो इसलिये यह निवेदन है कि कोई भी पंचायत समिति का प्रधान हो वह सब पंचों के वोटों से चुनकर आना चाहिये उसमें आपको क्या हर्ज था। इसमें इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है इसलिये यह सर्वथा अनुचित है। जनता को मालूम नहीं पड़ सकता चुनाव किसका हुआ है इसके लिये आवश्यक यह कि ऐसा चुनाव तरीका रखा जाय जिससे जनता को भी पता हो सके और उसमें ग्राम पंचायतों के पंच और सरपंच को मतदान देने का अधिकार होना चाहिये, इस प्रकार की व्यवस्था की जाय।

(घंटी)

(श्री मोगजी भाई)
दो मिनिट और ।

श्री उपाध्यक्ष : पर्याप्त हो चुका है ।

श्री मोगजी भाई : अब मैं एम० एल० ए० को रखना चाहिये या नहीं इस बारे में अपने विचार रखूंगा । विधान सभायी सदस्य को आप कहां कहां रखेंगे । मेरी समझ में जो अभी तक रखा गया है वही ठीक है । विधान सभायी सदस्य कानून बनाने वाला प्रतिनिधि है, वह जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जरूर है । उसको चार पांच महिने तो विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेना होता है उसके बाद वह अपने क्षेत्र की जनता से मिलता है । फिर अगर उसको पंचायत समिति में रखते हैं तो उसको अपना पहले वाला काम छोड़ना पड़ेगा उसमें वह ज्यादा समय नहीं दे पायेगा इसलिये मेरा यह निवेदन है कि अगर वह पंचायत समिति का सदस्य बना रहेगा तो यह गलत परम्परा होगी । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि पंचायत समिति में एम० एल० ए० को नहीं रखना चाहिये यही मेरा निवेदन है । इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ ।

गोकुलचन्द जाटव (लक्ष्मणगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, पंचायत समिति और जिला परिषद् विधेयक की छठी धारा में जो पंचायत समिति की रचना का प्रावधान है उससे मुझे मतभेद है । ग्राम पंचायतों का जिस समय चुनाव हुआ था उस समय चुने जाने वाले और चुनने वाले दोनों को यह पता नहीं था कि एक समय ऐसा भी आवेगा जब ये लोग ऊपर भी ले जाये जा सकेंगे । पर चूंकि इस विधेयक में इसकी व्यवस्था की गई है इसलिए इसका मतलब यह हुआ कि ग्राम पंचायत के सरपंच प्रधान भी बनेंगे और जिला परिषद् में जाकर वहां के प्रमुख बनने का अधिकार भी उनको मिल रहा है । इसलिए चुनने वालों को मौका दिया जाना चाहिए और जब विकास योजना खण्ड का चुनाव होता है तो इसके प्रधान का भी सीधा चुनाव कराये जाने का प्रवधान रखना चाहिए । इसमें अगर सीधे मतदाताओं द्वारा न चुना जावे तो उस इलाके के पंचों को तो मतदान का प्रावधान होना चाहिए । क्योंकि ग्राम पंचायत का सरपंच सीधा जनता द्वारा चुना जाता है, पंचों द्वारा नहीं ।

दूसरी बात यह नहीं मैं समझ पाया कि जब ग्राम पंचायत का सरपंच जिला समिति का प्रधान बन सकता है और जिला परिषद् में पहुँच कर प्रमुख बन सकता है तो फिर विधान सभा का सदस्य इसका सदस्य न बन सके इसकी कोई दलील समझ में नहीं आती । क्यों नहीं विधान सभा का सदस्य इनका सदस्य माना जावे । इसलिए मेरी तो यह राय है कि विधान सभा का सदस्य भी इनका सदस्य होना चाहिए । जब आप जनतान्त्रिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं तो ऐसे समय विधान सभा के सदस्य को जिसको जनता ने मत देकर भेजा है उसका सदस्य बनने का प्रावधान न रखना वाजिब नहीं ।

तो ये दोनों बातें मैंने कहीं कि चुनाव की व्यवस्था इस ढंग से होनी चाहिए और विधान सभा का सदस्य पूरा मेम्बर होना चाहिए । मैं निवेदन करना चाहता हूँ और आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इनको मन्जूर करेंगे ।

जिला परिषद् में मीटिंगों का सभापतित्व कमिश्नर करेगा और समिति की बैठक का सभापतित्व कलेक्टर करेगा ऐसी सूरत में जिस

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

व्यक्ति को जनता ने अपने मतों से चुनकर विधान सभा में भेजा है वह उसका मेम्बर होता है तो इसमें अनुचित क्या होगा। विकास अधिकारी जब उसका सेक्रेटरी होगा और पंचायत समिति के संकल्पों को और विकास के कार्यों को क्रियान्वित करेगा तो ऐसा आदमी जो अपनी बात मनवा सकता हो और कुछ असर रखता हो इस बात का ख्याल होना चाहिए। इसके लिए विधान सभा का सदस्य चाहे इच्छा न करे पर यदि उसका यह अधिकार छीना जाता है बोलने का और उनमें भाग लेने का या राय देने का तो यह उचित नहीं होगा। मैं तो यह मानता हूं कि यदि एम. एल. ए. समिति का प्रधान भी चुना जाता है तो कोई अनुचित नहीं।

श्री होतीलाल (भरतपुर): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड पोइन्ट यह रहा है कि आया विधान सभा का सदस्य पंचायत समिति का मेम्बर रक्खा जावे या नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं और जैसा पहले भी निवेदन किया था कि जिस तरह से यह पोइन्ट रेज किया गया है उस तरह से अगर मेम्बर एम. एल. ए. को बना दिया गया तो इसमें कई झगड़े उठ खड़े होंगे।

अभी अभी अलवर से आने वाली माननीय सदस्या ने अपनी दलीलें दीं।

श्री गोकुलचन्द जाटव: सदस्य भी अलवर का ही है।

(हंसी)

श्री होतीलाल: मैंने सदस्य के लिए कहा है। तो उन्होंने यह दलील दी कि तहसील सरपंच को पंचायत समिति में न रखा जावे क्योंकि ऐसे भी चान्सेज आ सकते हैं कि जब बहुत से तहसील सरपंचों को कई कई पंचायत समितियों में बैठने का अवसर मिलेगा। तो इतनी समितियों का और साथ साथ अपनी तहसील का इतना काम वह कैसे कर सकेगा और कैसे जनता का काम सही तरीके से पूरा कर सकेगा। यही निवेदन और यही दलील मैं देना चाहता हूँ कि अगर एम. एल. ए. को सदस्य बना दिया जावेगा तो वह कैसे कई समितियों में बैठेगा और कैसे यहां का भी काम देख सकेगा और कैसे जनता से सम्पर्क कायम रख सकेगा। जब कि तहसील पंचायत का सरपंच दो या तीन, तीन भी मुश्किल से, दो से ज्यादा का सदस्य नहीं हो सकेगा पर एल. एल. ए. तो पांच पांच समितियों का सदस्य होगा। वैर से आने वाला माननीय सदस्य नदबई और बयाना की भी समितियों में बैठ सकेगा। बयाना से आनेवाला कुम्हेर, भरतपुर बयाना और वसेड़ी आदि में बैठेगा। अब आप अन्दाज लगाइये।

फिर एक बात और है विधान, सभा का फंक्शन है जूडीसियरी और कान्स्टीट्यूशन का। अगर आप इसको करप्ट करना चाहते चाहते हैं तो एग्जीक्यूटिव में इसको मिलावें। पंचायत समितियों का काम एग्जीक्यूटिव का काम है। दोनों के फंक्शन्स अलग अलग हैं और अलग अलग ही रहने चाहिये अगर आप प्रजातन्त्र को सही तरीके से इफीसियेन्ट तरीके से देश में रखना चाहते हैं तो। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि एम. एल. ए. को किसी सूरत में वहां रखना उचित नहीं है।

फिर एक सदस्य ने संशोधन भी रक्खा है कि उसे एसोसियेट मेम्बर बना दिया जावे।

(श्री होतीलाल)

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि असोसिएट क्यों रखना चाहते हैं और अगर यह मान लिया जावे कि सरकार इस पोइन्ट पर दबाव में आकर कुछ करना चाहे, क्लीन हैण्ड से नहीं आना चाहते और साफ नहीं कहना चाहते कि पंचायत समिति का मेम्बर आप क्यों बनना चाहते हैं इसलिए कि मेम्बर नहीं होंगे तो ६२ में यहां बैठ सकेंगे या नहीं दुबारा आ सकेंगे या नहीं इसमें शंका हो सकती है। अगर आपको यह खतरा है तो सीधे तरीके से साफ स्पष्ट कहिए। सीधी बात करें कि आपको खतरा है कि कहीं पंचायत समिति के प्रधान के रूप में दूसरा आदमी पैदा न हो जावे। अगर ऐसा खतरा है तो साफ बात करें और यह कहें कि हम तो पॉवर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, जो यहां सदस्य बैठे हैं उनके हाथ से सत्ता नहीं जाने देना है और उनकी मोनोपोली खत्म नहीं करनी है। तो यह कोई प्रजातन्त्र का नियम नहीं है। आप यहां काम करिए। कानून बनाइए। अगर जनता के हित का कानून बनावेंगे और ठीक तरह से यहां काम करेंगे तो निश्चित समझिए आप जरूर अगली दफा भी यहां आ जावेंगे। दूसरे तरीके अख्तियार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जैसे निवेदन कर रहा था अगर एसोसियेट ही करना है तो इस प्रकार की बात जरूर रक्खें कि एक मेम्बर पांच पाँच समितियों का मेम्बर कम से कम न बने। अगर उसे मेम्बर भी सरकार को रखना ही है तो एक या मेजर पोर्शन जिस समिति या ब्लॉक का उसकी कान्स्टीट्यूएन्सी में आता हो उसमें रख दे। वैसे मेरा विचार रखने का कतई नहीं है। मैं तो यह अल्टरनेटिव निवेदन कर रहा हूं कि अगर सरकार तुल ही गई है विधान सभाई को सदस्य बनाने के लिए तो ऐसा करे।

दूसरा प्रश्न जिला परिषद् के लिए किया गया कि एक कड़ी होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में अभी जैसा एक सदस्य ने निवेदन किया। उस पर विस्तार से तो मैं तब निवेदन करूंगा जब जिला परिषद् के फॉर्मेशन का प्रश्न आवेगा। पर अभी इतना ही कहना चाहता हूं कि आज तक कड़ी कहाँ गई थी। और कड़ी के लिए मेम्बर होना ही जरूरी नहीं है, दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। आज हमारी जनता से सम्पर्क वोट लेने के वक्त रह गया हैं, बाकी कौन रोजाना जनता तक जाता है। जाता भी है कोई तो हर गांव में डाइरेक्ट कन्टेक्ट की कड़ी कौन रख पा रहा है। पर वे जानते हैं कि यहां बैठकर सब कुछ करने का अधिकार है।

और उस सूरत में मैं देखता हूँ कि हमारे एम० एल० ए० किसी गांव के आदमी के पास गये भी नहीं हैं और मैं तो यह कह सकता हूं कि सारे लोगों को मेम्बर लोग जानते भी नहीं है। अगर कोई गांव का आदमी किसी एम० एल० ए० के पास चिट्ठी लिखकर भेजता है तो क्या वह सदस्य जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी नहीं हो जाता है। तो क्यों नहीं जिला परिषद् के लोग अपना फर्ज पूरा करते हैं। इसके बारे में तो विस्तार से जब जिला परिषद् के फारमेशन का प्रश्न आयेगा उस समय कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Minister-in Charge of the Bill.

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, एक नई चीज है जो मैं आपसे अर्ज करूंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। पंचायत समिति की रचना में सब-सेक्शन (२) के पार्ट (६) के अन्दर "(vi). Two persons whose experience in administration, public health or rural devlopment would be of benefit to the Panchayat Samiti :

Provided that it shall not be necessary that the persons mentioned in clause (vi) reside in the block, but they must be residing in the district in which the block is situated"

इसकी दूसरी चीज आप देखें १६ पेज पर सब-सेक्शन १२ (बी) में "(b) ceases to reside in the block" यह दोनों भिन्न भिन्न बातें कही गई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह पोर्शन ओमीटेड है।

श्री रामकरणसिंह : इसमें लाइन खिंची हुई है। १२ का जो पार्ट (बी) है न्यूली एडेड जो सलेक्ट कमेटी ने इसमें जोड़ा है पेज १६ पर। यह शुरू में कोऑप्ट करें तो डिस्ट्रिक्ट के किसी भी आदमी को लेने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ इसमें यह बताया है कि सदस्यता के अन्दर कौन आ सकता है जो कि ब्लॉक में रहने वाला है। यह दोनों चीजें भिन्न भिन्न बताई गई हैं और यह एक दूसरे के विपरीत पड़ती हैं।

इसके अन्दर दूसरी चीज यह है कि इसी तरह मान लीजिए कि किसी प्रकार से म्युनिसिपल एरिया के कुछ लोगों को लेने की बात है तो यह म्युनिसिपल एरिया से आते हैं यह है धारा १६ पेज २१। इसमें ऐसा है कि जो स्टेन्डिंग कमेटी है उसमें कोई भी दो आदमी लिए जा सकते हैं तो इस तरह से ६ आदमी आसानी से म्युनिसिपल एरिया के लिए जा सकते हैं। यदि आपका यही मकसद है तो उनकी सेवा लेने की आवश्यकता है तो ली जा सकती है। यदि इस प्रकार के निर्माण में पंचायत समिति बनाने का नाम हो और उसके अन्दर म्युनिसिपल एरिया के या डिस्ट्रिक्ट के किसी भी कोने में रहने वाले लोगों की बात है तो फिर वही बात आती है। जैसा कि सदन के माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा कि किसी के हाथ में कठपुतली-रहना। आज देहात में रहने वाले पंच और सरपंच यह चाहते हैं कि हम अपनी बागडोर अपने हाथों से चलायें लेकिन आपने समिति की रचना में यह प्रोविजन रखा है इससे ऐसा जाहिर होता है कि जो इस बिल का मकसद था और जो होना चाहिए और जो स्वतंत्रता उनको आपको देनी चाहिए वह उनको नहीं मिलने की है क्योंकि दो आदमी किसी भी जगह रहने वाले को कोऑप्ट करने की छूट दी है तो उसमें फिर म्युनिसिपल एरिया के कोई भी दो आदमी कोऑप्ट होकर आ जायेंगे और जैसा कि अब तक होता चला आया है कि वह म्युनिसिपल एरिया के लोग गांव वालों को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर नचाने में कभी नहीं हिचकिचायेंगे। तो म्युनिसिपल एरिया के लोगों को आप दोनों तरह की छूट देने के लिए जा रहे हैं। तो इसको हम पंचायत समिति की रचना न कहकर एक प्रकार से पंचायत समिति और म्युनिसिपैलिटी की मिलीजुली चीज होगी। आप गांव के लोगों को उनका विकास करने की छूट नहीं देते हैं इस प्रकार का काम कर। आप किस प्रकार

(श्री रामकरणसिंह)

से एक आदमी को दूसरे क्षेत्र में दखल देने की बात करते हैं अगर ऐसा करते है तो फिर गांव वालों को भी म्युनिसिपल एरिया के अन्दर दखल देने की छूट दीजिए। ये बातें आपके मकसद से कतई विपरीत पड़ती हैं और मैं तो यह कहूंगा कि यह जान बूझ कर गांव के लोगों को भुलावे में डालकर किसी को कठपुतली बनाने की हैसियत से यह क्लॉज़ रखा गया है। मैं अर्ज करूंगा कि इस प्रकार की कोई चीज नहीं रहनी चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत थोड़ा ही बोलूंगा। यह धारा ६ जिसके सम्बन्ध में सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन के प्रस्ताव रखे हैं उन संशोधनों के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो विचार और तर्क उन्होंने उपस्थित किया उन सब को सुनने के बाद कुछ एक मुद्दों पर हाउस की ओपिनियन डिवाइडेड है। लेकिन एक बात के विषय में माननीय उपाध्यक्ष महोदय अधिकांश सदस्य इस मत के दिखाई देते हैं कि जहां तक पंचायत समितियों के गठन का प्रश्न है इसमें तहसील पंचायत के सरपंचों को नहीं रखा जाये। तहसील पंचायतों के सरपंच को या सरपंचों को पंचायत समितियों में रखने के संबन्ध में जब पिछली धारा ३ पर भी विचार होरहा था उस समय भी यहां विचार व्यक्त किया गया था और धारा ६ के सम्बन्ध में भी मैं समझता हूं कि यह तर्क माननीय राजस्व मन्त्री महोदय को मैं दूंगा। इन पंचायत समितियों या जिला परिषदों के गठन का या इस विधेयक को सदन में लाने का आज एक मूलभूत विचार है और जो विचार जिस भावना से प्रेरित है वह भावना डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन की याने राजनैतिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण की याने राज्य में निवास करने वाले छोटे छोटे गावों में और ढाणियों में रहने वाले जनजागरण की राज्य की विकास योजनाओं में उनका सहयोग प्राप्त करने की और उनके अन्दर उन विकास योजनाओं के प्रति एक अभिरुचि पैदा करने की और सरकार के कामों को, विकास की योजनाओं को अपनी योजनायें समझ कर सारी विकास योजनाओं को वह क्रियान्वित करें अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा और अपने कौशल के द्वारा और इस प्रकार की भावना राज्य के निर्माण करने की दृष्टि से इस सदन में विधेयक लाया गया है और यदि इस भावना को लिया गया है तो यह सवाल खड़ा नहीं होता कि उस सारी पंचायत समिति और जिला परिषद् का गठन होगा। उन पंचायत समितियों के अन्दर हम फिर तहसील पंचायत का सरपंच रखें हम विधान सभा के सदस्य या पार्लियामेन्ट के मेम्बर्स की बातचीत करें। मैं समझता हूँ कि तहसील पंचायतों के सरपंचों का जहां तक सम्बन्ध है यह हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है और उसके सम्बन्ध में जो तरीका दिया गया है वह बिल्कुल स्पष्ट है कि तहसील पंचायत को पंचायत के विरुद्ध अपील सुननी पड़ती है और इसलिए इस तरह के दो हिस्से अलग रहने चाहिए जहां तक विकास योजनाओं का सम्बन्ध है......

जहांतक विकास योजनाका सम्बन्ध है, जहाँ तक विकास का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि विकास के सम्बन्ध में जिन लोगों की अभिरुचि है वह वर्ग विशेष अलग है। इसलिए

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सर्व साधारण रूप से सारे ही वर्ग को एक पंचायत समिति में उनका रिप्रेजेन्टेशन हो इस बात की कोशिश की है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूं कि इन पंचायत समितियों के गठन में तहसील पंचायत के सरपंच को लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह जो सुझाव या संशोधन आया है वह ठीक है। हो सकता है कि कुछ विशेष कारणों के कारण कुछ दलीय स्थिति के कारण ऐसी परिस्थिति हुई हो या ऐसे दबाव आये हों कि तहसील पंचायत के सरपंचों को एकोमोडेट करने का सवाल खड़ा हो सकता है, और इस प्रश्न को इस दृष्टि से विचार करना चाहते हों। तहसील पंचायत के सरपंचों को रखना चाहते हैं तो वह बड़ा असुविधाजनक होगा। उनके लिए संकटपूर्ण हो सकता है। मैं समझता हूं कि इस भावना से प्रेरित होकर इस प्रश्न पर विचार नहीं करना चाहिये। मेरा यह सुझाव है संभवत: माननीय मन्त्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे कि सारे विधेयक में कोई सबसे महत्वपूर्ण धारा हो सकती है तो वह धारा ९ है, और ९ पर सदन के माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, मैं समझता हूं कि उन विचारों की आवश्यकता को माननीय राजस्व मन्त्री महोदय अनुभव करेंगे। और इस दृष्टि से भी देखें कि जबकि एम० एल० एज०, एम० पी० उसमें रखते हैं तो तहसील पंचायत के सरपंचों को रखें या नहीं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि उस धारा को यदि हम वास्तविक रूप से यह चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर पंचायत समितियों का गठन एक साइन्टिफिक ढंग से करें, कुछ इस ढंग से करें कि इन पंचायत समितियों में किसी प्रकार का दूसरा रंग–रूप न आ सके, तो बाकी की धाराओं पर विचार जारी रखें और इस धारा पर कुछेक माननीय सदस्यों ने सदन में जो अपने विचार प्रकट किये हैं उस पर पुनर्विचार करने के लिए इस को डेफर कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य की गरदन इस तरह से हिल रही है, जैसे कि माननीय मन्त्री महोदय की तरफ से वे इन्कार कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि......

श्री उपाध्यक्ष : आप अन्दाज पर क्यों चल रहे हैं। गरदन किसी और कारण से भी हिल रही हो। बुढ़ापे के कारण तो नहीं हो।

(हंसी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष, यह जो मैंने सुझाव रखा है, यह सुझाव इस दृष्टि से रखा है, और मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे। हमने जब टाउन म्युनिसिपल बिल पर विचार किया था तो ८, १० धाराओं को डेफर किया था। वह इस दृष्टि से किया था कि हम किसी उचित नतीजे पर पहुंच सकें। मेजोरिटी से तो हरेक चीज पास कर सकते हैं। यह धारा भी पास हो सकती है और पारित हो जायगी, लेकिन जिस तरह से टाउन म्युनिसिपल बिल पर विचार किया तो माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय ने इस प्रकार के सेन्स का एकोमोडेशन करने के लिए, सदन की भावना को हम किस प्रकार से इनकॉरपोरेट कर सकते हैं और ऐसी धाराएं बनायें, ऐसे कानून पास करें, ऐसे विधेयक

Page No.101

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पास करें कि जिसके सम्बन्ध में यह शिकायत नहीं हो कि किसी अमुक वर्ग की दृष्टि से ही रखा गया है, उन्होंने कई धाराओं को डेफर किया था। इसलिए मैं समझता हूं कि सारे विधेयक में यह महत्वपूर्ण धारा है तो इस धारा को फिर से विचार करने के लिए फिल-हाल डेफर कर दें। वह अगर करने को तैयार नहीं हों मैं निवेदन करूंगा कि तहसील पंचायतों के सरपंचों के इन्क्लूज़न की आवश्यकता नहीं है उस संशोधन को स्वीकार करेंगे और तहसील पंचायतों के सरपंचों को नहीं रखेंगे। इस प्रकार का जो संशोधन है उसका मैं समर्थन करते हुए इतना ही केवल इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डिसेन्ट्रेलाइजेशन का जो अगर कोई सबसे बड़ा इलस्ट्रेशन हो सकता है तो वह पंचायत समिति का कम्पोज़िट हो सकता है, और उस कम्पोजिशन के अन्दर ऐसे इन्ट्रेस्ट रिप्रेजेन्ट हों, किस तरह से रिप्रेजेन्ट हों, उनको जब हम देखते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि यह डिसेन्ट्रेलाइ-जेशन नहीं है बल्कि सेन्ट्रेलाइजेशन है, क्योंकि जब हम एक तरफ पंचायत समिति के अन्दर रिप्रेजेन्टेशन प्रणाली को मानते हैं और डेमोक्रेसी का जो अगर कोई भी आज तक रिप्रेजेन्टेशन है तो वह इलेक्टेड रिप्रे-जेन्टेशन होता है। मगर जब हम इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेशन्स के साथ साथ कोऑप्टेड एलीमेन्ट को लाते हैं तो वहां पर हम डेमो-क्रेसी के एक इन्स्ट्रूमेन्ट को मोडीफाई करते हैं, उनको चेन्ज करते हैं। इसके अन्दर जो कोऑप्टेड एलीमेंट रखा है वह इस बात को इलस्ट्रेट करता है कि पहले तो राजस्थान सरकार को भरोसा नहीं है कि उस तहसील के अन्दर जिन एलीमेंट्स को वे चाहते हैं कि वे पंचायत समितियों में आयें वे एलीमेंट्स उसमें नहीं आयेंगे। इसलिए यह मानकर हम चलते हैं कि वे एलीमेन्ट नहीं आयेंगे तो यह कोऑप्टेड एलीमेंट का हमने रखा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की, जो रूरल डेवलप-मेंट की या पब्लिक हैल्थ की बात जानते हों या कोई डिस्ट्रिक्ट के बारे में ऐसी चीज जानते हों, इस प्रकार के दो व्यक्तियों के कोऑप्शन का इसके अन्दर रखा है तो मैं समझ नहीं सकता कि आखिर डिसेन्ट्रेलाइ-जेशन आप क्यों कर रहे हैं। पंचायत समि-तियों के अन्दर वही आदमी जिनको लोकल नालेज है, एक ब्लॉक एरिया की नालेज है, तहसील एरिया की नालेज है, एक रेवेन्यू एरिया की नालेज है, वही मेम्बर्स इस पंचा-यत समिति के अन्दर आयें। तो एक आदमी एक डिस्ट्रिक्ट के कौने से इसके अन्दर आ सकता है, मैं समझ नहीं सकता कि लोकल एरिया के लिए वह कैसे लाभदायक रहेगा ?

जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, आपने एक्जीक्यूटिव आफिसर्स रखे हैं, सेक्रेटरीज़ रखे हैं, डिपार्टमेंट के आफिसर्स को आपने रखा है। वे हर तरह से एडमिनि-स्ट्रेटिव एक्सपीरियन्स के आदमी हैं उनको आपने इसके अन्दर रखा है, तो फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियन्स का आदमी सारे डिस्ट्रिक्ट के अन्दर से है, दूसरी पंचायत एरिया के अन्दर, दूसरे ब्लॉक एरिया के अन्दर हस्तक्षेप करे, अपनी नालेज बताये, और वह नालेज इसलिए बताये कि लोकल एरिया को बेनिफिट की है, तो वह कहां तक उचित है। वह हमारे पंचायत समितियां

(श्री श्रीमानसिंह)

एस्टेब्लिश करने के एम (aim) को खत्म कर देता है, उस परपज़ को खत्म कर देता है। इसलिए जो कोऑप्टेड एलीमेंट है उस कोऑप्टेड एलीमेंट को जिसको कि जिले भर में एक्सपर्ट मानते हैं उसको हटा दें। जहां तक कोऑप्शन का प्रोवीजन है वह इस बिल के अन्दर बहुत ही कम्प्रीहेन्सिव प्रोवीजन है। इसमें एग्रीकलचर एक्सपर्ट, कोऑपरेटिव एक्स्टेन्शन आफिसर, एनीमल हजबेन्ड्री आफिसर और जितने भी डिपार्टमेंटस् के एक्सपर्टस हैं। वह सब एक्सपर्ट वहां पर भी मौजूद होंगे। आर. ए. एस. ऑफिसर सेक्रेटरी का वर्क करेगा। उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियन्स होगा। वह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट होगा। तो फिर समझ में नहीं आता कि फिर कौन सी चीज बाकी रह जाती है। यह आप एक तरह से डोअरएन्ट्री चाहते हैं। कोई भी आदमी को उसमें घुसेड़ना चाहते हैं जो पंचायत समिति को प्रगति को रोकेगा। पंचायत समितियां अपनी लोकल नालेज से बजट बनायेंगी, रिसोर्सेज़ को देखेगीं उसको डेवलप करेंगी। वह एक्सपर्ट आयेगा वह डिस्ट्रिक्ट से कहीं से भी आ सकता है तो उसको लोकल नालेज नहीं होगी तो मैं नहीं समझ सकता कि किस तरह से हम एक एक्सपर्ट को डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेन्टेशन पर हम इसके अन्दर समावेश कर रहे हैं। तो यह दोनों चीजें कन्ट्राडिक्टरी हैं।

दूसरा मैं शिड्यूल्ड कास्ट्स के रिप्रेजेन्टेशन के अगेन्स्ट में नहीं हूं लेकिन आज हमको यह देखना पड़ेगा कि हम आजकल शिड्यूल कास्ट जिन्हें कहते हैं या दूसरी कास्ट का नाम गांवों में लेते हैं वहां मूलभूत एम जो सामूहिक विकास का है उसके खिलाफ में जाते हैं। मेरे शिड्यूल कास्ट के रिप्रजेन्टेटिव मित्र शायद इसको बुरा मानें लेकिन कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट की आप हिन्दी में परिभाषा करते हैं तो वहां सामूहिक विकास की बात आती है। अमेरिकन भाषा से अभी तक कोई हमारी भाषा में नोमेनकलचर नहीं आया है, हम लोकल लेंग्वेज में इसकी करेक्ट परिभाषा नहीं कर पाये हैं लेकिन कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि कास्ट और रिलिजियन को कर करके सामूहिक विकास होना चाहिये। जहाँ हम सामूहिक विकास की बात करते हैं वहां कास्ट को रिप्रजेन्टेशन देते हैं तो हम कम्युनिटी प्रोजेक्ट के एम को सेबोटेज करते हैं। जब हम मानते हैं कि सामूहिक विकास करें वहां हम एक पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर इन्ट्रेस्ट के लिए कोई काम करें तो हमें यह देखना पड़ेगा कि कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट का एम क्या है और क्या हम उसमें पर्टिकुलर क्लास को एकोमोडेट कर सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि किस तरह से हम कास्ट बेसिस पर शिड्यूल कास्ट को रिप्रजेन्टेशन दे सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा मतलब यह कि हम डेवलोपमेन्ट करना चाहते हैं उस एलिमेंट का डेवलोपमेंट करना चाहते हैं, उस स्टेट का डेवलोपमेंट करना चाहते हैं पूअरर और वीकर है। इस पोलिसी से जो अगर यह करें कि शिड्यूल कास्ट को रिप्रजेन्टेशन इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि वह पूवर एलिमेंट है, वीक एलिमेंट है। शिड्यूल कास्ट को अनटचेबल का रूप दिया है। इकोनोमिकली वे अनटचेबल रूरल एरिया में गिने जाते हैं, सोसाइटी में अनटचेबल गिने जाते हैं इसलिये पंचायत समिति में उनका रिप्रजेन्टेशन होना चाहिये। जब इस तरह से इन्टरप्रेट करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि शिड्-

(श्री श्रीमानसिंह)

यूल कास्ट वाले लैंडलेस हैं। पर मेजोरिटी ओफ पीरल लैंडलेस है या ओकुपेशनल प्रोफेशन करते हैं तो जो अगर हम चाहते हैं कि वीकर एलिमेंट कोरिप्रजेन्टेशन दें और वह भी शिडयूल कास्ट में समावेश करें तो यह करें कि एक तो लैंडलेस लेबरर्स को और दूसरा आर्टिजन्स को फोलो करते हैं तो जो अगर हम चाहते हैं कि वीकर एलिमेंट रिप्रजेन्ट करें वह भी शिड्यूल कास्ट का समावेश करें तो यह करें। कि एक तो लैन्ड लेस लेबरर्स और दूसरा आर्टिजन्स को जनरल क्लासमें रखकर। जिन इन्ट्रेस्ट्स को सेफ गार्ड करना चाहते हैं वे रूरल एरिया में है लैंडलेस लेबरर्स और आर्टिजन्स है जिनको आज तक एन. इ. एस. ब्लॉक्स और डिस्ट्रिक्ट डेवलोपमेंट कमेटीज में इन दो एलिमेंट्स को रिप्रजेन्टेशन नहीं मिला है, आज तक उनको सी. डी. ब्लॉक्स में नहीं लिया है और न उनके अपलिफ्ट के लिये कोई मेजर्स लिये हैं और न खर्चा किया है उनको हम स्पेशलो अकोमोडेट करते हैं तो इन दोनों के इन्ट्रेस्ट को सेफगार्ड कर सकते हैं। लैंड लेस और आर्टिजन्स हैं इन दोनों के इन्ट्रेस्ट को सेफगार्ड करना चाहिये। जो अगर आप कास्ट विशेष को रिप्रजेन्ट कराना चाहते हैं तो कई कास्ट्स हो सकती हैं जो सप्रेस्ड हैं जिनके प्रति व्यक्तिगत व्यवहार में हेट्रेडनेस का भाव रखते हैं इसलिये कास्ट का है मैं उसके खिलाफ हूँ क्योंकि यह कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट की पोलिसी के विपरीत जाता है। कॉम्युनिटी को कट करें, इसको डिलीट करके जो इन्ट्रेस्ट सेफगार्ड करना चहते हैं उनको क्लीयरली मेन्शन करदें। मैं समझ नहीं सका कि कैसे शिडयूल कास्टवालों को इसमें ओब्जेक्शन हो सकता है। जो लैंड लेस होंगे और जो आर्टिजन्स होंगे तो कौन कह सकता है कि शिडयूल कास्ट का या वीकर एलिमेंट का रिप्रजेन्टेशन नहीं हुआ। वर्ना आप जो कर रहे हैं वह डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन में कोआॅप्शन विपरित जाता है।

मैं अब पंचायत के सरपंच को एक्सक्ल्यूड करने का रखा है, मैं शुरू से उसको एक्ट ऑफ फेथ मानता हूँ। जहां तक तहसील पंचायत और सरपंच का नाम आयेगा तो हम को टूथ एंड नेल त्रिगनिम से एन्ड तक अपोजिशन करना है क्योंकि मैं इसका विरोधी हूँ क्योंकि अपने स्ट्रक्चर में तहसील पंचायत का स्थान नहीं है तो हम आर्ग्यमेंट्स रखने के लिये दे सकते हैं लेकिन वेलिड नहीं है। आप सुपरफ्ल्युअस को रखना चाहते हैं महज इसलिये कि जुडिशियल फंक्शन्स को डिस्चार्ज करें। इस काम को यदि पंचायत समिति करे तो आपको क्या ऐतराज हो सकता है। जो एक इन्स्टीट्युशन स्ट्रोंग हो सकता है उसको स्ट्रोंग नहीं बनाना चाहते पर उस पर तहसील पंचायत रखना चाहते हैं। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूं, तहसील पंचायत को जुडिशियल काम करने के लिये स्थान है तो उसका स्थान पंचायत समिति में कैसे आता है। आप एक्ट को देखिये। जुडिशियल पंचायत की जो रिपोर्ट करते हैं, उनको सिविक ड्यूटीज भी दी हैं फिर भी आप एक एक पंचायत का उदाहरण देखिये उन्होंने क्या क्या काम किया है यह भी देखिये आपको पता चलेगा सिवाय केस वर्क के दूसरा कोई खास काम नहीं किया। खाली केस वर्क ही क्यों किया? उन्होंने केस वर्क अपनी ऑथोरिटी और अपने नाम के लिए किया। जब हम इसको सुपरफ्ल्युअस मानते हैं तो उसको रिमूव करने के लिये क्यों नहीं तैयार होते। यह सेपरेसन ऑफ पॉवर का मखोल है। जो

(श्री श्रीभानसिंह)

आदमी कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पॉवर का क्राइटेरिया ऊपर मानना चाहिये तो वे इसे नीचे तक क्यों नहीं मानते। पंचायतों के पास कौनसी जुडिशियल पॉवर बहुत ज्यादा है। ५० रुपयों तक के दावे सुन सकते हैं या ५० रु० तक का जुर्माना कर सकते हैं। इसमें कहां जुडिशियल पॉवर अधिक है और कहां किस तरह से इनजस्टिस हो जायगा। मेरा यह कहना है कि यदि मर्ज नहीं करें तो न्याय पंचायत दूसरी बनावें। यू. पी. में ऐसा है जो न्याय पंचायत १० २० गांवों पर करते हैं। क्या इससे जस्टिस सीक्योर नहीं करेंगे, क्या इससे ईजी और चीप जस्टिस नहीं मिलेगी। जिस एम से जुडिशियल पंचायतें स्थापित की थीं क्या वही पॉवर पंचायत समिति की एक समिति को देते हैं तो क्या वह अपने एम को फुलफिल नहीं कर सकती ? आखिर पॉवर और प्रेस्टिज उसके साथ है। गांवों में और शहरों में देख लीजिये और देखिये किस व्यक्ति की प्रेस्टिज है। आज उस व्यक्ति की प्रेस्टिज है जिसके पास पॉवर है। जिसके पास पॉवर नहीं है उसकी प्रेस्टिज नहीं है चाहे वह कोमन मेन हो चाहे वह किसान हो लेकिन यह मानना होगा कि जिस आदमी के पास पॉवर है उसकी प्रेस्टिज है। आज सोशियल वर्कर या कार्य-कर्त्ता के पास प्रेस्टिज नहीं है क्योंकि उसके पास पॉवर नहीं है। तो डेमोक्रेटिक इन्सटि-ट्यूशन्स क्रिएट करते हैं तो उसमें प्रेस्टिज किस तरह से आ सकती है, यह देखना पड़ेगा। इसको प्रेस्टिज देना चाहते हैं। तो उसके साथ प्रेस्टिज की चीज लगानी पड़ेगी। जो जुडि-शियल पॉवर है और जो आपने सिद्धान्त माना है, एन. ई. एस. ब्लोक्स का स्ट्रक्चर राजस्थान में आया आपने चीफ सेक्रेटरी के नीचे उनको क्यों रखा ? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमिशनर और कलेक्टर के नीचे क्यों रखा। बी. डी. ओज. के स्थान पर एस. डी. एम. के केडर के आदमीयों को क्यों भेजा। उसके पीछे भावना यह था कि जो पॉवरफुल हैं उनके नीचे रखना चाहिये। उनको जब तक डेवलो-पमेंट वर्क से संबन्धित नहीं करेंगे तब तक डेवलोपमेंट वर्क की प्रेस्टिज ही नहीं आयेगी इसलिये हाइयेस्ट ओथोरिटि सी. एस. को प्लानिंग के लिये इमिडियेट रेस्पोन्सिबल बनाया। इसलिये कि जो प्रस्टिज देनी चाहिये वह सिर्फ सी. एस. ही दे सकते हैं। सेकन्डरी आपने चीफ सेक्रेटरी को बनाया इसलिये कि वे हाइ-येस्ट ओफिसर है। इसी तरह से प्रेस्टिज पंचायत समिति को जुडिशियल वर्क एन्ट्रस्ट करके देना चाहिये। इसका सपोर्ट उनके पास रहना चाहिये। इसके बिना एट्रेक्शन किस तरह से ज्यादा रहे, एक आदमी विलेज इन्ट्रेस्ट को सेफगार्ड करने के लिये किस प्रकार कार्य करेगा। जितने भी आपके वेस्टेड इन्ट्रेस्ट होंगे, जिनके इन्ट्रेस्ट क्लैश होंगे, वे डवलपमेंट को प्रिफर नहीं करेंगे, पंचायत समिति को प्रिफर नहीं करेंगे, वे जुडिसियल पंचायत की तरफ आयेंगे। जो हमने डिसीजन किया है लोअर सैक्शन के लिए, पूअर एलीमेंट के लिए, असल में यह कानून पावरफुल के लिए है। इससे जो आपका प्रिन्सिपल है कि वीकर को स्ट्रोंग बनाना है और स्ट्रोंग को नीचे लाना है, वह कहां तक पूरा होगा, मैं समझता हूँ यह एक कॉनफ्लिक्ट होगा, कॉन्ट्रेडिक्शन होगा और आप एक स्ट्रगल फोर सुप्रीमेसी क्रियेट करेंगे। पंचायत समिति और जुडिसि-यल पंचायत में से किस के अन्दर है प्रतिष्ठा, यह माननीय मंत्री से पूछना चाहूँगा। कौनसी सुप्रीम आथोरिटी है मैं समझता हूँ कि वह आथोरिटी जुडिशियल पंचायत है उसके लिए

(श्री श्रीभानसिंह)

लोग चुनाव लड़ेंगे। और जब उसके रिप्रजेन्टेटिव पंचायत समिति में बैठे हों तो वे डिक्टेट करेंगे। जब वे डिक्टेट करेंगे तो उनकी पॉवर ज्यादा होंगी और इस प्रकार डवलपमेंट का पर्पज फ्रस्ट्रेट हो जायगा, डिसेन्ट्रलाइजेशन फ्रस्ट्रेट हो जायगा, जो सिद्धान्त हम रखते हैं, वह फ्रस्ट्रेट हो जायगा, इसलिए रेडीकल चेंज करनी है इसके कम्पोजीशन में। मैं निवेदन करूंगा कि अगर रूल आफ पंचायत इस डिसेन्ट्रलाइजेशन में देखना है तो इसका समावेश करना होगा, भले ही आज करें, कल करें। करना जरूर चाहिए। यह नहीं कि आज आज गलती करते हैं और उसको ६१ में सुधारें, यह नहीं होना चाहिए। जब गलती महसूस करते हैं तो जरूर करना चाहिए, इसका समावेश करना चाहिए और पंचायत समिति के साथ अमलगमेट करना चाहिए, इससे क्विक डिसीजन होगा और अच्छे अच्छे आदमी पंचायत समिति में आयेंगे। इसलिए जुडिसियल पावर को पंचायत समिति के साथ मर्ज करना चाहिए, इस आशा से जो संशोधन पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अनूपसिंह।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने इस बिल का एक महत्वपूर्ण क्लॉज आया है और मैं समझता हूं कि इस क्लाज को हमने बिना कुछ सोचे विचारे, या किसी भावावेश में, या किसी वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के ख्याल से और किसी ख्याल से रख दिया और पास कर दिया, तो मैं अर्ज करूंगा कि जिस भावना से बिल बनाना चाहते हैं कि हमारा विकास का कार्य ठीक स्तर पर आ जाय और विकास करने का ठीक तरीका मिले। मैं अर्ज करूंगा कि इस धारा को अच्छी तरह देखें, मैं माननीय सदस्यों से अर्ज ले करूंगा कि इस पर गौर करके, विचार करके इसे पास करने का निश्चय करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इसमें अमेंडमेंट रखे हैं और जिन्होंने इसका विरोध किया है, या जिन्होंने इसका सपोर्ट किया है, मैं उसके डिटेल्स में न कह कर यह अर्ज करूंगा कि जिन्होंने यह कहा कि तहसील सरपंच किसी हालत में पंचायत समितियों के मेम्बर न रहने चाहिए, मैं इस बात को मानता हूं कि जब तहसील पंचायत का कार्य क्षेत्र विकास के कार्य क्षेत्र से बहुत दूर रह गया है, बहुत डिफरेन्ट है, बहुत दूर है, एक के अन्दर जो भावना है, दूसरे में वह भावना नहीं है, यह स्पष्ट जाहिर है। हमारी पंचायत समिति जिस तरह आगे काम करेगी, उसमें, मैं समझता हूं तहसील पंचायत रोड़ा होकर रह जायगी और तहसील पंचायत में जो मेम्बर आने वाले हैं, उनके दिमाग में एक्जीक्यूटिव पॉवर की हविश होती है, उनमें सुपीरियोरिटी काम्प्लेक्स है, वे पंचायत समिति में आते हैं तो समझते हैं किसी आदमी के खिलाफ या फेवर में डिसीजन देंगे, क्रिमिनल और सिविल प्रोसीजर कोड के तहत कार्यवाही कर सकते हैं, बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, किसी के साथ न्याय या अन्याय कर सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा पंचायत समिति के साथ, विकास के कार्य के साथ ऐसा एलीमेंट फिट इन नहीं हो सकता, इसलिए इसको नहीं रखा जाय। अगर माननीय सदस्य इस बात पर आमादा हैं कि उसका रहना बहुत जरूरी है, तो मैं

(श्री अनूपसिंह)

कहना चाहता हूं कि उसको रहना चाहिए, लेकिन उस हद तक रहना जरूरी है कि वह प्रधान या उप-प्रधान की पोस्ट होल्ड न कर सके....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : On a point of order Sir, मेरे ख्याल से आप सलेक्ट कमेटी के मेम्बर थे।

श्री पी० के० चौधरी : He has given a note of dissent.

श्री अनूपसिंह : What of that ? I have a rihgt to support...

श्री उपाध्यक्ष : The quetion does not at all arise. Mr. Chaudhary has given a solution.

श्री अनूपसिंह : इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि तहसील पंचायत के सरपंच का आना विकास के कार्य में वाकई पवित्र चीज हो सकती है, यदि वह ठीक मन, भावना से काम करना चाहे, लेकिन यह हो नहीं सकता। मैं इसलिए चाहता हूं कि क्रिमिनल और सिविल केसेज तय करने वाले तहसील सरपंच को उसमें न रखें।

इसके आगे मैं अर्ज करूंगा कि प्रधान के लिए यह प्रावधान रखा है कि तहसील सरपंच प्रधान रह सकता है। मैं समझता हूं कि यदि वे प्रधान और उप-प्रधान रह गये तो विकास का सत्यनास हो जायगा....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं है आपकी तरफ से।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, I have also corrected mayself. Mr. Anope Singh's note of dissent is not there.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : One such Member has been allowed to speak and move amendment.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें... .

श्री पी० के० चौरी : उपाध्यक्ष महोदय, one of the members who had not given a note of dissent has been allowed to move amendments even. There should be no discrimination.

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूं कि इस आसन से बराबर इस सम्बन्ध में व्यवस्था दी जाती रही है, लेकिन व्यवस्था में कुछ रियायत रखी जाती रही है। अगर माननीय सदस्य विरोध में भी बोलते हैं तो भी नियन्त्रण नहीं रखा है। जहां तक व्यवस्था का सम्बन्ध है, मैं चाहूंगा कि इस व्यवस्था का आदर हो। ऐसी स्थिति में आप बोलें लेकिन व्यवस्था को सामने रखते हुए बोलें तो अच्छा रहेगा।

श्री अनूपसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेश को मानना, मैं समझता हूं हरएक सदस्य के लिए जरूरी है, पर उसके साथ ही साथ जैसा मैंने पहले अर्ज किया था कि मुझे इस बिल की कॉपी बहुत लेट मिली। इसके साथ साथ......

श्री उपाध्यक्ष : आप गांव पर भी नहीं थे।

श्री अनूपसिंह : जब अमेन्डमेंट मूव किए जा सकते हैं तो मैं तो विरोध में ही कह रहा हूं (हंसी) इसके सिवाय कोई लम्बी चौड़ी बात कहीं नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा मतलब यह है कि आपका भाषण भविष्य के लिए गाइडेन्स नहीं होगा। व्यवस्था है उसके आधार पर विपक्ष में नहीं बोल सकते हैं जिन्होंने डिसेन्ट नोट नहीं दिया है।

श्री अनूपसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, जब अमेडमेंट मूव किए जा सकते हैं...

श्री पी० के० चौधरी : यह कह दिया है कि आज आप बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : आरम्भ रखिए।

श्री अनूपसिंह : विरोध में बोल रहा हूँ तो इस बिल में सपोर्ट करने की भी चीजें हैं, यह चीज नहीं है कि मैं विपक्ष में ही बोलता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तहसील पंचायत के बारे में बोल रहा था कि तहसील सरपंच को प्रधान या उप-प्रधान की पोजीशन नहीं देनी चाहिए, सदन इस बात पर गौर करके देखेगा तो यह फैसले पर पहुँचेगा कि तहसील सरपंच बजाय इसके जो गांव के झगड़े हैं, उनको निपटाए। इसके अलावा तहसील सरपंच के पास, प्रेक्टीकली देखें तो, इतना वर्क रहता है, इतनी अपील आती है, वह अपने ऊपर मन से चाहे, भावना से चाहे पर पूरी तरह से विचार करके, गौर करके, कोशिश करके, मैं समझता हूँ कि विकास के कार्य में उतनी दिलचस्पी नहीं ले सकता जितना लेना चाहिए। हम पंचायत समिति को ठोस काम की चीज बनाने वाले हैं, उसमें ढिलाई रह जाती है क्योंकि तहसील सरपंच फुर्सत नहीं निकाल सकता है और इस प्रकार विकास कार्य को टाल देता है। विकास कार्य के अन्दर जितनी दिलचस्पी लेनी चाहिए तहसील पंचायत के कम्पेरीजन में, मैं समझता हूं उतनी नहीं ले सकता और इस प्रकार विकास कार्य रुकेगा, इसमें दो राय नहीं हो सकती। इसके साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक यह एक बड़ी अजीब सी चीज मालूम होती है, प्रोवीजन डीपार्ट (सी) में जो तहसील सरपंच, या उप-सरपंच, या पंचायत सरपंच किसी पंचायत का प्रधान बन जाता है, या एक पंचायत समिति का मेम्बर बन जाता है और पंचायत समिति का मेम्बर बननेके बाद कहता है कि इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा, यह कैसी सरपंचाई है, वह सरपंच नहीं रह सकता।

(हंसी)

तो मैं अर्ज करूंगा कि कोई वजह हो सकती है कि उस वजह से वह न जाना चाहे, या हो सकता है वह वहां काम नहीं कर सकता हो, दूर नहीं कर सकता हो, या पूरी तरह से पंचायत समिति के कार्य को नहीं सम्हाल सकता हो तो ऐसी सूरत में उसको डिबार नहीं करना चाहिये कि अगर वह पंचायत समिति में नहीं जा सकता है तो उसे सरपंच के पद से भी रिजाइन करना पड़ेगा। तो इस तरह की शर्त उस पर थोपना अच्छा

(श्री अनूपसिंह)

नहीं कि अगर वह पंचायत समिति में नहीं जाता है तो सरपंच भी नहीं रह सकता, अपनी पंचायत में भी काम नहीं कर सकता।

इसके अलावा कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें कृषि निपुण को क्यों रखा गया है, यह कृषि निपुण क्या बला है, किस लिए रखा गया है? मैं मानता हूँ कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि को जानने वाला आदमी इसमें रहे तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। अगर एक आदमी जो अपने एक्सपीरियेन्स से एक अच्छा कृषक बन गया है और दूसरों को भी अपने एक्सपीरियेन्स से रास्ता बता सकता है अच्छा कृषक बना सकता है, तो उसका वहां रहना जरूरी है। इसमें ऐसी कोई शंका की बात नहीं है कि बाहर से कोई आदमी आ जायगा, कोई आदमी थोप दिया जायगा, वैसे देखा जाय तो ये सब बातें तो होंगी और गवर्नमेंट को पंचायत समितियों और जिला परिषदों में इन्टरफीयर करने का मौका मिलेगा, पर इसका क्या किया जा सकता है। अगर हम में करेक्टर नहीं होगा तो यह सब बातें होंगी गवर्नमेंट द्वारा आदमी थोपे जायेंगे, पार्टीबाजी की बातें होंगी। पर सिद्धान्तः यह ठीक नहीं है कि इनमें कृषि निपुण को नही रखें।

अब मैं यह निवेदन करूंगा कि पार्ट ४ (२) जिसमें यह रखा गया है कि शेडूल्ड कास्ट का मेम्बर बिना किसी कोऑप्शन के रखा जाय और इलेक्ट किया जाय, मैं समझता हूं शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए पहले जो प्रावधान रखा है ५ प्रतिशत पॉपुलेशन वाला वही ठीक रहेगा। यदि उसको ठीक नहीं समझते हैं और हम यह समझते हैं कि एक शिड्यूल्ड कास्ट का प्रतिनिधि रहेगा तो मैं यह कारण जानना चाहूंगा कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स का क्यों नहीं रखेंगे, वे लोग भी उतने ही बैकवर्ड हैं जितने कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं। हो सकता है यहां शिड्यूल्स कास्ट्स के मेम्बर यहां ज्यादा हैं इसलिए इसका विरोध करेंगे पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बैकवर्डनेस में कोई अन्तर नहीं है। ५ प्रतिशत की पॉपुलेशन रखना जरूरी नहीं समझते तो मैं यही कहूंगा कि एक मेम्बर शिड्यूल्स ट्राइब्स का रहना भी जरूरी है।

इसके अलावा दो मेम्बर ऐसे रखे गये हैं जिनका एक्सपीरियेन्स पब्लिक हैल्थ में और एड्मिनिस्ट्रेशन में हैं, उनको रखा जायगा। इसमें गवर्नमेंट द्वारा आदमी थोपे जायेंगे। ऐसे लोग जो इलेक्शन में नहीं आ सकते वे इस तरह आ जायेंगे और ऐसे लोग आयेंगे जो अक्सर लोगों को लड़ाने में, सांठ गांठ करने में, गांव में अशान्ति, खतरा पैदा करने में, पार्टीबाजी बना कर अपना मतलब बना लेने में माहिर होते हैं, ऐसी बात नहीं कि वे किसी काम के न हों इन कामों में वे लोग बड़े माहिर होते हैं। ऐसे लोग आयेंगे। ऐसा भी हो जाता है कि अच्छे आदमी पीछे रह जाते हैं; वे लोग देखते हैं कि कौन चुनाव के पचड़े में पड़े, वे चुनावों में आना भी नही चाहते। ऐसे वाकई काबिल आदमी हैं वे तो वास्तव में पीछे ही रह जायेंगे, क्योंकि उनमें इतना पुश नहीं होता वे लोग सांठ गांठ करना नहीं जानते, वे तो फिर भी बाहर ही रह जायेंगे, और यह प्रावधान रखा गया तो गलत आदमी इसमें पहुँच जायेंगें जो वाकई में नाकाबिल हैं, नालायक हैं और जो अन्दर नहीं जाने चाहिये वे लोग पहुँच जायेंगे....

एक माननीय सदस्य : नालायक ?

श्री अनूपसिंह : माननीय उपाध्यक्ष नालायक शब्द कहने से माननीय सदस्य घबड़ा गये हैं पर इससे मेरा मतलब जैसा कि पहले भी मैंने कहा था जो लायक नहीं हैं, हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : There should be no aspersions against the persons who are not present here. The hon'ble Member should withdraw these words.

श्री उपाध्यक्ष : Who are not known to us at the same time.

श्री अनूपसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, इसके बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता था कि यह एक इस तरह की बैक डोर एन्ट्री की बात है कि जो वाकई किसी तरह जस्टीफायेबल नहीं होती। जो लोग वास्तव में काबिल और अच्छे आदमी हैं और चुनावों में पीछे रह गये हैं उनको लाने का प्रावधान रख सकते थे पर इस तरह का प्रावधान रखने से आने को वे लोग आयेंगे जो वास्तव में नहीं आने चाहिए।....

श्री उपाध्यक्ष : वह तो आपने फरमा दिया है कि टंटेवाली बात;........

श्री अनूपसिंह : शायद भूल गया होऊं। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि हमारे इस बिल में जो प्रावधान रखा गया है अन्डर क्लॉज ६ यह बहुत सोच विचार के बाद रखना है और इसके लिए माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सोच विचार कर इसको पास करें अन्यथा ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं जिन उद्देश्यों पर पहुँचना चाहते हैं, उनसे पीछे रह जायेंगे। और एक दिन ऐसा नहीं हो जाय कि हमारे इस डीसेंटरलाइजेशन से लोगों का विश्वास ही उठ जाय और आने वाली पीढ़िया कहीं ऐसा नहीं कहें कि डीसेंट्रलाइजेशन गलत नाम से हुआ और उनमें आयन्दा के लिए इसके बारे में किसी तरह का उत्साह नहीं रहेगा।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसे सोच समझ कर पास करना है, हां हो सकता है कि टाइम ज्यादा नहीं होने से उनको अलाउ नहीं करें, पर जरूरी है कि अलाउ करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : श्रीमन्, विधेयक की धारा ६ पर सदन में विचार हो रहा है...

एक माननीय सदस्य : स्वतन्त्र पार्टी की ओर से बोल रहे हैं ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : जिसकी सरकार नहीं उस पार्टी की ओर से कह रहा हूं।

श्रीमन्, हम डेमोक्रेट डीसेंट्रलाइजेशन की एक योजना बनाने जा रहे हैं और जिस प्रकार का गठन पंचायत समिति का हमने इस क्लॉज में रखा है, उसे देखने से मुझे लगता है कि जनतान्त्रिक आधार को हम भूल सा गये हैं। एक तो इस चुनी हुई समिति में कुछ बिना चुने हुए लोगों का सम्मिलित होना एक जनतन्त्र से गिरी हुई चीज है, जनतन्त्र का यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त है कि चुनी हुई समितियों का गठन जनता

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से होना चाहिए, इस मूल सिद्धान्त को इसमें छोड़ दिया गया है ? मान लिजिए एक्सपर्टस् के रूप में टेक्निशियन्स के रूप में कुछ लोगों को सम्मिलित करते हैं तो वह जनतन्त्र की बात नहीं हुई वह तो विशेषज्ञों की समिति हुई चुने हुए लोगों की समिति नहीं हुई। पर जनता के चुने हुए लोगों की समिमि के हाथ में आप सत्ता देना चाहते हैं तो उस समिति में बिना चुने हुए लोगों का समावेश सिद्धान्ततः गलत है और मैं यह समझता हूँ कि यह स्कीम बुनियादी रूप से गल्त है, इस लिए बिना चुने हुए लोगों को सम्मिलित करने की बात को इसमें से हटा देना चाहिए।

जैसी कि शंका प्रकट की जाती है अधिकतर लोग जानकारी नहीं होंगे, वे अपने फैसलों को गलत न कर जायं, ऐसी शंका हो सकती है पर इसके लिए चुनी हुई संस्थाओं के जो बुनियादी अधिकार हैं वे उनसे हम छीन थोड़े ही रहे हैं, उनके वे अधिकार उनके पास हैं, वे अधिकार हैं सलाह लेने के कोई चुनी हुई संस्था किसी से सलाह ले सकती है जो जनता है। पर जानकारी व्यक्ति इस संस्था का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। यह सिद्धान्त: गलत बात है। आपकी पंचायत समितियें उन कृषि निपुण से सलाह लेगी। मैं यह कहूंगा कि आपके हर महकमें में इसके एक्सपर्ट रहते हैं। गांवों में ब्लॉक्स में आपके पास एक्सपर्टस मौजूद हैं और वे आपके यहां अपना कार्य करते रहेंगे। पंचायत समिति जब चाहे उन लोगों को बुला कर उनकी सलाह ले सकती और खुले आम ले सकते हैं। बशर्ते कि अधिकारी उनको सही सलाह देंगे। आप उनको उस समिति के सदस्य बना कर उनकी सलाह से योजना बना सकते हैं। अगर इस प्रकार से कोई योजना बनती है तो यह जनतन्त्र नहीं है। मैं यह समझता हूं कि हमने यह जो योजना बनाई है वह डी. सेन्ट्रेलाइजेशन कही जा सकती है। इसको डीसेन्ट्रेलाइजेशन ! कह दीजिये लेकिन जनतान्त्रिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन नहीं कह सकते। मैं यह कहूंगा कि हम इसमें जनतन्त्र के आधार को ही भूल गये। चुनी हुई समितियों में बिने चुना हुए लोग रखे जावें यह जनतन्त्र नहीं यह तो सूबेदारी हो सकती है। इसमें सूबेदारी तत्व ही प्रवेश करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें से सूबेदारी तत्वों को हटा दिया जावे।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ जातियों के लिये इसमें कोऑप्शन की बात रखी गई है। और ऊपर से देखने में यह एक बहुत अच्छी चीज मालूम होती है लेकिन कोऑप्शन की व्यवस्था जनतन्त्र की जड़ों को कमजोर करने वाली है और हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भूलते हैं। मैं यह कहूंगा कि यह जनतन्त्र का प्रतीक नहीं है। जब चुनाव हो तो ऐसा प्रयास हो कि उस समय हर तत्व के लोग उसमें आ सकें और हर एक प्रकार के व्यक्ति के लिए स्थान हो। उसके लिये पूरी पूरी कोशिश की जावे कि वह आये और अगर फिर भी वह न आवे तो कोऑप्शन कर सकते हैं। लेकिन जब चुनाव हों तो हमें उस समय चुनावों में जोर लगाना चाहिये और यह देखना चाहिये कि जिन लोगों को उसमें रिप्रेजेन्टेशन मिलना चाहिये मिले। आप किसी वर्ग के लोगों को खड़ा करें, महिलाओं

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

को खड़ी करें। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जनता के लोग ज्यादा अशिक्षित हैं उनको शिक्षा दे कर उनका सामाजिक उत्थान करें ताकि उनको किसी प्रकार से किसी दूसरे लोगों से सलाह मशविरा लेने की आवश्यकता न पड़े। यह तो सारे काम करेंगे तभी होगा। कानून पास करने से और चेष्टा ठीक नहीं होने से कोई भी काम ठोस रूप में नहीं होने को है। आप यहां पर सुरक्षा के कानून बनाते हैं और नियम बनाते हैं, बनाइये मगर आप सामाजिक जिम्मेदारियों को भूलते हैं। आपको चाहिये कि उनकी सामाजिक उन्नति के लिये भी प्रयत्न करें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो मैं यह कहूंगा कि यह जनतन्त्र, वर्ग को चमका देना है। अगर हम यह कोऑप्शन रखते हैं तो मैं यह कहूंगा कि यह जनतन्त्र के लिये सुरक्षण की बात नहीं होती है। हम अपनी सोसियल जिम्मेदारी को बढ़ा रहे हैं। हम जब सोशियल जिम्मेदारी को बढ़ाते हैं तो हम यह चाहते हैं कि हर व्यक्ति उन समितियों में आए और आप यह चाहते हैं कि पिछड़े हुए वर्ग के लोग आगे आवें तो मैं यह निवेदन करूंगा कि एक कानून बनाने से उस कानून की आड़ में रक्षा नहीं होनी वाली है। कानून से हम समाज में परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। कानून यों ही पड़े रहेंगे।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं वह अन्तिम बात होगी। एक माननीय सदस्य ने अभी कहा कि पंचायतों को कुछ जुडिशियल शक्तियें हैं उनसे लोगों को कष्ट होता है। और इनका का सुझाव दिया कि पंचायत समितियों हैं क्यों न जुडिशियल फंक्शन बन्द कर दें। इस सम्बन्ध में मेरी भी बुनियादी धारणा है कि उनके पास किसी प्रकार का जुडिशियल फंक्शन नहीं रहना चाहिये। हम उन लोगों से न्याय करने की आशा करते हैं और उन लोगों से जो चुने हुये होते हैं। यह आशा करना बुनियादी तौर से गलत है और ऐसी आशा करना इतनी गलत होती है कि महेन्द्रसिंह एक मुकदमें में वकील भी रहे और जज भी रहे। जब वह किसी मुकदमें में वकील रहेगा तो वह एक पार्टी का समर्थन करेगा और उस पार्टी के समर्थन की बात कहेगा और न्याय की बात नहीं कहेगा। वह तो एक चुनी हुई संस्था है जो चुनी हुई संस्था है उसको तो किसी न किसी पार्टी में रहना ही होगा और वह किसी पार्टी की संस्था होगी ही और इस नाते उसको किसी न किसी के पक्ष में रहना ही पड़ता है। कोई भी सरपंच अपने आप को सरपंच की हैसियत में रखने के लिये किसी दल विशेष का समर्थन प्राप्त करना ही पड़ता है और उनके अनुसार चलना पड़ता है। उस आदमी से क्या आप यह उम्मीद करें कि वह निष्पक्ष न्याय करेगा। क्या आप यह उससे उम्मीद करेंगे कि वह न्याय बुद्धि से काम करेगा, वह नहीं करेगा। उनका तो एक पक्षीय दृष्टिकोण होता है ! अमेरिका में बहुत पहले निर्वाचित न्यायधीशों का प्रयोग चला था।

एक माननीय सदस्य : अमेरिका की बात कौन सुनेगा।

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order please सब ध्यान से सुनेंगे।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : अमरिका ने यह अनुभव किया कि इलेक्टेड जजेज न्याय बुद्धि से काम नहीं करते उसमें ऐसा होता है कि जिस समय उनको पार्टी के समर्थन का मौका आवे तो उसमें न्याय बुद्धि नहीं होगी। इसलिये इस चुने हुये लोगों से न्याय की रीति नीति को छोड़ना पड़ा। आपने यह जो न्याय की दृष्टि से रखा है यह बहुत गलत होगा अगर आप न्याय को देश से निकालना चाहते हैं तो ऐसा कीजिये अन्यथा इस मार्ग को छोड़िये।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Minister to reply.

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इनके गठन के बारे में जो माननीय सदस्यों ने काफी एमेन्डमेंट पेश किये हैं और काफी बहस की है और अलग अलग विचार इस हाउस में व्यक्त किये गये हैं। सबसे पहले जहां तक पंचायत समिति के गठन का प्रश्न है, कौन सदस्य होंगे इस पर कई माननीय सदस्यों ने विरोध किया है और यह कहा है कि डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट वे है और यह बहुत ही अनडेमोक्रेटिक बात है। मगर मैं यह कहूँगा कि उनको जानकारी होनी चाहिए कि सरपंच का चुनाव कैसे होता है। वह इनडाईरेक्ट चुनाव से नहीं आता है वह अपनी पंचायत में एडल्ट फ्रेन्चाइज सिस्टम से चुन कर आता है। आप पंचायत समिति का संगठन आज के लिए नहीं कर रहे हैं आप हमेशा के लिए कर रहे हैं। इन सब बातों को देखते हुए आपको मालूम होगा कि दो बातों के लिए कि पंचायत समिति के सदस्य और सरपंच अगर वह अल्पमत होता है तो वह सरपंच से भी अलग हो जावेगा और समिति से भी। उसको तमाम एरिया के एडल्ट लोग उसको चुनते हैं और सरपंच पंचायत समिति का सदस्य बनता है उसका मतलब यह होगा कि दोनों मतों के लिए होगा। एक सरपंच का और दूसरा पंचायत समिति का सदस्य। इसलिए उसके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि डाइरेक्ट या इनडाईरेक्ट वे हैं। आपको इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि उसका बेस है वह एडल्ट फ्रेन्चाइज है। उसको सब एडल्ट वोट देंगे इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें आपत्ति करने की कौनसी बात है। इसके साथ साथ जो तहसील पंचायत हैं उसके लिए कई माननीय सदस्यों ने काफी एतराज किया हैं। कई माननीय सदस्यों ने कोऑप्शन के बारे में एतराज किया है और कहा है कि कोऑप्शन नहीं होना चाहिये। तहसील पंचायतों के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आया तहसील पंचायतों के सरपंच उसमें होने चाहिए, इसके लिए न्याय पंचायतें अलग हों या नहीं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Time is up, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिए स्थागित।

[तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक २८ अगस्त, १६५६ को ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई]

———

संक्षिप्त–विवरण

(गुरूवार २७ अगस्त, ५६)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम नगर, तहसील देवली के सरपंच के विरुद्ध एन्टीकरप्शन विभाग में मामला।

झिलमिली बांध पर पुल का निर्माण।

लोसल नगरपालिका की मनोनीत महिला सदस्या।

सलेक्शन कमेटी द्वारा पुलिस इन्सपेक्टर्स का एकीकरण एवं सिनोयोरिटी लिस्ट तैयार करना।

शाह अफगान के भरतपुर घने में शिकार हेतु आगमन पर शरणार्थियों द्वारा पानी में के घास निकलवाना।

भरतपुर–बयाना सड़क का निर्माण।

श्री वी. रतन, सीनियर डेन्टल सर्जन को कोलम्बो के अन्तर्गत प्रशिक्षण।

मिसेज नारायणी को ऊन लेबोरेटरी की विदेश से ट्रेनिंग।

१०० मन से अधिक गल्ले के लिए लाइसेन्स प्रणाली।

स्कम्भ

पटारी आदिवासी सहकारी समिति तहसील शाहबाद के कत्थे का जब्त किया जाना।

नगरपालिका रतनगढ़।

जयपुर से जमवारामगढ़ चलने वाली बस।

सिरोही जिले में माईनर व मीडियम सिंचाई का कार्य।

तहसील कोटपूतली के ग्राम राजनोता, पलट, बानसूर आदि गांवों को सड़क द्वारा डाबला रेल्वे स्टेशन से मिलाया जाना।

छविगृहों पर पुलिस कर्मचारियों की तैनाती।

बस्सी भेड़ पालन फार्म हेतु घास का ठेका।

जयपुर नगरपालिका के चुनाव और टैक्सों में वृद्धि किया जाना।

औषधि वितरण–जिला पाली।

थाना खंडेले के थानेदारों का रिश्वत के आरोपों में मुअत्तिल किया जाना।

गेहूं के बीजों का जरमिनेशन व प्योरिटी पर्सेन्टेज व वितरण।

कल्याणपुरा स्कूल भवन के गर्डर्स की व्यवस्था।

भरतपुर जिले के बाँधों की मरम्मत बाड़ी में बाई पास व सड़क का निर्माण।

फायर स्टेशन—जयपुर।

भरतपुर जिले में डेरी फार्म प्रारम्भ करने हेतु ऋण।

जनरल हॉस्पिटल—उदयपुर।

सड़क निर्माण-नीम का थाना।

मेडिकल कॉलेज, बीकानेर का शिलान्यास।

काटली नदी (झुन्झुनू) पर पुल का निर्माण।

केकड़ी में विद्युत् व्यवस्था।

अतारांकित प्रश्न

कालाखो बांध।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में आयुर्वेद शिक्षा तथा औषधालय।

दौसा-दिवड़ोन-भांडारेज सड़क पर अस्थाई पुलियें।

यूनानी औषधालयों का अभाव।
भांडारेज—लालसोट—उकाली सड़क का निर्माण।

ग्राम निर्झरणा, तहसील लालसोट में औषधालय।

लालसोट—गंगारोड से बिनोरी तथा मंडावरी से खुर्रा तक सड़क।

विधायी कार्य

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९५९

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक पर आज भी खण्डशः विचार जारी रहा।

खण्ड ६:-

इस खण्ड पर आज ६ सदस्यों द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये गए। इस खण्ड पर प्रस्तुत किए गए संशोधनों के पक्ष व विपक्ष में की गई बहस में १२ सदस्यों ने भाग लिया।

राजस्व मंत्री इस खण्ड पर की गई बहस का उत्तर दे रहे थे कि सदन की बैठक ठीक ५ बजे, शुक्रवार, दिनांक २८ अगस्त, १९५९ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

शुक्रवार, दिनांक २८ अगस्त, '५९ की कार्यसूची

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९५९, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपर्यंकित विधेयक पर अग्रेतर खण्डशः विचार,

———

परिशिष्ट १

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४०३ का उत्तर देखिये]

List of Works

S. No,	Name cf the Work.	Estimated Cost.	Type of Scheme.	Ramarks.
1.	Angore	16,00,000	Medium	This will require section of Planning Commision and will take more than a year to Commence.
2.	Ehaisa Singh	3,41,700	Minor	After these works are
3.	Roidra.	6,04,120	do	Sanction after.
4.	Moongthals.	9.97,000	do	Dstailed scrutiny.
5.	Unwaria.	4,92,600	do	They are likely to
6.	Butri.	6.00,000	do	be taken up in hand
7.	Unts.	83,600	do	during current financial year.

परिशिष्ट २

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४१५ का उत्तर देखिए]

Fire Appliances.

1. Motor Fire Engines.
2. Water Tenders/Tanks.
3. Trailar Pumps.
4. Pumb escaps.
5. Turn Table Ladders.
6. Fire Boats,
7. Manual Pumps,
8. Towning Vehciles.
9. Canteen Vans.
10. Foam & crash tenders.
11. Emergency Tenders.
12. Control Post Vane.
13. Hode laying Lorries.
14. Breakdown Vans.
15. Other Vehciles.
16. Ladders Extension.
17. Ladders First floor.
18. Ladders Hook.
19. Ladders Sealing.
20. Resene gear,

Equipment : (a) Wireless Scheema Users.

No. of fixed stations.

No. of nobile stations.

No. of walkie talkie sets type.

(b) Hose.

(c) Brathing apparatus.,

(d) Oxy-Acantylene cuting outfits.

(e) Lighting sets.

(f) Foam Equipment.

Accountrements:

Fireman's Axe.

Gas Masks.

Helments.

Belt & Pouch.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४१७ का उत्तर देखिये)

२. पदाधिकारियों व सदस्यों के नाम निम्न-लिखित है :—

१.	श्री कालूराम	प्रेसिडेन्ट
२.	श्री किसनसिंह	वाइस प्रेसिडेन्ट
३.	श्री गम्भीरलाल	सेक्रेटरी
४.	श्री देवीलाल	ट्रेजरार
५.	श्री रोशनलाल	सदस्य
६.	श्री मांगीराम	,,
७.	श्री भैरोंसिंह	,,
८.	श्री कुशलसिंह	,,
९.	श्री वेगता	,,
१०.	श्री कन्ना	,,
११.	श्री गोदा	,,
१२.	श्री चम्पालाल	,,
१३.	श्री ,,	,,
१४.	श्री धनाराज	,,
१५.	श्री भैरा	,,
१६.	श्री गोपीलाल	,,
१७.	श्री उदयसिंह	,,

परिशिष्ट

१८. श्री मोतीलाल श्री
१६. श्री धीरूलाल ,,
२०. श्री नैनचन्द ,,
२१. श्री पारसराम ,,
२२. श्री डालीचन्द ,,
२३. श्री नर्वदागिरी ,,
२४. श्री भोलाराम ,,

Statement showing the results of Milk Supplied by the Milk Contactor to General Hospital, Udaipur for the Month of July, 1959.

Date.	Fat	Morning Solid Nonfat.	Fat	Evening	Solid Nonfat.
1-7-59	6.5	X	6.2		X
2-7-59	5.8	X	6·1		X
3-7-59	Curded	X	5.8		X
4-7-59	4.5	9.06	4.6		X
5-7-59	7.3	X	6.5		12.60
6-7-59	4.1	X	6.3		X
7-7-59	5.0	6.96	5.0		8.58
8-7-59	6.5	9.66	6.6		X
9-7-59	6.5	9.98	6.3		X
10-7-59	6.3	X	6.5		9.26
11-7-59	6.7	X	6.0		10.34
12-7-59	5.4	10.60	6.5		10.12
13-7-59	6.3	8.50	6.4		X
14-7-59	4.6	7.22	6.3		X
15-7-59	6.3	X	6.1		X
16-7-59	6.6	X	3.8		11.17
17-7-59	3.6	10.48	4.0		12.70
18-7-59	5.8	11.30	6.7		10.26
19-7-59	6.7	12.85	6.6		10.23
20-7-59	6.7	10,06	6.4		10.08
21-7-59	6.4	12.05	6.0		9.54

1	2	3	4	5
22-7-59	6.9	10.01	6.2	11.69
23-7-59	6.3	9.64	6.2	1.084
24-7-59	6.5	10.24	6.0	9.92
25-7-59	6.0	9.73	6.2	10.52
26-7-59	6.2	10.57	4.1	7.30
27-7-59	6.3	9.96	6.4	10.52
28-7-59	5.5	10.51	6.3	10.39
29-7-59	4.7	8.59	6.3	9.57
30-7-59	6.4	9.77	5.3	9.06
31-7-59	5.4	8.24	6.8	9.54

परिशिष्ट ४

[प्रश्नोत्तर काल में समयाभाव के कारण न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर]

सड़क निर्माण-नीम का थाना

४१८. श्री ज्ञानचन्द मोदी (नीम का थाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) नीम का थाना स्टेशन से विश्रामगृह तक की सड़क के लिए कब कोलतार रोड होने की मंजूरी हुई ?

(२) क्या इसका ठेका किसी को दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब व कितने रुपयों में और किसको ?

(३) इस रोड़ का कार्य अभी तक आरम्भ न होने में क्या क्या कठिनाइयां हैं व अब कब तक पूर्ण बन जाने की आशा है ?

उत्तर :—

(१) अक्टूबर १९५८ में।

(२) श्री कैलाशचन्द्र अग्रवाल को दिनांक १०-१२-५८ को १३,७६६ रुपये में।

(३) कार्य चालू है। आशा है मार्च, १९६० तक ।

मेडिकल कॉलेज, बीकानेर का शिलान्यास

४१९. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बीकानेर मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के अवसर पर प्रधान मंत्री पं. नेहरू के आगमन पर जो सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था तथा उसकी व्यवस्था में कितना धन व्यय हुआ ?

उत्तर:—

बीकानेर मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के अवसर पर प्रधान मंत्री श्री नेहरू के आगमन पर आयुक्त व जिलाधीश, बीकानेर द्वारा सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। चिकित्साविभाग द्वारा उक्त अवसर पर माला और फूलों के लिए केवल ५) रु० व्यय हुए।

काटली नदी (झुन्झुनूं) पर पुल का निर्माण

४२०. **श्री शीशराम ओला** (खेतड़ी) : क्या मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

क्या सरकार की जिला झुन्झुनूं में चिड़ावा और बगड़ के बीच में बहनेवाली काटली नदी पर कोई पुल बनाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर :—

(१) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। आवश्यक जान नहीं पड़ता ।

केकड़ी में विद्युत् व्यवस्था

४२१. **श्री हजारीलाल बाकोलिया** (केकड़ी-सु.) : क्या विद्युत् मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) केकड़ी में बिजली लगाने का योजना कार्य कितने समय से चालू है तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जाना चाहिये था ?

(२) इस कार्य के अन्तर्गत क्या क्या काम पूरा हो चुका है तथा बाकी कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

उत्तर:—

करीब अगस्त, १९५८ से काय चालू है ।

डीजल सैट व लाईन का सामान केकड़ी पहुच गया है। पॉवर हाउस की बिल्डिंग का काम करीब करीब समाप्त हो गया है और लाईन के ८० लठ्ठे भी लग गए हैं। पूरा कार्य १९५९ के अन्त तक पूरा होने की आशा है ।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक २७ अगस्त १९५८)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
२५१३	१५	१४४)||	१४४—)||
"	१६	क्रिय	क्रय
२५१४	अन्तिम से २	डॉ० बहदुरसिंह	डॉ० बहादुरसिंह
२५२१	२	नमिनेट	नोमिनेट
२५२३	२५	far	for
२५२६	८	किाय	किया
२५३०	२०	कीकम्पलीट	को कम्पलीट
२५३१	१८	सुपरिस्टेन्डि	सुपरिन्टेडिंग
२५३५	८	wether	whether
२५३६	१८	avading	evading
२५३७	२	नम्वबर	नवम्बर
२५४०	८	श्री नाथूगम मिर्धा	श्री नथूराम मिर्धा
"	१४	seziture	seizuer
२५४१	७	श्री नाथूरान मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
२५४२	१०	दया है	दिया है
"	२०	बया यह	क्या यह
२५४३	१४	बश्नोइ	विश्नोई
२५४५	६	been said	been laid
"	१५	depend	depends
"	२८	i may	it may

१	२	३	४
२५४८	१८	श्री रिखबचन्द् चौधरी	श्री रिखबचन्द धारीवाल
२५४९	१३	Husbandy	Husbandry
,,	अन्तिम से ७	corrcct	correct
२५५२	५	कोक्ट्रर	कॉन्ट्रेक्टर
२५५३	१०	क्वाट	क्वार्टर
२५५६	७	(पूनमचन्द विश्नोइ)	(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)
२५५८	५	रोड्ज	रोड्स
,,	१६	सिन्दुस्तान	हिन्दुस्तान
२५५८	अन्तिम से २	शसर	शहर
२५५९	८	loudspeker	loudspeaker
२५६१	१७	श्री तेजाराम गहतोल	श्री तेजाराम गहलोत
२५६६	१८	फे लिए	के लिए
२५७०	१४	श्री पूनमचद	श्री पूनमचन्द
२५७३	१० के नीचे	(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए	निविष्ट कीजिये।
२५७५	१०	पर्सेसेन्टेज	पर्सेंटेज
२५७७	१६	सतीशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
२५७८	६	श्री प्रभुदयाल पुरोहित	श्री प्रभुलाल पुरोहित
२५८१	अन्तिम से ३	Ayurvecic	Ayurvedic
२५८२	१८	apponited	appointed
,,	२०	compouuder	Compounders

१	२	३	४
२५८२	अन्तिम	यू. ब. नानी	ब. यूनानी
२५८३	८	advisiability	advi-ability
,,	११	lat east	at least
,,	१७	althouch	although
,,	२४	numbr	number
२५८८	अन्तिम से ७	श्री प्रभुदयाल	श्री प्रभुलाल
२५६०	१२	श्री प्रभुदयाल	श्री प्रभुलाल
२५६१	६	श्री प्रभुदयाल	श्री प्रभुलाल
२५६२	६	रिलेक्शन	रिलेक्श
,,	१७	अनेस्ट	अर्नेस्ट
२५६३	अन्तिम से ३	refrred	referred
२५६३	शीर्षक	५८	५६
२५६५	अन्तिम से ६	चेयर डिसक्रीशन	चेयर के डिस्क्रीशन
२५६७	१५	नहीं	नहीं
२५६६	२१	Pauchayats in the Bloak	Panchayat in the Block
२६०३	अन्तिम से ७	म्युपिसिपेलिटी	म्युनिसिपेलिटी
२६०४	१४	municipaliline	municipalities
,,	१६	wn	the
२६०५	६	delated	deleted
२६०६	६	represneted	represented

१	२	३	४
२६०७	५	निर्वाचित्त	निर्वाचित
,,	१५	प्रोवीजजो	प्रेविंजो
२६११	१३	शियूल काड्स्ट	शिड्यूल्ड कास्ट
२७२०	१६	डवलममेंट	डेवलपमेंट
६६२३	१५	re-contitution	reconstitution
२६२४	७	अनुत्रमी	अनुमती
२६२६	१६	exprience	experience
२६२६	१०	menas चर्चा, बहस	means चर्चा, बहस
,,	८	suggset	suggest
२६३०	४	म्युनिसिपेलिटीज़	म्युनिसिपेलिटीज़
,,	अन्तिम से ८	इजार	हजार
२६३२	२०	chaptr	chapter
२६३३	२४	seperate	separate
,,	३१	Panchsyats	Panchayat
२६३४	८	substiuting	substituting
,,	३३	claucc 6 A	clause 6 A
२६३६	४	Pancbayat	Panchayat
,,	२०	divided	divided
२६३७	२१	Agricuitural	Agricultural
२६३८	१८	fuuctioning	functioning

१	२	३	४
२६४०	अन्तिम	eside	reside
२६४१	१८	persons	person
२६४१	अन्तिम से ४	Zila parishan run	Zila Parishad should run
२६५६	२६	एवसोप्यूट	एब्सोल्यूट
२६६२	१८	लिच	लिए
२६६५	२	उसकी रू०	उसकी तरफ
२६६६	२१	is no	if no
२६७१	१३	एविजस्ट	एक्जिस्ट
,,	१८	फरमल	फोरमल
२६८८	१०—११	would of	would be of
२७११	अन्तिम से ४	एकोमोशन	एकोमोडेशन
२७१४	१७	डोग्रर एन्ट्री	बैक डोर एन्ट्री
२७१८	अन्तिम	चीप सेक्रेटरी	चीफ सेक्रेटरी
२७२२	११	rihgt	right
२७२६	अन्तिम	ससितियां	समितियां
२७४०	'Remars' के नीचे पहली पंक्ति	section	sanction
	३—७	Sanction after Detailed scrutiny	sanctioned after detailed scrutiny
२७४२	२	Brathing	Breathing